कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 51 अंक : 6 अप्रैल 2005 मूल्य : सात रुपये

बजट 2005-2006

संयुक्त प्रगतिशील सरकार की उपलब्धियां

सुशासन और पारदर्शिता आधुनिक लोकतांत्रिक शासन की पहली आवश्यकताएं है। मतदाताओं की जागरूकता और नागरिक संगठनों की सक्रियता ने राजनीतिक दलों को इस बारे में सोचने को मजबूर किया है। यही वजह है कि अपने देश में राजनीतिक दल इस बारे में कम से कम अपने चुनाव घोषणा पत्रों में तो उल्लेख करने ही लगे हैं।

केंद्र में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में ऐसी सरकार प्रदान करने का वायदा किया है जो भ्रष्टाचार से मुक्त, पारदर्शी और जबाबदेह हो। सरकार के गठन के नौ माह बाद इसके कामकाज के बारे में रिर्पोट जारी किए जाने से जाहिर है कि गठबंधन सरकार अपने वायदे के बारे में गंभीर है। राष्ट्रीय न्यूनतम कार्यक्रम के क्रियान्वयन और अन्य कदमों की जानकारी देने वाली इस रिर्पोट का शीर्षक ही है– जनता के लिए रिपोर्ट।

किसी भी गठबंधन सरकार को चलाने की अपनी खास कठिनाइयां और चुनौतियां होती हैं। केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार को भी प्रारंभ में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कुछ न कुछ चुनौतियां तो इसके पूरे कार्यकाल में ही बनी रहेंगी। परन्तु जनता के लिए ऐसी रिपोर्ट जारी करने से पता चलता है कि सरकार अब आत्मविश्वास से भरपूर है और वह पारदर्शिता के अपने वायदे के बारे में भी गंभीर है। स्वयं प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने इस बारे में पहल की है। उन्होंने संवेदनशील प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के बारे में स्वयं भी गहरी दिलचस्पी ली और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि ईमानदार व निष्ठावान अधिकारियों को ये दायित्व सौंपे जाएं। उन्होंने प्रशासन में स्थिरता व निरन्तरता के पहलुओं पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। इसके पीछे एक निश्चित सोच है। प्रायः देखा गया है कि कार्यक्रम व नीतियां ठीक से निर्धारित होने के बावजूद अमल में खामियों के कारण अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ पाता। लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रशासन तंत्र में पूरी ईमानदारी और दक्षता वांछित है। ऐसे सुधारों की आवश्यकता और इस बारे में अपनी वचनबद्धता को देखकर ही गठबंधन सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से देश में प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक सुधारों के लिए सम्पर्क किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए आदर्श शासन संहिता तैयार की जा रही है। लोक प्रशासन को नया स्वरूप देने के लिए एक प्रशासनिक आयोग के गठन का भी निश्चय किया गया है। हैदराबाद में राष्ट्रीय चुस्त शासन संस्थान की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य पूरे देश में ई–शासन की स्थापना के प्रयासों में तेजी लाना है। सार्वजनिक प्रणालियों के सुधार की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। सूचना के अधिकार संबंधी विधेयक को संसद में लाने का निर्णय। सरकारी काम–काज में लगने वाली देरी को कम करने तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक प्रक्रियापरक सुधार किये हैं। पंचायती राज मंत्रालय विकेंद्रीकरण के ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी गोलमेज गोष्ठियां आयोजित कर रहा है। मंत्रिमंडल की एक उपसमिति लोकपाल विधेयक पर विचार–विमर्श कर रही है ताकि इसे सुशासन के एक उपाय के रूप में स्थापित किया जा सके।

जनता के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन शासन द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले दो महीनों में वर्ष 2004–05 का केंद्रीय बजट तैयार करने में व्यस्त रहने के बाद अगले 7 महीनों के दौरान गठबंधन सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए अधिकांश महत्वपूर्ण वायदों पर अमल करने के अथवा अमल शुरू करने में सफल रही है। इस दावे की सच्चाई की असली परख तो जनता तक इसके लाभ पहुंचने

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 51 ● अंक : 6 ● पृष्ठ : 48

चैत्र–वैशाख 1926–27

अप्रैल 2005

संपादक
स्नेह राय

उप संपादक
जयसिंह

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक, कुरुक्षेत्र
कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23015014,
फैक्स : 011–23015014
तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@pub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन.सी. मजुमदार

व्यापार प्रबंधक (प्रसार एवं विज्ञापन)
जगदीश प्रसाद
दूरभाष : 26100207 / 26105590
फैक्स : 26175516

आवरण
राहुल शर्मा

सज्जा
संतोष कुमार सिंह

मूल्य एक प्रति : सात रुपये
वार्षिक शुल्क : 70 रुपये
द्विवार्षिक : 135 रुपये
त्रिवार्षिक : 190 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)
पड़ोसी देशों में : 500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में : 700 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

● प्रगतिशील दिशा की ओर बजट 2005–06	हरवीर सिंह	4
● बजट 2005–06 ग्रामीण विकास : एक विश्लेषण	सी.एम. चौधरी	6
● बजट 2005–06 ग्रामीण विकास के लिए विशेष योजनाएं	देव प्रकाश	8
● बजट 2005–06 और ग्रामीण भारत	वेद प्रकाश अरोड़ा	10
● बजट 2005–06 : परंपरा और परिवर्तन	पुष्पेश पंत	14
● सपनों और हकीकतों का 'भारत निर्माण'	साज़िया आफरीन	16
● केन्द्रीय बजट : आवश्यकता, महत्व और निर्माण की प्रक्रिया	डा. उमेश चन्द्र अग्रवाल	17
● रेल बजट 2005–06 : सही पटरी पर	ऋषिकेश	23
● ग्रामीण वित्त प्रबंधन	अवध बिहारी चौधरी	26
● ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बैंकों का योगदान	प्रेम कपाड़िया	27
● ग्रामीण विकास और प्रौढ़ साक्षरता एक अध्ययन	डा. के. गोविन्दप्पा	29
● सबके लिए शिक्षा जरूरी	—	35
● अनिवार्य शिक्षा की ओर बढ़ते कदम	एम. जया सिंह	36
● संपूर्ण स्वच्छता अभियान और निर्मल ग्राम पुरस्कार	राजीव मेहरोत्रा	37
● पहला निर्मल ग्राम पुरस्कार वितरण समारोह	—	41
● भारत में सामुदायिक रेडियो	—	42
● ग्रामीण युवाओं हेतु घर बैठे रोज़गार	डा. सुरेन्द्र कटारिया	43
● भारत में परमाणु बिजली उत्पादन	शक्ति त्रिवेदी	45
● नारायण कार्तिकेयन ने दी भारत को विश्व मानचित्र पर नई पहचान	शशि झा	47
● नॉर्थ ईस्ट ट्रेड एक्सपो 2005	जिल्ले रहमान	48

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (प्रसार एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मत–सम्मत

अंक पढ़ा अच्छा लगा, साधुवाद स्वीकार करें। अन्य उपयोगी लेखों के साथ 'सफलता की कहानी' के अन्तर्गत 'स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से धान मिलिंग' डा. कुमार की प्रस्तुति आज बदलते हुए भारतीय ग्रामीण गांवों की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करती है। सच में आज गांव भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनेक योजनाओं से लाभ उठाकर निरन्तर आगे बढ़ते जा रहे हैं और भारत की राष्ट्रीय प्रगति में अपना सहयोग दे रहे हैं। गांव में स्वसहायता समूहों के निर्माण से महिलाओं के अन्तर्गत आत्मनिर्भरता की भावना जग रही है। वह भी इस विकास की धारा में निरन्तर आगे बढ़ती जा रही हैं। आज जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम जागरूक होकर सरकार की इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में भरपूर सहयोग दें।

दिलीप कुमार जायसवाल
ग्राम+पोस्ट–चिरैयाकोट,ज. मऊ (उ. प्र.)

कुरुक्षेत्र का जनवरी अंक पढ़ा। लेखों द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों की जानकारी ज्ञानवर्धक रही।

ग्रामीण विकास की कोई भी योजना जन–कल्याण पर ही आधारित होती है, क्रियान्वयन की खामियां ही योजनाओं को असफलताओं की ओर धकेल देती है। आज जिस तरह विकास कार्यक्रमों में जन सहभागिता की बात की जाती है वास्तविक धरातल पर उसका रूप बदल जाता है। ग्रामीण समाज को उपेक्षा के लिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े लोग ही उत्तरदायी हैं। लक्ष्य के विपरीत उपलब्धियों को इस तरह दिखाया जाता है उससे सही तस्वीर का पता लगाना मुश्किल है। किस मद में कहां कितना व्यय कर लक्ष्य हासिल किया गया है इसकी जानकारी देना प्रायः आवश्यक नहीं समझा जाता है।

सुनील अनुरागी
कांडी, पो. ढांगर, पौड़ी गढ़वाल (उत्तरांचल)

जनवरी अंक में भारत की ग्रामीण परिस्थितियों एवं विकास की संभावित अवधारणाओं के संदर्भ में व्यापक प्रकाश डाला गया है। ग्राम एवं कृषि प्रधान देश भारत में यदि विकास को मजबूत आधार कुटीर एवं लघु उद्योगों की इमारत तैयार करनी होगी। जब तक निचले तबके के लोगों को स्वरोजगार नहीं मिल जाता, विकास को गति प्रदान नहीं की जा सकती।

घनश्याम कुमार देवांश
श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, धौला कुआं, नई दिल्ली–110021

गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक से बढ़कर एक रोचक, पठनीय, ज्ञानवर्द्धक विचार सामग्री प्रस्तुत कर कुरुक्षेत्र के पाठक को एक बार पुनः कृतज्ञ बना दिया, आपने जानकारी का खजाना ही खोलकर रख दिया। इस अंक के खास आकर्षण/वैश्वीकरण के दौर में भारत/मलेरिया एक अंतर्राष्ट्रीय चुनौती/लघु एवं कुटीर उद्योगों की उपयोगिता, गन्ने की खेती में बदली तस्वीरें विशेष लेख प्रशंसनीय रहे। आप इतनी आंकड़ेंबद्ध जानकारी प्रदान कर रहे हैं यह अच्छा प्रयास है लेकिन बशर्ते उसका वांछित लोगों तक उपलब्धता हो सके। मेरा सुझाव है कि आप अपनी पत्रिका के वितरण के लिए ब्लॉक या ग्राम पंचायतों के स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करें तो इस पत्रिका से लोग लाभान्वित हो सकेंगे।

छैलबिहारी शर्मा 'इन्द्र'
शिवसदन, छाता–281401 (उ.प्र.)

कुरुक्षेत्र ग्रामीणों के लिए लाभप्रद एवं वरदान सिद्ध हुई है। ग्रामीणों में जागृति, खेती करने के तरीके, पंचायत व्यवस्था यह सब कुरुक्षेत्र पत्रिका की ही देन है। इस पत्रिका ने ग्रामीणों को अनेक अनमोल मोती दिये हैं। यह पत्रिका हिन्दुस्तान के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचें तो इससे सैकड़ों हजारों लोग लाभान्वित होंगे।

मुकेश मोहन तिवारी
111, बलवन्त नगर ग्वालियर–974002

संपादकीय

हम सभी के लिए जीवन एक 'पैकेज डील' की तरह है। हमारी तमाम विशेषताएं और विवशताएं मिलकर हमारे भविष्य के पूर्ण पैकेज का निर्माण करती हैं। चाहे हम जितनी भी कोशिश करें, इसकी अंतर्वस्तुएं न तो बदली जा सकती हैं और न ही हमारी इच्छानुसार हटाई जा सकती हैं। इन अंतर्वस्तुओं के नकारात्मक तथा सकारात्मक मूल्यों के कुल योग से किसी समय विशेष में हमें प्राप्त होने वाली खुशियों का निर्धारण होता है। यह तय करना बेहद आसान है कि किसके पास ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु खुशी क्या उपलब्ध भौतिक सुविधाओं के समानुपाती है? क्या हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि बढ़िया गद्देदार बिछावन पर सोने वाले व्यक्ति को हमेशा अच्छी नींद ही आएगी? क्या एक मेहनतकश मजदूर दिनभर का काम खत्म करने के बाद लकड़ी की खाट पर रातभर करवटें बदलता जागता रहेगा?

भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना आरामदेह स्थिति प्रदान कर सकता है। किसी व्यक्ति विशेष के पास पर्याप्त खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सकती है, परंतु यह प्राकृतिक भूख और पाचन क्षमता से कोई संबंध नहीं रखती है। हमारे परिवेश को भौतिक सुविधाएं प्राप्त कर सुविधाजनक बनाया जा सकता है। परंतु संपन्नता अपने साथ कई तरह की कठिनाइयां भी लाती है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा दिल की बीमारियां संपन्नता से उपजी अकर्मण्य जीवनशैली और अधिक खाद्य सामग्री लेते रहने का परिणाम है। कम सुविधाजनक स्थिति वाले लोगों की तुलना में अमीर लोगों की समग्र खुशी के स्तर को ये नकारात्मक अनुभव कम करते हैं। अभाव हमें कठिन श्रम के लिए मजबूर करता है। यह शारीरिक श्रम से जुड़ा और मानसिक रूप से सतर्क रखता है। समग्र खुशी के मामले में ये मजबूरियां हमारे पैकेज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

मेरे हिस्से में तमाम विपत्तियां क्यों शामिल हैं? मेरे जीवन में इतना अधिक दु:ख क्यों है? इन प्रश्नों नें हम सभी को कभी न कभी अवश्य चिंतित किया है। इनका कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण नहीं है जो हमें संतुष्ट करे। फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां इसका समाधान उपलब्ध है। अक्सर हमारी खुशी किसी और के द्वारा दूर से नियंत्रित होती है। यदि खुशी इस बात से हो कि दूसरे हमारे लिए क्या करते हैं तो हम दूर से नियंत्रित हो रहे हैं। दूसरी तरफ यदि हमें दूसरों के लिए किए गए अपने काम से खुशी मिलती है तो मैं अपना मालिक स्वयं हूं। दूसरे हमारे लिए क्या करते हैं, इस प्रभाव से हम खुद को पूरी तरह मुक्त नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम अपने सकारात्मक कार्यों के माध्यम से अपने आसपास के दुख का सामना कर सकते हैं। अंधेरे को कोसने के बजाय हम सभी एक दीपक जलाने में सक्षम हैं।

प्रगतिशील दिशा की ओर बजट 2005-06

हरवीर सिंह

पिछले लोक सभा चुनावों के नतीजों ने देश की आर्थिक बागडोर संभालने वाले लोगों को यह अहसास करा दिया कि ग्रामीण भारत की अनदेखी कर अर्थव्यस्था की सुनहरी तस्वीर पेश नहीं की जा सकती है। यही वजह है कि 28 फरवरी को संसद में 2005-06 का बजट पेश करते समय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि भारत उदय होना चाहिए लेकिन वह पूरे देश में होना चाहिए न कि केवल शहरों में। इसके साथ ही केन्द्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने भी अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि पूरी तैयारी के साथ तैयार किये गये 2005-06 के बजट में वित्त मंत्री ने भारत निर्माण के लक्ष्य को सामने रखकर प्रावधान किये हैं। भारत से तात्पर्य ग्रामीण भारत से ही अधिक लगाया जाता है और जिस तरह से चार का लक्ष्य लेकर इस बजट में प्रावधान किये हैं उससे लगता है कि इंडिया और भारत के बीच का अंतर समाप्त करने की दिशा में यह बजट एक अहम दस्तावेज साबित हो सकता है।

बजट में भारत निर्माण को एक बिजनेस योजना के रूप में लेकर चलने की बात वित्त मंत्री ने कही है और उसके तहत जो लक्ष्य रखे हैं उनको 2009 तक पूरा करने की बात कही है। हालांकि यह लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी हैं लेकिन अगर इन पर ठीक ढंग से अमल होता है तो भारत निर्माण की परिकल्पना को पूरा किया जा सकता है। बजट में इसके लिए छह बातों को चुना गया है। जिसमें सिंचाई, सड़क, जलापूर्ति, आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और संचार व्यवस्था को शामिल किया है। इन सभी क्षेत्रों के लिए लक्ष्यों निर्धारित किये गये हैं उनके आधार पर वित्तीय आवंटन किया गया है। भारत निर्माण के इन लक्ष्य के तहत बजट में एक करोड़ हैक्टेयर भूमि की सिंचाई व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है साथ ही इसके जरिये एक करोड़ रोजगार के अवसर भी मुहैया कराने की बात है। गांवों के संपर्क मार्गों के तहत सड़क निर्माण के तहत निर्धारित अवधि में 1000 की आबादी वाले सभी गांवों और पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में 500 की आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है। जबकि गरीबों के लिए 60 लाख नये आवास बनाने और 74,000 गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विद्युतीकरण का इंतजार कर रहे देश के सवा लाख गांवों में बिजली पहुंचाने और 2.3 करोड़ परिवारों को यह सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य भी भारत निर्माण का हिस्सा है और बकाया सभी 66,822 गांवों में टेलीफोन के जरिये संचार सुविधा पहुंचाने की बात इसमें शामिल है।

इन भारी-भरकम लक्ष्यों को रखने के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि हालांकि भारत निर्माण के इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों की जरूरत होगी लेकित हम जानते हैं कि इन लक्ष्यों की हासिल किया जा सकता है और इस काम को पूरा करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की मदद योजना से लेकर कार्यान्वयन तक सभी स्तरों पर ली जाएगी।

यही वजह है कि बजट में सबसे अधिक प्रमुखता ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों को देने की कोशिश की गई हालांकि आवंटन मामले में देखें तो वित्तमंत्री ने लक्ष्यों के अनुरूप आवंटन नही किया है लेकिन इसके लिए राजकोषीय प्रबंधन की उनकी विवशता सामने आई होगी इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद रोजगार गारंटी देने का अधिनियम सरकार संसद में पेश कर चुकी है। शुरुआत में इस योजना को देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया जाएगा। आगामी वित्त वर्ष में कुल 11,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 5,400 करोड़ रुपये का राशि नकद के रूप में और पचास लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं रोजगार के मोर्चे पर वित्तमंत्री को दावा है कि एक करोड़ हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने से भी एक करोड़ रोजगार अवसर पैदा होंगे। जबकि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से हर साल ढाई लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। कपड़ा क्षेत्र में अगले पांच साल में 1.2 करोड़ रोजगार अवसर मिलेंगे। यह सभी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं इसलिए इसका फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गरीबी व बेरोजगारी पर चोट के रूप में देखने को मिलेगा।

बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अंत्योदय अन्न योजना का दायरा भी बढ़ा दिया गया है और इसमें आगामी साल में पचास लाख नये परिवारों को शामिल कर अब गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के ढाई करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत सस्ती कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू करने की घोषणा बजट में की गई है और उसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आंवटन को चालू साल के 8,420 करोड़ से बढ़ाकर 10,280 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रणाली को मजबूत किया जाएगा ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा को बेहतर किया जा सके।

इसी तरह दोपहर का भोजन योजना के लिए आवंटन को चालू साल के बजट अनुमान

1,675 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,142 करोड़ रुपये कर दिया गया है जबकि सर्वशिक्षा अभियान के लिए आवंटन को 3,057 करोड़ से बढ़ाकर 4,754 करोड़ रुपये कर दिया है। वहीं एक प्रारंभिक शिक्षा कोष भी स्थापित किया है जो सतत बना रहेगा और इसके तहत 7,156 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। असल में पिछले बजट में लगाये गये शिक्षा उपकर से ही अधिकांश राशि हासिल हुई है और आगामी साल के बजट में भी इसे जारी रखा गया है इसलिए आने वाले समय में भी शिक्षा के लिए अधिक आवंटन संभव हो सकेगा। असल में संप्रग सरकार ने वादा किया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के छह फीसदी तक ले जाया जाएगा और इस बजट में स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए किया गया अधिक आवंटन उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है।

स्वास्थ्य और शिक्षा के पक्ष को ही मजबूत करने के लिए बजट में आंगनवाड़ी योजना को काफी अहमियत दी गई है। एकीकृत शिशु विकास सेवा (आईसीडीएस) को बढ़ावा देने के लिए देशभर में 1,88,168 नये आंगनवाड़ी केंन्द्र खोलने की घोषणा बजट में की गई और इस योजना के तहत आवंटन को चालू साल के मुकाबले करीब दोगुना कर 3,142 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं बढ़ाने के लिए सभी पेयजल योजनाओं को राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत लाने की घोषणा की गई है और आगामी साल में अधिक गांवों में पेयजल सुविधा मुहैया हो सके उसके लिए 4,750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही गांवों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 630 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

ऊपर जिन बातों के बारे में कहा गया है वह नये बजट में ऐसे कदम हैं जो ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार के लिए बहुत ही अहम हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण ढांचा विकास कोष (आरआईडीएफ) के लिए 8,000 करोड़ रुपये मुहैया कराये गये हैं। उक्त प्रावधानों के साथ ही बजट में कृषि क्षेत्र की विकास दर को ऊंचा करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। वित्तमंत्री ने स्वीकार किया है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी घटकर 21 फीसदी रह गई है जबकि अभी भी देश की दोतिहाई जनसंख्या की आजीवका इस क्षेत्र पर निर्भर है। आबादी के इस हिस्से की आर्थिक स्थिति तभी सुधर सकती है जब कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया जाए। यह निवेश सार्वजनिक और निजी दोनों तरह का होना चाहिए। इसके जरिये जहां कृषि के विविधिकरण को बढ़ावा दिया जा सकेगा वहीं रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकेंगे। इस दिशा में कदम उठाते हुए जहां वित्तमंत्री ने खाद्य और उर्वरक सब्सिडी को बरकरार रखा है वहीं त्वरित सिंचाई योजना के तहत आवंटन को आगामी साल के लिए बढ़ाकर 4,800 करोड़ रुपये कर दिया है। बजट में साफ कहा गया है कि केवल खाद्यान्न फसलों से किसानों का भला नहीं होगा। इसलिए उनको फल, सब्जी, फूल, डेयरी, पाल्ट्री और मत्स्य पालन के लिए प्रोत्साहित करना होगा। वहीं दलहन और तिलहन फसलों के लिए भी बढ़ावा देना होगा। लेकिन इसके लिए जहां ढांचागत सुविधाओं के विकास की जरूरत है वहीं बड़े पैमाने पर विपणन सुधारों को भी लागू करना होगा ताकि किसानों को उनके उत्पाद की वाजिब कीमत मिल सके और उत्पादों को खराब होने से बचाया जा सके।

इस काम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए 630 करोड़ का आवंटन किया गया है वहीं राज्यों को विपणन सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में भी प्रावधान किये गये हैं।

कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या ऋण उपलब्धता के संकट को हल करने की कोशिश भी बजट में की गई है। सरकार ने चालू साल में एक लाख आठ हजार करोड़ रुपये के ऋण कृषि क्षेत्र में मुहैया करने की बात कही है और आगामी साल में इसमें 30 फीसदी का इजाफा किया जाएगा। इसके लिए माइक्रो फाइनेंस योजना पर भी अमल किया जाएगा। सरकार का मानना है कि ग्रामीण जनता और किसानों को सूदखोरों के चंगुल से निकालने के लिए वहां ऋण प्रवाह बढ़ाना जरूरी है और सरकार इस जिम्मेवारी को निभाने में जी–जान से लगी हुई है। इसके जरिये तर्कसंगत ब्याज दर पर ग्रामीण जनता को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जा सकेंगे। वहीं एक बड़े कदम के रूप में देश के हर गांव में एक ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा भी बजट में की गई है जो गांवों को दुनिया से जोड़ने में अहम भूमिका निभाने के साथ ही संचार सुविधाओं के मामले में शहर और गांव के अंतर को काफी हद तक दूर कर सकेंगे। एक तरह से देखा जाए तो नए बजट में वित्तमंत्री ने ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए कई अहम कदम उठाये हैं और भारत निर्माण का नया नारा दिया है। लेकिन इन घोषणाओं पर अमल को लेकर सरकार कितनी गंभीर होगी यह तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। साथ ही अधिकांश योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के स्तर पर होता है और उस मोर्चे पर केंद्र सरकार किस तरह का तालमेल बैठाकर लोगों को वास्तविक फायदा पहुंचाती है उस पर ही इन वादों की सफलता निर्भर करेगी। ❑

(लेखक दैनिक हिन्दुस्तान के विशेष संवाददाता हैं)

बजट 2005-06
ग्रामीण विकास : एक विश्लेषण

सी.एम. चौधरी

भारत सरकार के वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने वर्ष 2005-06 का बजट संसद में प्रस्तुत किया। बजट एक अल्पकालीन राजकोषीय उपकरण है जिससे केन्द्र सरकार की दशा,दिशा एवं मंशा झलकती है। इस बजट में कुल व्यय का प्रावधान 514344 करोड़ रुपये तथा गैर योजना व्यय 370847 करोड़ रुपये तथा योजना व्यय 143497 करोड़ रुपये है। गैर योजना व्यय, योजना व्यय का 21/2 गुणा है। प्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय का अनुपात 47.86 : 52.14 है। करों का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा 10. 53 प्रतिशत है।

इस बजट को ग्रामीणोन्मुखी बजट कहा जा सकता है जो निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट है:-

- ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए "भारत निर्माण योजना" चार साल के लिए बनाई गई है जिसके लिए एक 8000 करोड़ रुपये का कोष बनाने का प्रावधान किया गया है।
- एक हेक्टेयर भूमि को सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का प्रावधान किया है।
- 1000 की आबादी वाले सभी गांवों पहाड़ी,जनजातीय क्षेत्रों में 500 की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान किया गया है।
- निर्धन वर्ग के लिए 15 लाख अतिरिक्त घरों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। यह इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत किया जायेगा।
- 74000 बस्तियों को पेयजल की आपूर्ति करने का प्रावधान किया गया है।
- 1,25,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने तथा 2.3 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन देने तथा 66,822 गांवों को टेलीफोन की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है।
- "राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना", राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में बदली गई है। इसके लिए 11,000 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है।
- अंत्योदय योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ परिवारों को लाने का प्रावधान किया गया है।
- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का विस्तार किया गया है और इसके अंतर्गत 1,88,168 अतिरिक्त केंद्र गठित किये गये हैं। इस योजना के अंतर्गत अनुपूरक पोषाहार मानदण्ड को दोगुना किया गया जायेगा। इस पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू करने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य स्वयंसेवियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य तंत्र को सुदृढ़ किया जायेगा।
- कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन को 630 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
- मार्च 2005 में एक राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत करके जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार और पुनर्स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 9 राज्यों के 16 जिलों में लगभग 700 जल निकायों को लिया जायेगा। इसके लिए 4750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- स्वतंत्रता की 60 वीं वर्षगांठ पर प्रत्येक गांव में एक ज्ञान केंद्र की स्थापना करने की योजना है। इसके लिए आरआईडीएफ को 100 करोड़ रुपये देने का प्रावधान है।
- 170 जिलों के विकास की योजना मद में केवल 5000 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है।

विश्लेषण

ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के विश्लेषण के आधार पर निम्नांकित विवेचन की जा सकती है:-

- "भारत निर्माण योजना" के लिए चार वर्षों में 8000 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधन है। लेकिन इस राशि का कैसे प्रबंधन किया

जाएगा, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

● निर्धनता की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के चयन का आधार सही एवं निश्चित किया जाना चाहिए। राजनीतिक एवं जातीय आधार पर गलत चयन होने के कारण सही परिवार लाभान्वित नहीं हो पाते हैं।

● वित्तीय एवं अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि की स्वीकृति, आवंटन तथा उपयोग के विभिन्न स्तरों पर प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन करना आवश्यक है। जैसा कि राजीव गांधी ने कहा था कि केवल 15 पैसे लाभान्वित होने वालों को प्राप्त हुए हैं और शेष राशि बीच में ही मध्यस्थों द्वारा हड़प ली गई है।

● इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाये जाने वाले निर्माण की स्थिति गुणात्मक दृष्टि से घटिया किस्म की है। सामाजिक परिसंत्तियों के निर्माण में घटिया सामग्री, भ्रष्टाचार विद्यमान है।

● सड़क निर्माण के कार्य में भी मस्टर रोल, निर्माण सामग्री आदि में सही प्रविष्टियां नहीं होती हैं तथा धन का अपव्यय हो रहा है। जिसके निरन्तर पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

● पेयजल के लिए नलकूप एवं हैंड पम्प लगाये जाते हैं लेकिन इनका रख–रखाव नहीं होने से निरन्तर लाभ प्राप्त नहीं होता है।

● एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत पोषाहार की समय पर एवं नियमित रूप से आपूर्ति करना आवश्यक है।

● राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 11000 करोड़ रुपये का प्रावधान आवश्यक है। रोजगार योजना से लाभान्वित परिवारों का चयन सही किया जाए तथा मस्टर रोल को समय–समय पर जांच करना फर्जी मस्टर रोल तथा इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना आवश्यक है।

● पिछड़े राज्यों के विकास के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान है जो औसतन प्रति जिला 29.4 करोड़ रुपये आता है। पिछले बजट में बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज दिया गया था लेकिन इसका कोई लेखा–जोखा नहीं है।

● राज्यों को बाजार से उधार लेने तथा वैट लागू करने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। लेकिन पिछड़े राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। राज्यों को अपनी योजनाओं के लिए 2005 के बजट के अनुसार 29003 करोड़ रुपये के बाजार ऋण लेने होंगे।

निष्कर्ष

वर्तमान केंद्रीय बजट में ग्रामीण विकास के लिए किए गये प्रावधानों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि केंद्र सरकार किस सीमा तक राजस्व जुटा पाती है तथा विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रभावी पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन की कैसी स्थिति रहती है। राज्य सरकारें अपनी प्रशासनिक मशीनरी के माध्यम से कैसे इन विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करती हैं। ❑

(लेखक राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन विभाग में प्रोफेसर हैं)

कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

सरकार ने कॅयर सहित कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के लिए दसवीं योजना अवधि (2004–05 तक) के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को 11.44 करोड़ रुपये और कॅयर बोर्ड को 13.50 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है।

तेरह ग्रामोद्योग क्षेत्रों में नई ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के विकास एवं विद्यमान ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के उन्नयन के लिए, केवीआईसी ने राष्ट्रीय स्तर के प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), आदि से तकनीकी समझौते किए हैं। इसके अतिरिक्त, केवीआईसी से पंजीकृत एक संस्थान, खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति, अहमदाबाद खादी संस्थानों और शिल्पकारों द्वारा अपनाए जाने के लिए औजारों का विकास करता है और प्रौद्योगिकियों को कार्यान्वित करता है तथा उनमें सुधार करता है। इसी भांति, कॅयर बोर्ड, अपने अनुसंधार एवं विकास कार्यकलापों के भाग के रूप में, फाईबर एक्सट्रैक्शन, स्पिनिंग, उत्पाद विनिर्माण, आदि से संबंधित प्रौद्योगिकियों के आधुनिकीकरण में लगा हुआ है। कॅयर क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए पारंपरिक रैट को मोटरीकृत किया गया है, जिससे उत्पादकता में सुधार हुआ है, गुणवत्ता में सुधार आया है और कॅयर बुनकरों की मजदूरी में वृद्धि हुई है। कॅयर बोर्ड ने महिलाओं हेतु मैटिंग/जियोटैक्सआईल्स की बुनाई के लिए अनुग्रह नाम से एक हल्के स्टील कॉम्पैक्ट हैंडलूम का भी विकास किया है। पिथ प्लस का प्रयोग करते हुए कॅयर पिथ को जैव खाद में बदलना एक अन्य प्रौद्योगिकी है, जो फील्ड प्रदर्शनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बन गई है।

साभार : प्रेस सूचना कार्यालय

बजट 2005-06
ग्रामीण विकास के लिए विशेष योजनाएं

देव प्रकाश

वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने वर्ष 2005-06 का संतुलित बजट पेश कर संप्रग सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुरूप ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त किया है। सरकार का यह बजट कुल मिलाकर मध्यम वर्ग, नौकरी-पेशा एवं आम आदमी को राहत प्रदान करने वाला है। नौकरीपेशा लोगों को आयकर में भारी राहत से आमदनी में निखार आने की उम्मीद है। वर्ष में डेढ़ लाख की आय प्राप्त करने वाला वेतनभोगी जो अब से पहले 19 हजार रुपये के करीब आयकर का भुगतान करता था, जो घटकर अब 5 हजार रुपये के करीब हो जाएगा।

वित्तमंत्री ने बजट को संतुलित रखने का भरसक प्रयास किया है, भले ही वामपंथियों के दबाव में ऐसा किया गया हो। रसोई गैस, रिफाइंड तेल तथा चाय आदि घरेलू वस्तुओं पर कर में की गई कटौती से जहां निम्न और मध्यम वर्ग को राहत महसूस हुई है वहीं चौका-चूल्हा से जूझती घरेलू आम महिलाओं के चेहरे की चमक भी लौट आई है। स्वागत करने योग्य पहलू यह है कि जहां वित्तमंत्री चिदंबरम ने सर्विस टैक्स से चार लाख की आमदनी तक के व्यावसायिक लोगों को छूट देकर मध्यम वर्ग को खुश किया है वहीं योजना व्यय में 29 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि करने के साथ ही रक्षा व्यय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है।

शिक्षा क्षेत्र में व्यय के लिए पिछले बजट में सरकार ने दो प्रतिशत का अधिभार लगाया था, कुछ वैसा ही इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में किया गया है। यह बजन तम्बाकू, गुटका और सिगरेट पीने वालों पर डाला गया है जिससे विरोध की गुंजाइश नहीं बचती। इसके साथ ही सरकार के इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भारत निर्माण नाम से सिंचाई और सड़क सुविधाओं के विकास तथा आवास और पेयजल की परियोजनाओं को बढ़ावा देने की भी घोषणाएं की गई हैं।

आर्थिक सुधारों पर वित्तमंत्री का अधिक जोर नहीं देना सरकार को वामपंथी दलों के समर्थन की वजह माना जा सकता है। श्रम कानूनों में परिवर्तन के बजाय सूती कपड़ा के क्षेत्र में कुछ नए प्रयोग करने की सरकार की मंशा प्रतीत होती है। चूंकि सूती कपड़ों की कोटा प्रणाली इसी वर्ष समाप्त हुई है, इसलिए इसे विश्व बाजार में भारतीय कपड़ा निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के रूप में ही माना जाएगा। यूपीए सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जिस बात का उल्लेख किया गया था सरकार ने उसे बखूबी पूरा करने का प्रयास किया है और इस बात को स्वीकार भी किया है कि भारत में कराधान विश्व के अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। बाजार को मंदी से बचाने और उद्योगों को ग्लोबल मार्केट में जमाने के लिए बजट काफी मुखर है, विकास दर को कैसे और किस के दम पर हासिल करेंगे, अथवा वित्तीय घाटे पर किस तरह अंकुश रख पाएंगे, बजट में फिलहाल इसे रहस्य ही बनाए रखा है।

चिदंबरम के इस बजट से ढांचागत विकास को नई दिशा मिल रही है। ऐसी स्थिति में हवाई अड्डों, बंदरगाहों, राष्ट्रीय मार्गों तथा सुपर हाइवे के विकास को नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हालांकि देश में आर्थिक असमानता, बढ़ता भ्रष्टाचार एवं सरकार की फिजूलखर्ची रोकने के लिए भले ही चिदंबरम कोई फार्मूला इजाद नहीं कर पाए फिर भी बजट को संतुलित बनाए रखने की पूरी कोशिश की गई है। कुल मिलाकर यह बजट मध्यम एवं निम्न वर्ग को उत्साह प्रदान करने वाला ही कहा जाएगा।

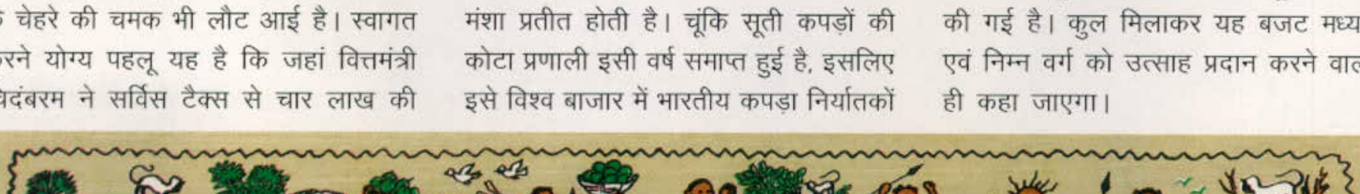

ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे में सुधार लाने के लिए भारत निर्माण विशेष पैकेज सरकार का स्वागतयोग्य कदम है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति तेज होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ग्रामीण दूरसंचार सुविधाओं की वृद्धि होगी तथा लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार आएगा। स्वास्थ्य शिक्षा, पेयजल के लिए और अधिक धनराशि के प्रावधान से आम आदमी का कल्याण सुनिश्चित होगा। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पहली बार केन्द्रीय बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कार्यक्रम को शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत 6253 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित बनाएगा।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 5000 करोड़ रुपये से पिछड़ा क्षेत्र विकास कोष गठित किया गया है, जिससे इन क्षेत्रों का तीव्र विकास सुनिश्चित होने की उम्मीद है। 100 करोड़ रुपये की लागत से प्रत्येक गांव के लिए ज्ञान केन्द्रों की संस्थापना का प्रावधान भी स्वागत योग्य कदम है, जिसके अंतर्गत प्रदेशों की लगभग 71 प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित होगी। कपड़ा उद्योग की मशीनों तथा रैफरीजरेटर वैन के लिए आपातकर में कमी को भी सराहा गया है क्योंकि इससे कॉटन उद्योग तथा फल उत्पादक लाभान्वित होंगे। आयकर में बचत सीमा एक लाख रुपये करने का भी स्वागत हुआ है इससे वेतनधारियों को लाभ मिलेगा। रक्षा बजट को 3400 करोड़ रुपये करना सरकार की देश की सुरक्षा के प्रति वचनबद्धता को दोहराता है।

वित्तमंत्री चिदंबरम इस बजट में बड़े शहरों और गांवों पर खासे मेहरबान दिखाई दिए हैं। शहरों के पुनर्निर्माण के लिए जहां विशेष योजना जारी की गई वहीं शहरवासियों को भी कई योजनाएं दी गईं। एक तरफ जहां सरकार ने गरीबों को मकान मुहैया करवाने पर अधिक जोर दिया है वहीं गांवों के विकास के लिए सरकार इस बजट में बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है।

इस बजट में महिला शक्ति दिवस का विशेष ध्यान रखा गया है तथा हर वर्ग की महिलाओं को विशेष राहत दी गई है। जैसे जगह–जगह आंगनवाड़ियां खुलवाना, गूढ़ देहाती इलाकों में ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं के दिवस तथा रात्रि शिक्षा का विशेष प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकारों को असमर्थ महिलाओं के लिए जो शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर होना चाहती हैं उन्हें गैर सरकारी संस्थाओं से धन मुहैया कराने का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे उनका शैक्षणिक विकास होगा। शहरों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनहित के लिए व्यापक स्वास्थ्य योजनाएं भी इस बजट में संकेतिक हैं। अभी हाल ही में गणतंत्र भारत के राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम ने संसद को संबोधित करते हुए ग्रामीण रोजगार योजनाओं की वकालत की थी। इसी संदर्भ में संसद के केन्द्रीय कक्ष में अपने प्रशंसकों से घिरे बैठे केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह से जब बजट में ग्रामीण पहलुओं से संबंधित विषयों पर जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुक्त कंठ से चालू बजट में उल्लेखित ग्राम सुधारों की विभिन्न प्रस्तावित योजनाओं का स्वागत किया। उनका कहना था कि भारत की आधी से अधिक जनता गांवों में रहती है। गांव की खुशहाली और तरक्की सारे देश का प्रतिविम्ब हो सकता है।

खासकर वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं को प्रो. रघुवंश प्रसाद सिंह ने वित्तमंत्री महोदय की दूरदृष्टि का क्रियान्वयन बताया। उनके विचार में वरिष्ठ व्यक्तियों की सेवा ही नारायण की सेवा है। जिसकी ओर केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बहुत ही शालीनता से पहल का प्रस्ताव रखा है।

ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की बातों में एक मिशन जैसा संकेत था। वस्तुतः बजट प्रस्तुतिकरण तो संसद की एक आवश्यक प्रक्रिया है और प्रत्येक देश की संसद के लिए विधायी नियम है। इस संबंध में वित्तमंत्री को बहुत सारे आंकड़े जुटाने पड़ते हैं जिनमें जनहित का संकेत होता है। खासकर ग्राम्य अंचल के उन वर्गों के लिए जो निरंतर श्रमरत रहते हैं, उन्हें राहत देने की योजना का प्रस्ताव किया जाता है। चूंकि वित्तमंत्री स्वयं एक विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री हैं अतः इस दृष्टि से ग्रामोन्मुखी प्रतिमानों को नया रूप देने का प्रयास वित्तमंत्री ने किया है।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने देहरादून में भाषण करते हुए कहा था:– बहुत मुश्किलों और शहादतों के बाद अपने सिर आजादी का सेहरा बांधा है। यह आम आदमी की जिम्मेदारी है कि यह सेहरा उनके ही सिर बंधा रहे। हमारा लोकतंत्र एक मंदिर की तरह है जहां नियम आचरण और मर्यादा का पालन होता है। हमारी आंखें तब डबडबा जाती हैं जब मैं गांवों के किसानों को गमगीन पाता हूं। फिर इस आजादी का अर्थ क्या, मायने क्या। हम यह मानकर चलें कि जब तक हर दुखती आंखों को रोशनी का संकेत न मिले तो हमारा लक्ष्य अधूरा माना जाएगा। ❑

(लेखक भारतीय संसद के वरिष्ठ संवाददाता हैं।)

बजट 2005-06 और ग्रामीण भारत

वेद प्रकाश अरोड़ा

वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम का 2005-06 का बजट संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का पहला पूरा जन-जन से जुड़ा विकासपरक, राजस्व और राजकोष के घाटों को विवेक सम्मत सीमाओं तक ले जाने वाला संतुलित, वामपंथी विचारों और नव-उदारवादी चिंतन में समायोजन का लेकिन साथ ही बहुआयामी बजट कहा जा सकता है। पिछले वर्ष अप्रैल-मई के लोकसभा चुनाव में परिवर्तन का जनादेश मिलने के बाद 8 जुलाई को संसद में पेश किया गया बजट और उससे पहले 3 फरवरी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के वित्तमंत्री जसवंत सिंह द्वारा प्रस्तुत बजट दोनों ही आधे-अधूरे तथा संक्षिप्त अवधि के बजट थे। श्री चिदम्बरम के गत जुलाई वाले बजट में तत्कालीन कार्यक्रमों को तब तक चलने दिया गया जब तक योजना आयोग समग्र परिदृश्य तथा विभिन्न योजनाओं ओर कार्यक्रमों का जायजा न ले ले और राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुरूप आय-व्यय प्रणाली तैयार न कर ले। लेकिन इस बजट में नई सरकार और नए वित्तमंत्री की छाप साफ दिखाई देती है। नए वित्तवर्ष का बजट उनके ही 1997-98 के बजट की तरह स्नेहिल और स्वपनिल है या किसी मंजे टैक्नीशियन का बजट जिसमें विभिन्न कर-विशेषज्ञ समितियों के सुझाव को पूर्ण रूप दिया है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि इस में दूसरी पीढ़ी के सुधारों की गति मंद पड़ गई है और सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश की हल्की चर्चा तक नही की गई है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा घटक दलों की पसंद-नापसंद को ध्यान में रखते हुए इसमे योजनाओं और कार्यक्रमों को लिया गया है। यह भी प्रयास किया गया है कि उन कमियों और खामियों से कैसे उबरा जाए, जिनका जिक्र बजट-पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में है। यह वार्षिक सर्वेक्षण स्थिति का दर्पण होता है जो बताता है कि देश आज कहां खड़ा है और वह जिस मुकाम पर खड़ा है, उसकी जमीन मजबूत है या नही। अगर नही तो क्यों। आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि पिछले वर्ष अर्थ-क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में देश ने क्या खोया क्या पाया। क्या अच्छाई रही और क्या बुराई। बजट इस सारे घटनाक्रम से सीख लेते हुए नए वित्तवर्ष की दिशा, दर्शन और चाल का निर्धारण करता है तथा प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

नए वित्तवर्ष के बजट पर नजर डालने पर हम पाते हैं कि इस आम बजट की खास खूबी यह है कि यह बजट काफी हद तक गांवों, ग्रामवासियों और ग्राम, भारत को केंद्र में रखकर बनाया गया हैं। इसमें ग्रामीण विकास विभाग लिए योजना-व्यय को 2004-05 के 13,885.40 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से बढ़ाकर 18,334 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 4,448.60 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाती है कि मदों में घट-बढ़ के बावजूद स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की विभिन्न परियोजनाओं को कितना अधिक महत्व प्रदान किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग को इन और अन्य योजनाओं के द्वारा गांवों के चहरे को निखारने, गांववालों के जीवन में मुस्कान लाने तथा वहां के बच्चों-बजुर्गों की जीवन यात्रा सुखमय बनाने, चारों तरफ के पर्यावरण में गुलाबी रंग का पुट भरने, स्वच्छ पानी की आपूर्ति तथा घासफूस के घरों की जगह पक्के मकान बनाने जैसें अनेक जनहित कार्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। गांव के किसानों, खेत मजदूरों, अन्य श्रमिकों को दो जून रोटी के लिए बहुत भागदौड़ न करनी पड़े और कम-पोषण तथा निरक्षता का अभिशाप व्याप्त न हो तो जीवन की राहें और भी आसान हो जाती हैं। गांवों की दशा सुधारों के के लिए नई सरकार ने क्या प्रावधान किए है :-

वायदों की पूर्ति

वित्तमंत्री श्री चिदम्बरम ने अपने बजट में बताया है कि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लिए दिए गए अपने वायदे काल-करार या तो पूरी तरह निभाये हैं या फिर उन से भी अधिक पायदान पर चढ़कर काम पूरे कर दिखाये हैं।

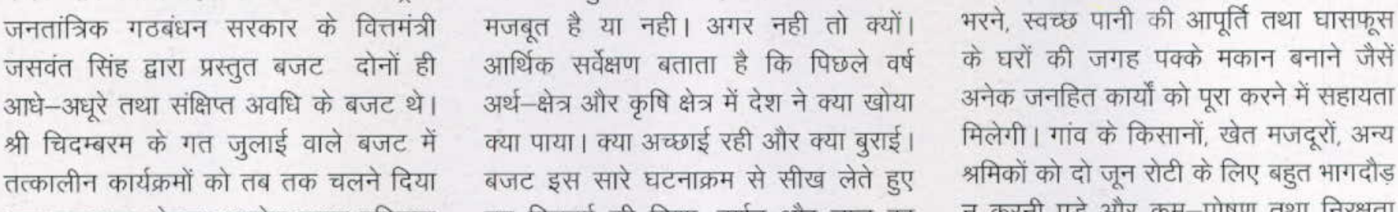

ये सभी वायदे वर्ष 2004–05 के हैं। अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी परिवारों की संख्या डेढ़ करोड़ परिवारों से बढ़ाकर 2 करोड़ परिवार करने का वचन परवान चढ़ चुका है। वायदे के अनुसार काम के बदले अनाज देने का पुनगर्ठित कार्यक्रम 14 नवम्बर 2004 को 150 जिलों में आरंभ कर दिया गया। एक अन्य निर्णय को मूर्त रूप देते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक संसद में पेश कर दिया गया है सरकार ने कृषि–प्रांतों को 30 प्रतिशत बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया था तथा इस के लिए 105000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन वास्तविक ऋण राशि उससे भी अधिक हो रही है, क्योंकि इस वक्त तक 108.500 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में दिए जा चुके हैं। यह राशि लक्ष्य से 3500 करोड़ रुपये अधिक हैं। बैंकों में किसानों के धन जमा कराने के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने उधारकर्ता पोर्टफोलियों में 58 लाख 20 हजार नए किसान शामिल किए हैं। स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा को लोकप्रिय बनाते हुए ऐसे एक लाख 85 हजार समूह बनाने के लक्ष्य से भी अधिक दो लाख 26 हजार समूहों का गठन ही नहीं हुआ, बल्कि उन्हें 1,197 करोड़ रुपये के कर्ज भी दिए गए। शहरों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण देने में भी उदारता बरती गई। 31 दिसम्बर 2004 तक 2249 करोड़ रुपये के एक लाख 40 हजार ऋण दिए गए जबकि इससे पिछले वर्ष 1,983 करोड़ रुपये के एक लाख आठ हजार ऋण दिए गए। चाहे शहर के स्कूल हों या गांव के, उनमें पढ़ने वाले बच्चों को सक्षम बनाने और बीच में ही पढ़ाई छोड़ने से निरुत्साहित करने के लिए अब 11 करोड़ बच्चे मिड डे मील कार्यक्रम से लाभ उठाएंगे। अभी यह संख्या लगभग छह करोड़ है। सामाजिक उन्नयन को महत्व देते हुए मानव संसाधन मंत्रालय के बजट में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है 22,268 करोड़ रुपये की राशि में से 1,253 करोड़ की रकम प्राथमिक शिक्षा के लिए रखी गई, एक स्थाई शिक्षा कोष भी बनाया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में यह सबसे लम्बी छलांग है। बजट की चाहे जो भी योजना हो हरेक में आम नागरिक पर ध्यान केंद्रित किया गया है भले ही वह किसान हो, मजदूर हो या विद्यार्थी या फिर रोटी–रोजी कमाने वाली महिला अथवा काम की तलाश में भटक रहा बेरोजगार। गरीबी की रेखा से नीचे जिंदगी बसर कर रहे लोगों को ऊपर उठाना और बेरोजगारी पर सीधा प्रहार करना ही आम आदमी को तत्काल राहत देने का एक मात्र रास्ता है। गरीबी उन्मूलन का प्रधान लक्ष्य सामने रखते हुए ही राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सरकार को सात–आठ प्रतिशत विकास दर हासिल करने का निर्देश दिया गया है। इसी कार्यक्रम में सभी को शिक्षा देने और स्वास्थ्य की देखभाल करने तथा प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को वर्ष में एक सौ दिन रोजगार देने की व्यवस्था करने का भी निर्देश है। स्वास्थय सेवाओं के अंतर्गत आंवटित राशि का 31 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है। इसी मूल उद्देश्य से प्रेरित हो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने नौ महीने की छोटी सी अवधि में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार वर्ष 2004–05 में विकास दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। विनिर्माण क्षेत्र का विकास 8.9 प्रतिशत की दर से होने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति वर्ष 2004 में 28 अगस्त को 8.7 प्रतिशत की ऊंची दर को स्पर्श करने लगी थी, लेकिन रिजर्व बैंक के मौद्रिक तथा सरकार के गैर–मौद्रिक उपायों से यह लगातार कम होते हुए आज पांच प्रतिशत से भी कम है।

भारत निर्माण

इस नवनिर्माण का शंखनाद पहले राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने 25 फरवरी को बजट सत्र के उदघाटन भाषण में किया और बाद में उसकी गूंज वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम के बजट भाषण में सुनाई दी। राष्ट्रपति के भारत निर्माण की रूपरेखा बहुआयामी थी। इस में कृषि में घटते निवेश का रुझान बदलना, किसानों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाना, देहाती इलाकों में स्वास्थ्य की देखभाल और शिक्षा के लिए अधिक निवेश करना, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना जिन्सों के लिए वायदा बाजार स्थापित करना, खेती और ग्रामीण व्यवसायों में जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना भी शामिल है। वित्तमंत्री के शब्दों में भारत निर्माण की परिकल्पना एक कामकाजी कारोबारी योजना के रूप में की गई है। इसे विशेष रूप से ग्रामीण भारत मे आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए चार वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। योजना के छह हिस्से होंगे जैसे :– सिंचाई, सड़कें, जल–आपूर्ति, आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूर–संचार सम्पर्क। इनमें से प्रत्येक–क्षेत्र के लिए वर्ष 2009 तक पूरे किए जाने वाले ऊंचे लक्ष्य निधारित करने होंगे। अभी इस दिशा में सरकार ने ये भौतिक लक्ष्य अपने सामने रखे है –

- एक करोड़ हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुनिश्चित व्यवस्था करना।
- एक हजार या पांच सौ की आबादी वाले पर्वतीय/जनजातीय गांवों को सड़कों से जोड़ना।
- गरीबों के लिए 60 लाख अतिरिक्त मकान बनाना
- पेयजल से वंचित बाकी 74,000 बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था करना
- बाकी सवा लाख गांवों तक बिजली पहुंचाना और 2 करोड़ 30 लाख परिवारों को बिजली के कनक्शन देना तथा

● बच रहे 66,822 गांवों को टेलीफोन से जोड़ना।

भारत निर्माण एक वृहद योजना होगी, जिसके लिए विशाल संसाधनों की आवश्यकता होगी लेकिन सरकार का मानना है कि यह योजना पूरी क्रियान्वित होगी। क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को पूरी तरह जोड़ा जायेगा और उनका सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

रोजगार

अगले पांच वर्षों में एक करोड़ हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई कार्यों से एक करोड़ और लोगों को रोजगार मिलेगा। यह आंकड़ा प्रति हैक्टेयर में एक व्यक्ति को रोजगार देने के आधार पर लगाया गया है। निरंतर विकसित हो रहे खाद्य प्रसंसकरण उद्योग मे प्रत्येक वर्ष ढाई लाख रोजगार उत्पन्न होंगे। अकेले कपड़ा उद्योग मे अगले पांच वर्षों में एक करोड़ 20 लाख नौकरियां पैदा होने की क्षमता है। सूचना टैक्नोलॉजी क्षेत्र में वर्ष 2009 तक 70 लाख नए लोगों को रोजगार मिल सकेगा इसी तरह निर्माण उद्योग में लाखों लोगों को रोजगार मिलने की आशा है। निस्संदेह सरकार रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाले क्षेत्रों पर सर्वाधिक ध्यान देगी। समन्वित बाल विकास सेवाओं का विस्तार कर 188168 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्र खोले जायेंगे जहां एक तरफ छोटे बच्चों को पूरक पोषक आहार दिया जाएगा, वहां दूसरी तरफ लाखों व्यक्तियों को रोजगार भी मिल सकेगा।

राष्ट्रीय पेयजल मिशन

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अधीन अभी 31,355 ग्रामीण बसावटों में पीने के पानी की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। नए वित्त वर्ष मे नई बसावट को पेयजल प्रदान करने पर जोर दिया जायेगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में लगभग 2 लाख 16 हजार बस्तियों में जल की गुणवत्ता भी सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस मिशन के लिए व्यय राशि वेतनमान 3,300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर नए वित्तवर्ष के लिए 4,700 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है इसी तरह पूर्ण स्वच्छता अभियान सभी जिलों में शुरू कर दिया जायेगा। अभी यह 452 जिलों में लागू है।

सम्पूर्ण आर्थिक विकास की अपनी बचनबद्धता और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सशक्तिकरण योजना के तहत इन जातियों के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट संस्थाओं में प्रवेश के लिए बड़ी छात्रवृति तथा चुनींदा विश्वविद्यालयों में एम. फिल और पी.एच.डी पाठ्यक्रमों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप शुरू की जायेगी। इन जातियों के लिए मैट्रिक पूर्व, मैट्रिकोत्तर और योग्यता आधारित तीनों छात्रवृति योजनाएं पूर्ववत जारी रहेंगी। बजट में पिछड़े क्षेत्रों की हालत सुधारने के लिए एक अनुदान कोष बनाने की भी घोषणा की गई है। विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक समिति ने 170 पिछड़े जिलों की पहचान की है। इस कोष से बिहार के पिछड़े जिलों की भी सहायता की जायेगी।

कृषि

सभी कार्यों क्षेत्रों के विकास और निर्माण कार्यों के लिए धन की नितांत आवश्यकता होती है। उद्योग क्षेत्र की तरह कृषि क्षेत्र और उस के बुनियादी ढांचे के विकास में सरकारी और गैर सरकारी पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जायेगा ताकि कृषि विस्तार विविधीकरण और मूल्यवर्धन को गति मिल सके। देश की दो तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर होने और वर्ष 2003–04 में इस क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 21 प्रतिशत का योगदान होने के कारण किसानों की समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन कृषि, राज्यों का विषय होने के कारण उसमें अधिकतर सार्वजनिक निवेश राज्य स्तर पर होना है और राज्यों को केन्द्र सरकार का समर्थन एक प्रेरक और प्रोत्साहनकर्ता की हैसियत से होता है। यही कारण है कि केंद्र जिन तीन मुख्य उत्पादों पर बजट के तहत उत्पन्न अन्य प्रकार से प्रत्यक्ष सब्सिडियां देता है, उनमे पैट्रोलियम के साथ–साथ खाद्य और उर्वरक भी शामिल हैं। इन प्रोत्साहनों के कारण कृषि क्षेत्र में विविधता अभियान में तेजी भी आ रही है। जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने और सरकारी खरीद से किसानों को उनकी पैदावार के समुचित दाम मिलते हैं, वहां सरकारी सुविधा और सहायता के सहारे अनाजों के अलावा दूसरी फसलों को उगाने की ओर भी किसान तत्पर होते जा रहे हैं। कृषि मंत्रालय भी इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर रहा है अब फलों, सब्जियों, फूलों, दुग्घ उद्योग केंद्रित किया जा रहा है कट–फूलों पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर देने से हमारे फूल उत्पादकों को राहत दी गई है। पिछले बजट में घोषित बागबानी मिशन आगामी पहली अप्रैल से काम करने लगेगा। इसके तहत अनुसंधान, उत्पादन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन प्रसंस्करण और विपणन के सभी काम एक ही छतरी के नीचे समन्वित रूप से किए जायेंगे। बागान क्षेत्र में चाय और कॉफी जैसी वस्तुओं में कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन उसे अभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है एक कारण यह है कि मूल्य स्थिरीकरण कोष कारगर प्रमाणित नही हुआ है। इसे देखते हुए चाय उत्पादकों को राहत देने कि लिए बजट में एक किलो चाय पर एक रुपये का अधिभार समाप्त कर दिया गया है। उधर रिफाइंड यानी परिशोधित तेलों पर एक किलो पर एक रुपये और वनस्पति पर सवा रुपये प्रतिकिलो उत्पादन शुल्क हटाने से उपभोक्तताओं को भी राहत मिलेगी। इनके

सस्ता होने की आशा बंध गई है। जहां तक खेतों को पानी देने का सम्बंध है, जलाशयों की मरम्मत, बहाली और नवीकरण की राष्ट्रीय परियोजना से नौ राज्यों के 16 जिलों मे 20 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि इसी वर्ष मार्च से परीक्षण के रूप में सींची जाने लगी है। एक तरफ त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वयन के अंतिम चरण वाली परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जायेगा, तो दूसरी तरफ सूक्ष्म सिंचाई टैक्नालोजी के तहत टपकाव छिड़काव प्रणाली का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा।

रही बात कृषि ऋणों की तो इन का प्रवाह दोगना कर दिया जायेगा। अधिक कृषि ऋणों का वितरण सहकारी बैंकों के खस्ता हाल के बावजूद किया जायेगा। गए वित्त वर्ष में वाणिज्यिक बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सरकारी बैंकों से ऋण प्रवाह में 30 प्रतिशत और वृद्धि करने का प्रस्ताव है। किसानों को कर्जों से सहायता देने के साथ ही मौजूदा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2005–06 के खरीफ और रवी मौसमों के लिए लागू रहेगी ताकि किसानों की सूखे, ओला दृष्टि और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में सहायता करने में कोताही न हो। सरकार बीमा–क्षेत्र के लाभ को ग्रामीण भारत और कमजोर वर्गों को भी देने का विचार कर रही है। इसके लिए गैर–सरकारी संगठनों स्वयं सहायता समूहों, सरकारी संगठनों ओर सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को सूक्ष्म बीमा एजेंट बनाया जायेगा। कृषि अनुसंधान कार्यों के लिए राष्ट्रीय कोष बनाने का भी प्रस्ताव है।

बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान एक युग प्रवर्तक कदम है, 'पुरा' नाम की इस योजना में एक साथ कई निशाने साधे जाएंगे बेरोजगारी का प्रकोप कम होगा, मंडियों से दूरी मिट जाएगी विविध सम्पर्कों का अभाव मिट जाएगा तथा शहरों की और पलायन रुक जाएगा। इसके तहत विकास क्षेत्रों और केन्द्र बनाए जाएंगे। उद्योग समूहों के आसपास के इलाकों में असंगठित उद्योगों की स्थापना से न सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा बल्कि रोजगार के अवसरों में कल्पनातीत वृद्धि होगी। वैसे भी लघु उद्योग क्षेत्र की 108 वस्तुओं को आरक्षण सूची से निकाल देने के बाद उनके लिए पूंजीगत सब्सिडी बढ़ा देने से ये उद्योग नए माहौल में मजबूती से आगे कदम बढ़ा सकेगी।

दूरसंचार

दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार हो जाने से पांच लाख 20 हजार ग्रामीण पब्लिक टेलीफोन लगाए जा चुके हैं। अगले तीन वर्षों में बाकी के 66,882 राजस्व गावों में भी भारत संचार निगम लिमिटेड टेलीफोन लगाएगा। बजट में सड़कों के विस्तार के लिए कदम उठाए गए हैं। नए वित्त वर्ष में चार हजार किलोमीटर के चार लेन वाले मार्ग बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना मुस्तैदी से लागू करने के लिए पैट्रोल और डीजल पचास पैसे प्रति लीटर बढ़ाया जा रहा है लेकिन पैट्रोलियम की सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर देने से कुछ राहत मिल सकती है। लगभग 80 संगठनों ने स्वाधीनता दिवस की 60वीं वर्षगांठ तक हर गांव में एक ज्ञान केंद्र खोलने का फैसला किया है। इनमें आधुनिक सूचना और संचार टेक्नालॉजी का उपप्रयोग किया जाएगा। नए वित्त वर्ष में ग्राम विद्युतीकरण के व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत पांच वर्षों में सवा लाख गांवों में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक गांव में कम से कम एक वितरण ट्रांसफार्मर लगाया जायेगा। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत नए वर्ष में साढ़े 27 अरब रुपये से मकान बनाये जायेंगे जो पिछले वर्ष की तुलना में ढाई अरब रुपये अधिक है। लेकिन बिल्डरों द्वारा 12 से अधिक रिहायशी इलाकों वाले नियोजित आवासीय परिसरों के निर्माण को नए सेवाकर के दायरे में लाया गया है। बुनकर बीमा योजना का लाभ अभी दो लाख बुनकर ही उठा रहे हैं। अगले दो वर्षों में यह संख्या दस गुना अर्थात् 20 लाख हो जायेगी। नए वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कपड़ा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपये अधिक यानी 30,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा। प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना के लिए 435 करोड़ रुपये अधिक आवंटित किए जायेंगे कपड़ा मशीनों पर आयात शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत कर कपड़ा उद्योग को अधिक स्पर्धात्मक बनाया जायेगा।

कुछ भागों में लगातार सूखा पड़ने से खराब स्थिति मे चल रहे चीनी उद्योग में नई जान फूंकने के लिए वित्तीय पैकेज घोषित किया गया है। मिलों को अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए मूलधन और ब्याज के भुगतान में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।

औषध निर्माण और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रत्युक्त होने वाली नौ तरह की विशिष्ट मशीनों पर कस्टम डयूटी घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है। इन मशीनों की आमद बढ़ने से इन दानों क्षेत्रों को बहुत सहायता मिलेगी और उनके विश्व में अग्रणी बनने में सहायता और प्रोत्साहन मिलेगा। भेषज उद्योग के लिए डेढ़ अरब रुपये से बने अनुसंधान और विकास कोष से रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी।

संक्षेप में कह सकते हैं कि कहर बरपाने वाली सुनामी लहरों, पैट्रोलियम मूल्यों मे रिकार्ड तोड़ वृद्धि और दक्षिण–पश्चिम मानसून में अप्रत्याशित 13 प्रतिशत की कमी के बावजूद बजट ग्रामवासियों के लिए वरदान बन गया है। कल्याण कार्यों और विकास कार्यों के दोतरफा अभियान से शहरी भारत के साथ–साथ ग्रामीण भारत सही अर्थों में विकसित राष्ट्र बन जायेगा। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

बजट 2005-06 : परंपरा और परिवर्तन

पुष्पेश पंत

आज से कुछ बरस पहले तक राष्ट्रीय बजट की तैयारी बहुत गोपनीय तरीके से की जाती थी और संसद के विशेष सत्र में इसका विशेष पेश किया जाना नाटकीयता का पुट लिए रहता था। पूरा राष्ट्र सांस रोके, टकटकी लगाए रहता था–यह जानने की प्रतीक्षा में कि आज आधी रात से क्या महंगा हो जाएगा क्या कुछ सस्ता होने की संभावना है। सिगरेट–बीड़ी, चाय–चीनी से लेकर पेट्रोल–रसोई गैस, टी.वी.–फ्रिज वगैरह की कीमतें बजट के अनुसार बदलती थीं और कई चीजें तो इन दिनों बाजार से गायब होने लगती थीं–जमाखोरों की महरबानी से। यह सब औपनिवेशिक शासन की विरासत थी और आजादी के ठीक बाद वाले तंगी–अभाव के दौर की मजबूरी। इस पंरपरा को पुष्ट किया था केन्द्रीय नियोजन वाली अर्थव्यवस्था ने, नौजवानों के लिए यह किस्से सुने–सुनाए हैं, व्यक्तिगत अनुभव नहीं। जब से आर्थिक सुधारों और उदारीकरण का दौर शुरू हुआ है देश की आर्थिक व्यवस्था और नीति निर्धारण का तरीका तेजी से बदल गया है। फिलहाल महत्वपूर्ण फैसले वर्ष भर कमोबेश पारदर्शी रूप से होते रहते हैं और महत्वपूर्ण आर्थिक घोषणाओं के अनुसार विभिन्न उत्पादों के दाम घटते–बढ़ते हैं डीजल हो या पोलिस्टर कपड़ा या फिर विलासिता वाले उपभोग की चीजें। बजट में आम जनता की रुचि पहले जैसी नहीं रही। सिर्फ चन्द लम्हों के लिए वित्त मंत्री अपनी हाजिर जवाबी, शायरी या चुटकुलों से दर्शकों–श्रोताओं का मनोंरंजन कर एक रस्म अदायगी करता दिखाई देता है।

इस सबके बावजूद राष्ट्रीय बजट के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। वह आज भी हमारी जिन्दगी को 'निर्णायक' रूप से प्रभावित करता है बात आगे बढ़ाने के पहले कुछ बातें साफ करना जरूरी और उपयोगी हैं। घरेलू बजट में और राष्ट्रीय बजट में फर्क किया जाना चाहिए। आमदनी और खर्च को तत्काल संतुलित करने की ऐसी कोई मजबूरी वित्त मंत्री की नहीं होती जैसी बेचारी गृहिणी की। घाटे की अर्थ–व्यवस्था का महावरा इस यथार्थ को उजागर करता है। आप कह सकते हैं कि उपलब्ध संसाधनों को नजरअंदाज कर फिजूलखर्ची में मशगूल रहने वाले राष्ट्र की फाकामस्ती कभी रंग नहीं ला सकती और देर–सवेर पछताना ही पड़ सकता है मगर जमा–खर्च का हिसाब बराबर करने में माहिर विशेषज्ञ–सलाहकार और अर्थशास्त्री जटिल लफ्फाजी से इसकी पड़ता को जनता की पहुंच से परे पहुंचा चुके हैं। बजट का विश्लेषण अक्सर इससे इतर, अन्य प्रावधानों पर ही केन्द्रित रहता है। इस वर्ष का बजट भी इसका अपवाद नहीं।

अधिकांश लोगों का ध्यान इसी बात पर अटका रहा है कि व्यक्तिगत आयकर की दर में क्या फेर–बदल किया गया है। 'छूट' की सीमा कहां–कैसे घटी–बढ़ी है, इससे खर्च और बचत में क्या तब्दीली आएगी और सरकार के राजस्व पर क्या असर पड़ेगा? वित्त मंत्री ने पिछले वर्षों की 'परंपरा' को जारी रखते कर प्रणाली को सरल तथा अधिक उदार बनाने वाले लोकलुभावन ऐलान किए हैं। इनके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि विडंबना यह है कि एक अरब से अधिक आबादी वाले इस देश में, आयकर दाताओं की संख्या एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक आंकड़ा भर है। इनमें अधिकांश सरकारी नौकर हैं, शहरी–मध्यवर्गीय। काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था से जुड़े उद्यमियों को कर दाताओं के दायरे में लाने के लगातार प्रयत्नों के बाद भी इस दिशा में खास प्रगति नहीं हो सकी है। धारा 80 के तहत भविष्य निधि, जीवन बीमा आदि में निवेश कर करों में छूट पाने वाले व्यक्तियों को सीधे एक लाख रुपये का उपहार चिदंबरम ने भले ही दिया हो इसे 'प्रसाधन' ही कहा जा सकता है, शल्य चिकित्सा नहीं। महिलाएं हों, बुजुर्ग अथवा विकलांग हों इसके लिए विशेष राहतों की व्यवस्था है–पर यह भी नई पहल नहीं। जरा सी कतर–ब्यौंत ही है।

व्यावसायिक क्षेत्र में कंपनियों पर लगाए जाने वाले करों की दर भी निरंतर घटती रही है और चर्चा इसके प्रतिशत तक ही सिमटा रह गया है। सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क आदि के संदर्भ में आज सरकार के हाथ बंधे हैं। विश्व–व्यापार संगठन वाली व्यवस्था में शामिल होने के बाद भारत इस बात के लिए वचनबद्ध है कि तमाम अनुदान क्रमशः समाप्त किए जाएंगे और कस्टम शुल्क की दर घटा कर दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों के बराबर की जाएगी। अधिकतम दर को 21 प्रतिशत से कम कर 15 प्रतिशत इसी फैसले के तहत किया गया है।

इस बात को नहीं भुलाया जा सकता कि 2005 का बजट एक साझा सरकार का बजट है। वित्त मंत्री को अपने भानुमती के जैसे कुनबे के विविध दबाव झेलने पड़े हैं। सबसे अधिक असरदार वामपंथी दल रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वैचारिक विरासत का 'बोझा' उदारीकरण और भूमंडलीकरण के हिमायती, 'बाजार के तर्क' को सर्वोपरि समझने वाले वित्त मंत्री और उनके नवरत्नों को ढोना पड़ा है। सुधारों को 'मानवीय' चेहरा(मुखौटा) देने के चक्कर में 'नीतियां' धुंधला गयी हैं। 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' के अनुसार सामाजिक–जनकल्याणकारी क्षेत्र में खर्च की कटौती संभव नहीं। बल्कि इसके लिए– शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना के निर्माण और ग्रामीण

विकास के लिए आबंटन बढ़ाने का दबाव रहा है। वित्त मंत्री ने 25,000 करोड़ रुपयों की 'अतिरिक्त' राशि का उल्लेख इस संदर्भ में किया है। घोषणा की असलियत की पड़ताल करें तो 'हाथ की सफाई' साफ नजर आती है। इस वर्ष के बजट की कुल आबंटित राशि पिछले बजट से करीब (सिर्फ) नौ हजार करोड़ रुपये अधिक है। बकाया 'अतिरिक्त' राशि कहां से आएगी सोचते रहने का विषय है। यह सिर्फ एक उदाहरण है। इस बात को भी भुलाया नहीं जा सकता कि बजट के प्रावधानों का निर्वाह कैसे होता है। हर वर्ष सामाजिक क्षेत्र के लिए आबंटित राशि का बड़ा हिस्सा बचा रह जाता है–विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के खाते में और फिर अफरा–तफरी मचती है मार्च के महीने में इसे 'निबटाने' के लिए। हालांकि आबंटित राशि के सदुपयोग की जिम्मेदारी अकेले वित्त मंत्री की नहीं फिर भी आबंटन के वक्त 'दिखावटी' और असली मदों की दावेदारी का मूल्यांकन उन्हीं का काम है। इस वर्ष के बजट में महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा अन्य वंचितों के विषय में उल्लेखनीय प्रावधान हैं। इन सभी के बारे में यह देखने लायक होगा कि वित्त मंत्री के बजटकालीन 'निर्देशों का पालन कैसे किया जाता है। एक बार फिर जोर देकर कहने की जरूरत है कि इन सभी मदों में पुरानी समाज कल्याण की योजनाओं का नया नामकरण ही नजर आता है – सतही नजर डालने पर। ब्यौरों और ठोस परियोजनाओं का अभाव है।

2005 के इस बजट में आर्थिक विकास के संदर्भ में क्षेत्रीय संतुलन को दूर करने का प्रयत्न भी किया गया है। बिहार, जम्मू–कश्मीर के साथ–साथ उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 'विशेष पैकेज' की व्यवस्था को दृढ़ किया गया है। सभी मंत्रालयों को अपने खर्च का 10 प्रतिशत हिस्सा पूर्वोत्तरी परियोजनाओं के लिए आंवटित–आरक्षित करने की राय दी गयी है। सामाजिक क्षेत्रों के लिए पूर्व निर्धारित खर्च की तरह यहां भी यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि 'प्रावधान' और 'क्रियान्वयन' में फर्क है। इसके साथ ही छोटे अक्षरों और पंक्तियों के बीच बांटने की बड़ी जरूरत हैं। हर वर्ष के तरह इस वर्ष भी 'नई बोतलों में पुरानी पेय' बेचने के लालच से बचना संभव नही रहा है। वित्तमंत्री की कोशिश रही है कि भले ही किसी एक तबके/सूबे को पूरी तरह खुश–संतुष्ट नही किया जा सके, हरेक असंतुष्ट को चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ लॉलीपॉप नुमा तोहफा थमा दिया जाय।

आज इस बात को सभी समझते हैं कि जिंदगी में न तो 'शुद्ध' राजनीति जैसा कुछ होता है और न ही विशुद्ध आर्थिक। दोनों अनिवार्यतः एक–दूसरे का पुट रहता है। तमाम नीति–निर्धारण इसी के अनुसार होता है। तब भी, तमाम आर्थिक प्राथमिकताओं को तवज्जो देने की दावेदारी के बावजूद वर्तमान बजट पर केंद्र सरकार के बहुदलीय गठबंधन पर काम कर रहे राजनैतिक समीकरणों का असर साफ दीखता है। शरद पवार हों या लालू यादव आज उनका 'प्रभुत्व' बजट को उसी तरह लचीला–लोकलुभावन बनाने में श्रम व्यर्थ करता है जैसे कभी तेलगु देशम के चन्द्र बाबू नायडू के असर से होता था।

एक और बहस पर टिप्पणी जरूरी है। अक्सर बजट चर्चा इस पर केन्द्रित है कि इस बार किसे ज्यादा मिला या नुकसान पहुंचा– किसानों को या उद्योगपत्तियों को ?

आज के हिन्दुस्तान में शहरों और गांवों के बीच की खाई वैसी और परस्पर विरोधी वैमनस्य भरी नहीं जैसी पहले समझी जाती थी। उद्योगों और खेती की अंतनिर्भरता भी असंदिग्ध है। यदि विकास की दर बढ़ानी है, रोजगार के नये अवसर पैदा करने हैं और जीवन स्तर सुधारना है तो किसी भी एक पक्ष–क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की जा सकती। पर विश्व–व्यापार के उतार–चढ़ाव और अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जटिलता के कारण इस मामले में 'स्वाधीन नीति निर्धारण क्षमता का क्षय निरंतर हो रहा है विदेशी–पूंजी निवेश, विनिवेश और निजीकरण के मिले–जुले असर से सरकार आज अर्थिक क्रिया कलाप की गति और दिशा निर्धारित करने में वैसी समर्थ नहीं जैसी दो दशक पहले तक थी। एक (तकनीकी काम काज करने वाले) क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की संभावना के साथ–साथ छोटे (अब तक आरक्षित) क्षेत्र में छटनी का संकट भी पैदा हुआ है। कार्य कुशलता और उत्पादकता बढ़ाने की दलील देकर श्रमिकों को बर्खास्त या रिटायर किये जाने की आशंकाएं निर्मूल नहीं। बैंकिंग हो, संचार या आवश्यक सेवाएं, ऊर्जा उत्पादन हो या सार्वजनिक वितरण प्रणाली इन सभी क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए आज बजट से इतर सरकारी फैसले ही निर्णायक भूमिका निभाते है। इसीलिए 'बजट' के इनसे जुड़े प्रावधानों, उसकी घोषणाओं का चर्चा अधिक सार्थक नहीं रह गया है।

हां एक बात की ओर ध्यान दिलाना जरूरी है। 83,000 करोड़ रुपये की राशि रक्षा की मद में रखी गयी है। इस बारे में लगता है ऐसी देशभक्त सर्वसहमति बन चुकी है कि कोई भी इस पर सार्वजनिक बहस नहीं करना चाहता 'विकास' बनाम 'विनाश' रोटी या बंदूक जैसे अंतर्विरोध आज बेमानी लगते हैं। वैज्ञानिक शोध, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार जैसे विषयों के लिए सिविल और सैनिक का फर्क नहीं रहा है। फिर भी यह सोचने की जरूरत है कि क्या 'आदतन' इस खर्च को कुल राष्ट्रीय उत्पाद/उपलबध राजस्व एक तय निरंतर बढ़ती प्रतिशत के अनुसार आंवटित किया जाना परमावश्यक या अनिवार्यता है ? रक्षा–खर्च के लाभ–लागत के विश्लेषण का अवकाश यहां नहीं पर तब भी हम यह जरूर सुझाना चाहेंगे कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार की बातों का संयोग बढ़े प्रतिक्षा बजट से नही बैठता और न ही आज (परमाणविक परिप्रेक्ष्य में) पुराने लाव–लश्कर पर फिजूल खर्ची समझदारी है। सामरिक क्षमता और खर्चीली फौज एक दूसरे का पर्याय नहीं। इस विषय पर सार्वजनिक बहस की जरूरत बची है।

वित्तमंत्री आर्थिक मामलों के जानकार प्रबंधक ही नहीं सफल वकील भी हैं। कमजोर मुकदमे को भी प्रभावशाली ढंग से जजों के सामने पेश करने में माहिर भी है पर यह कहना ठीक नहीं कि उनका यह 'बजट' सिर्फ चतुराई दर्शाता है। यह हकीकत है कि हमें उपलब्ध विदेशी मुद्रा का भंडार विपुल है और मूल्य वृद्धि फिलहाल नियंत्रण में है। आशावादी तेवर निर्मूल नहीं। जरूरत इस बात की है कि आर्थिक नीतियों को विचलित पदभ्रष्ट होने से रोकने में कसर न हो और चुनावी राजनीति के दबावों को 'बजट' पर हावी ना होने दें। याद रहे सरकार का काम व्यापार नहीं पर बाज़ार को भी सरकार नही बनने दिया जा सकता। ❑

(लेखक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं)

सपनों और हकीकतों का 'भारत निर्माण'

साज़िया आफरीन

बजट का अर्थ है निम्न वर्ग की मूलभूत जरूरतें, मध्यम वर्ग के सपने और उद्योग जगत की उड़ानें। डेढ़ दशक पहले तक बजट को लेकर निम्न और मध्य वर्ग के मन में किसी तरह की उथल–पुथल नहीं थी, मगर अब समय बदल गया है। साल भर तक अपने घरेलू बजट से जूझने वाला मध्य व निम्न वर्ग देश का सालाना बजट आने से कुछ पहले ही तरह–तरह की उम्मीदें पाल बैठता है। हालांकि इन उम्मीदों के पूरा न होने की व्यावहारिक कुलबुलाहट उसे हमेशा परेशान किए रहती है। यह कुलबुलाहट उसके दैनिक और सालाना अनुभव का ही नतीजा है। बहरहाल, वित्तमंत्री पी. चिदंबरम द्वारा पेश वर्ष 2005–06 के बजट में इस बार भी सरकार ने विकास की गंगा को ग्रामीण इलाकों तक ले जाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना 'भारत निर्माण' लागू करने की घोषणा की है। यह योजना चार साल में लागू की जायेगी और इसके तहत छह क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस योजना के तहत ग्रामीण टेलीफोनी जैसी बुनियादी सेवाओं का विकास किया जाना है। सरकार की योजना के तहत एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई मुहैया कराना, निर्धनों के लिए 60 लाख अतिरिक्त आवासों का निर्माण, मैदानी क्षेत्रों में एक हजार और पहाड़ी क्षेत्रों में 500 जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़क से जोड़ना एवं 66,822 गांवों को दूरसंचार सेवा से जोड़ना शामिल है। इसी तरह देश के 12,50,00 शेष गांवों को बिजली सुविधा उपलब्ध कराने की भी योजना है। वित्तमंत्री ने दावा किया है कि 'भारत निर्माण' योजना के कार्यान्वयन के लिए भारी संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिसे विभिन्न स्रोतों से जुटाया जायेगा। मौजूदा बजट पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक रोजगार सृजित करने वाले बजट के रूप में आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचार माध्यमों, विद्युत वितरण और सड़कों के निर्माण के लिए निर्धारित की गई योजना से इन क्षेत्रों में आधुनिक साजो सामान की पहुंच और बिक्री भी बढ़ेगी जिससे स्थानीय स्तर पर ग्रामोन्मुखी रोजगारों का विकास होगा। क्रय शक्ति बढ़ेगी। शहरी सामान गावों में आसानी से मिलने लगेगा। टेलीफोन, बिजली, टेलीविजन, सैटेलाइट, इंटरनेट जैसी सुविधाओं से भी गांवों को जोड़ने में मददगार सिद्ध होगा यह बजट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राशि को इस बार बजट में 71 प्रतिशत बढ़ाया गया है और पिछली बार की तुलना में इस बार 3,809.50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। गरीब निर्धन लोगों के लिए आवास, पेयजल, विद्युत व संचार के लिए जो राशि इस प्रकार है। एक लाख पचीस हजार गांवों में विद्युत पहुंचाई जाएगी और 66,822 गांवों को संचार से जोड़ा जाएगा।

बजट पेश करते समय इस बात पर भी रोशनी डाली गई कि भारत निर्माण तभी होगा जब समाज का उच्च और निम्न तबका पूरी तरह खुशहाल व सर्वसम्पन्न होगा। इसी के मद्देनजर अनुसूचित जाति व जनजाति को समाजिक रूप से पिछड़ने तथा शोषित होने से रोका जा सके। उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में टॉप क्लास एजुकेशन देने का भी संकल्प लिया गया है। सबसे अहम बात यह कि इस बार का बजट ग्रामीण विकास के आधारभूत ढांचा को पुख्ता करने की भरसक कोशिश लगती है। सन् 2004 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित राशि थी 13,885.40 करोड़ रुपये जो इस बार बढ़ाकर 18,353.87 करोड़ रुपये कर दी गई है यानी पिछली बार की तुलना में ग्रामीण विकास में 33 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

कृषि विकास के लिए रोडमैप : हमारे देश की दो तिहाई आबादी दरअसल कृषि पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में किसानों की समस्याओं को तत्काल दूर करने की आवश्यकता है ताकि कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसलिए इस बार के बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र के विविधीकरण के लिए एक रोडमैप तैयार करने की योजना रखी है ताकि परंपरागत कृषि उत्पादों जैसे दुग्ध, मत्स्यपालन, फल, सब्जी और फूल की खेती को प्रोत्साहित किया जा सके।

बागबानी मिशन : राष्ट्रीय बागबानी मिशन की शुरुआत एक अप्रैल से होने जा रही है। शुरुआत में सरकार इसके लिए 630 करोड़ रुपये मुहैया कराएगी।

बाढ़ और भू–क्षरण नियंत्रण योजना : सरकार ने बाढ़ नियंत्रण तथा पूर्वी उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़िसा और पूर्वोत्तर में भू–क्षरण को रोकने के लिए विशेष योजना तैयार करने की घोषणा की है। बैराज के लिए 52 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिये जाएंगे। एक टास्क फोर्स की रपट के आधार पर सरकार यह कदम उठा रही है।

गांव में बिजली : सरकार ने देश के 1.25 लाख गांवों को अगले पांच साल के दौरान बिजली मुहैया कराने के लिए विशेष उपायों की घोषणा की है। हर ब्लॉक में एक विद्युत उपकेंद्र तथा हर गांव में कम से कम एक ट्रांसफार्मर स्थापित करना सरकार का लक्ष्य है।

इंदिरा विकास योजना : इंदिरा विकास योजना की राशि 2,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,750 करोड़ रुपये कर दी गयी है।

बिहार को आर्थिक सहायता : सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में बिहार को विशेष सहायता के लिए लक्ष्य बनाते हुए 7,975 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की हैं। इसके अलावा भारत निर्माण योजना के तहत 66,822 गांव में टेलीफोन संपर्क कायम करने की योजना हैं।

बहरहाल वित्तमंत्री पी. चिदंबरम का यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं उनके लिए कोई ठोस कदम उठा पाएगा या फिर महज उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियों का अनुपालन करने वाला पिटारा साबित होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। ❑

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

केन्द्रीय बजट

आवश्यकता, महत्व और निर्माण की प्रक्रिया

डा. उमेश चन्द्र अग्रवाल

सरकार की राजस्व नीति का व्यावहारिक रूप सरकारी बजट के रूप में व्यक्त किया जाता है। "बजट" सामान्य तौर पर आगामी वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा सम्बन्धी दस्तावेज होता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में की गई व्यवस्था के अनुपालन में सरकार द्वारा प्रतिवर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन कभी-कभी कुछ विशिष्ट राजनैतिक परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं अथवा असामान्य घटनाओं के घटित होने पर पूरा बजट फरवरी में प्रस्तुत करने के स्थान पर इस समय एक अन्तरिम बजट प्रस्तुत करके अथवा लेखानुदान पास करके अथवा लेखानुदान मांगें पास कराकर आवश्यक सरकारी खर्चे हेतु व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाती है और पूर्ण वार्षिक बजट कुछ माह बाद उपयुक्त समय पर प्रस्तुत किया जाता है जैसा कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 में एन.डी.ए. सरकार द्वारा देश में वाले लोकसभा के चुनावों के मद्देनजर फरवरी 2004 में अन्तरिम बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया और केन्द्र नई सरकार गठित हो जाने पर 8 जुलाई 2004 में आम बजट नई सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया। बजट दस्तावेज में वर्तमान और प्रस्तावित कर ढांचे के आधार पर आने वाले वर्षभर के सम्भावित खर्चों और विभिन्न मदों के अन्तर्गत होने वाली आय का विवरण होता है। आय-व्यय के वितरण के अतिरिक्त बजट दस्तावेज को सरकार की आर्थिक नीतियों का प्रतिबिम्ब भी माना जाता है क्योंकि इस दस्तावेज में विभिन्न वर्गों के आर्थिक-सामाजिक विकास और कल्याण हेतु सरकार द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों का उल्लेख भी होता है।

व्यावहारिक अर्थों में बजट एक ऐसा सरकारी विवरण पत्र है जिसमें सरकार की गत वर्ष की आय-व्यय की स्थिति, चालू वर्ष में सरकारी आय-व्यय के संशोधन आंकलन, आगामी वर्ष की आय-व्यय के अनुमानित आंकड़े तथा आगामी वर्ष के आर्थिक समाजिक कार्यक्रम एवं आय-व्यय के घटाने-बढ़ाने के लिए प्रस्तावों का विवरण दिया होता है। हमारे संविधान में प्रतिवर्ष बजट को संसद से पास कारने की व्यवस्था निर्धारित करके सरकारी मशीनरी द्वारा वर्षभर में किये जाने वाले किसी कार्य भी व्यय के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य रखी गई है। अर्थात सरकार द्वारा वर्षभर में किए जाने वाले खर्चे पर संसद के नियंत्रण की सर्वोच्चता प्रदान ही गई है। कई बार सरकार को बजट में निर्धारित राशि के अतिरिक्त भी धनराशि व्यय करनी पड़ती है जिसके लिए सरकार संसद के समक्ष "पूरक मांगें" रखती है। अनुमानित बजट में उल्लिखित धनराशि से अधिक खर्च की जाने की स्थिति में संशोधित बजट अनुमान प्रस्तुत कर उसकी स्वीकृति प्राप्त करती है। कभी-कभी तो संसोधित अनुमान और वास्तविक रूप में व्यय हुई धनराशि में भी अन्तर रह जाता है अर्थात वास्तविक अधिक धनराशि खर्च हो जाती है, तब संसद ही इस वास्तविक खर्चे की भी स्वीकृति प्रदान करती है।

वास्तव में बजट केवल सरकारी व्यय का लेखा-जोखा ही नही होता बल्कि यह सरकार के आर्थिक दर्शन का प्रतिबिम्ब करने वाला एक प्रमुख आर्थिक उपकरण भी होता है। इसलिए बजट खर्च मोटे तौर पर दो भागों में बटा हुआ रहता है। पहले भाग में सरकारी स्थापना व्यय का ब्योरा रहता है तथा दूसरे भाग में सरकार की आर्थिक नीतियां परिलक्षित होती हैं। नई आर्थिक नीतियों के अन्तर्गत सरकार द्वारा जिन नई योजनाओं और नए कार्यक्रमों को संचालित करने की घोषणा करती है, उनके ऊपर किए जाने वाले व्यय का प्रावधान बजट के इस दूसरे भाग में होता है। वैसे भी पूरे बजट में आम तौर पर जो प्रस्ताव अत्यिधक महत्वपूर्ण होते है- उसमें पहला "कर प्रस्ताव" होता है और दूसरा "नई आर्थिक नीतियों की घोषणा"। बजट घोषित होने से पूर्व इन दोनों ही प्रस्तावों के बारे में पूरी-पूरी गोपनीयता बढ़ती जाती है। वैसे नई योजना की जानकारी सम्बन्धित मंत्रालयों को भी रहती है लेकिन कर प्रस्तावों के बारे में जानकारी प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री को ही रहती है क्योंकि इसकी गोपनीयता भंग हो जाने से कुछ विशेष व्यक्तियों या वर्गों का नुकसान या फायदा हो सकता है। सामान्यता बजट पेशे होने से 2-3 दिन पहले सरकार द्वारा **"आर्थिक सर्वेक्षण"** के नाम से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी प्रकाशित किया जाता है। इस सर्वेक्षण में केन्द्र सरकार आकड़ों के माध्यम से देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति स्पष्ट करती है। इन आकड़ों को विश्लेषण के आधार पर आगे की आर्थिक नीतियों का निर्धारण करना संभव होता है। इन्ही आंकड़ों के आधार पर ही आगामी वर्ष के बजट में मुद्रा स्फिीति से लेकर भूगतान सन्तुलन और बजटीय घाटे तक की गम्भीर स्थितियों का आकलन किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक सर्वेक्षण बजट के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।

"बजट" शब्द की उत्पत्ति और इसके प्रचलन पर दृष्टिपात करने पर विदित होता है कि बजट शब्द का प्रादुर्भाव फ्रैंच भाषा के

"बूजेट" (Boudgette) शब्द से हुआ जिसका अर्थ होता है "चमड़े का थैला"। बजट शब्द का प्रचलन सर्वप्रथम इंग्लैण्ड के अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध से प्रारम्भ माना जाता है जब 1733 में ब्रिटिश वित्त मंत्री "सर राबर्ट वालपोल" द्वारा ब्रिटिश संसद में अपने वित्तीय प्रस्ताव पेश करने के लिए एक चमड़े का थैला खोलकर उसमे से सम्बन्धित कागज निकाले गए तो संसद सदस्यों ने मजाक में इसे जादू के थैले के अर्थों" में "बजट खुल गया–बजट खुल गया" कहां। इससे कुछ ही दिनों बाद वहां वित्तमंत्री का मजाक में इसे "बजट खुल गया" नाम से एक पुस्तिका का प्रकाशन भी किया गया। धीरे–धीरे बजट का अर्थ थैलें के स्थान पर थैलें के अन्दर रखे कागज से लगाया जाने लगा और इस प्रकार "बजट" की शब्दावली सरकार के आय–व्यय सम्बन्धी विवरण के लिए प्रयुक्त की जाने लगी। कुछ लोग इस शब्दावली के सही रूप में प्रयोग करने हेतु फ्रांस को अग्रणी मानते हैं जहां सबसे पहले 1803 में "बजट" शब्द का प्रयोग सरकार के आय–व्यय के विवरण के रूप में औपचारिक रूप में प्रारंभ हुआ। प्रारम्भ कहीं से भी हुआ हो वर्तमान में "बजट" शब्द का प्रयोग सर्वव्यापी रूप से प्रचलन में है और वर्तमान में बजट का आशय उन वित्तीय प्रस्तावों व प्रपत्रों से होता है जो देश के वित्तमंत्री वार्षिक तौर पर संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है।

भारत में वर्तमान में प्रचलित "बजट पद्धति" की शुरुआत ब्रिटिशकालीन भारत के पहले वायसराय "लार्ड केनिंग" के समय प्रारंभ की गई जो 1856 से 1862 तक भारत के वायसराय रहे। यहां पहला बजट 13 फरवरी, 1860 को वायसराय के परिषद में पेश किया गया जिसे वायसराय की कार्यकारणी के वित्त सदस्य जेम्स विलसन ने प्रस्तुत किया। इस प्रकार विल्सन को भारत में बजट पद्धिति का संस्थापक कहा जा सकता है। विल्सन द्वारा यहां के वायसराय परिषद में ब्रिटिश वित्तमंत्री की तरह भाषण दिया गया जिसमें उन्होंने भारत की तत्कालीन वित्तीय स्थिति का सर्वेक्षण तथा सारगर्भित विश्लेषण प्रस्तुत किया। इसके बाद से ही प्रतिवर्ष यहां बजट प्रस्तुत किया जाने लगा। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी शासन में भारतीय जन प्रतिनिधियों को बहस करने का अधिकार प्रदान नही किया गया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे संविधान के अन्तर्गत जन प्रतिनिधियों को यह अधिकार प्राप्त हो पाया। वर्तमान में केन्द्र स्तर पर तथा राज्यों के स्तर पर अलग–अलग बजट तैयार किये जाते हैं। केन्द्र स्तर पर प्रतिवर्ष दो प्रकार के बजट प्रस्तुत किए जाते हैं– पहला **सामान्य बजट** तथा दूसरा **रेल बजट**। उल्लेखनीय है कि भारत में रेल बजट अलग से प्रस्तुत करने की व्यवस्था आजादी से पूर्व वर्ष 1921 में प्रारंभ हुई थी जो अभी तक यथावत् चल रही है। प्रत्येक राज्य का अपना–अपना बजट संविधान के अनुच्छेद 202 में दी गई व्यवस्था के अनुसार राज्य के विधान मण्डल के सम्मुख राज्य के वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय बजट को राष्ट्रपति से तथा राज्यों के स्तर पर सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। केन्द्र सरकार को सामान्य बजट केन्द्रीय वित्तमंत्री द्वारा तथा रेल बजट केन्द्रीय रेलमंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

रेल बजट की तुलना में "सामान्य बजट" में हर आम खास व्यक्ति की विशेष रुचि होती है। सामान्य बजट में ही विभिन्न वस्तुओं पर करों की कमी या बढोत्तरी, आयकर की सीमा में छूट, बैंक ब्याज की नई दरों के प्रस्ताव, नई योजनाओं और आर्थिक नीतियों की घोषणा जैसे महत्वपूर्ण विषयों में से किसी न किसी क्षेत्र में सामान्यतया सभी लोग जानने को लालायित रहते हैं। केन्द्र सरकार के सामान्य बजट को आमतौर पर "बजट" कहा जाता और समझा जाता है। हमारे यहां सामान्य बजट के निर्माण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त मंत्रालय का होता है जिसका प्रमुख केन्द्रीय वित्तमंत्री होता है। इसके साथ ही बजट निर्माण में विभिन्न प्रशासकीय मंत्रालय, योजना आयोग तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश विभिन्न वर्षों में आम बजट तत्कालीन वित्तमंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। आजादी के बाद पहला बजट 26 नवम्बर, 1947 को तत्कालीन वित्तमंत्री आर.कें षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस बजट में भारत और पाकिस्तान में सितम्बर, 1948 तक साझा मुद्दा जारी रखने का प्राविधान किया गया। वर्ष 1949 से 1951 तक जान मथाई द्वारा, वर्ष 1951 से 1957 तक लगातार सी.डी. देशमुख द्वारा वर्ष 1957–58 में टी.टी. कृष्णामचारी तथा 1958–59 में स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा वित्तमंत्री के रूप में लोकसभा में पेश किया। इसके बाद वर्ष 1959 से 1964 तक मोरारजी देसाई द्वारा, वर्ष 1966–67 में टी.टी. कृष्णामचारी द्वारा, वर्ष 1966–1967 में सचिन्द्र चौधरी द्वारा, वर्ष 1967 से 1970 तक पुनः मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1970–71 में प्रधानमंत्री इन्दिरा गान्धी ने वित्तमंत्री रहते हुए संसद में पेश किया। देश में सबसे अधिक आठ आम बजट तथा दो अन्तरिम बजट पेश करने का श्रेय मोरारजी देसाई को प्राप्त है जबकि लगातार सर्वाधिक 6 आम बजट सी.डी. देशमुख द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए।

बजट की आवश्यकता एवं महत्व

बजट किसी भी देश या प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक नीति का परिचायक होता है। इससे वहां की आर्थिक स्थिति और आगामी वर्ष में सम्भावित आर्थिक उन्नति का अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही बजट वह अस्त्र है जिसके द्वारा लोकसभा कार्यपालिका के कार्य पर नियंत्रण रखती है और इस प्रकार देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर नियन्त्रण बजट द्वारा सम्भव होता है। सामान्यतया बजट का महत्व निम्नांकित बिन्दुओं से और भी स्पष्ट किया जा सकता है:–

- इसके माध्यम से सरकार को करों आदि के माध्यम से प्राप्त जनता की गाढ़ी कमाई को निर्धारित उद्येश्यों की पूर्ति हेतु वैधानिक रूप से व्यक्त किया जाता है।
- बजट के माध्यम से सरकारी व्यय की उन सीमाओं का निर्धारण किया जाता है जिनका उल्लंघन सम्भव नही होता।
- बजट के द्वारा किसी भी देश में आय और व्यय की क्रियाओं का निर्देशन किया जाना सम्भव होता है।
- बजट के द्वारा सरकार अपनी लोक कल्याणकारी नीतियों और सामाजिक–दायित्वों का निर्वहन कार पाती है।
- इसके माध्यम से विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों में धन की असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है।
- बजट के माध्यम से समुचित कराधान द्वारा

सरकार धनी वर्गों से अतिरिक्त मात्रा में धनराशि प्राप्त कर पाती है। जिस विकास कार्यक्रमों के लिए खर्च कर पाना संभव होता है।

- बजट के अन्तर्गत सरकार द्वारा निर्बल वर्गों के लिए विभिन्न विकास योजनाओं की घोषणा कर उन्हें आवश्यक सुविधाएं और सहायता प्रदान करती है।
- बजट के द्वारा सरकार देश में विविध वस्तुओं की कीमतों को नियमित करने का प्रयास करती है।
- इसके माध्यम से मोटे तौर पर वित्तीय असंतुलनों को कम करने का प्रयास किया जाता है।
- रोजगार वृद्धि के लिए देश की आवश्यकता के अनुकूल व्यापक कार्यक्रम प्रारम्भ किए जा सकते हैं।
- व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में करने हेतु निर्यात पर अधिक जोर दिए जाने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं।

बजट की विशेषताएं

यों तो बजट कभी भी सभी वर्गों और लोगों के लिए अच्छा परिलक्षित नहीं होता चूंकि इससे कुछ लोगों पर करों का दायित्व बढ़ता है जबकि कुछ वर्गों को करों से राहत भी मिलती है और कुछ लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं भी मुहैया हो जाती हैं। सामान्य तौर पर एक अच्छे और संतुलित बजट में निम्नांकित विशेषताएं होनी चाहिए–

- सरकार की आमदनी और खर्च में संतुलित प्रयास किया जाना।
- उद्योग तथा कृषि क्षेत्र में विकास दर उच्च बनाए रखने के साथ समग्र विकास दर में पर्याप्त वृद्धि का प्रयास करना।
- सभी क्षेत्रों से वित्तीय असंतुलनों को दूर करने की कोशिश करना।
- रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बनाया जाना निर्यात वृद्धि पर अधिक बल दिया जाना।
- रोजगार वृद्धि के लिए देश की आवश्यकता के अनुकूल व्यापक कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
- केवल आवश्यकताओं और अनिवार्यताओं के क्षेत्र में ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाने के लिए प्राविधान करना।
- विलासता की वस्तुओं पर करों का नही घटाया जाना।
- सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं पर करों में कटौती किया जाना।
- सभी प्रकार के करों, विशेष रूप से आयकर की दरें युक्ति–युक्त बनाया जाना।
- बजट घाटा कम से कम करने का प्रयास करना आदि।

बजट निर्माण की व्यावहारिक कठिनाइयां

प्रत्येक वर्ष बजट से प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि उसे इससे कुछ न कुछ रियायत या अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो। जैसे उद्योगपति या व्यापारी वर्ग चाहता है कि उसे विभिन्न कारों में कुछ सहूलियतें प्राप्त हों, आयकरदाता वर्ग और विशेष रूप से वेतनभोगी चाहता है कि उसे आयकर में अधिक से अधिक छूट मिले, सामान्य उपभोक्ता दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं पर लगे करों में कमी की आशा करता है, कृषक और औद्योगिक कर्मचारी नई सुविधाएं तथा गरीब और कमजोर वर्ग नई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की अपेक्षा रखता है आदि–आदि। संक्षेप में प्रत्येक वर्ग सरकार के प्रति अपने आर्थिक दायित्वों में कमी तथा सहूलियतों में बढ़ोत्तरी की आशा रखता है जो पूर्णरूपेण किसी भी सरकार द्वारा कभी भी और किसी दशा में सम्भव नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त बजट बनाते समय सरकार अथवा वित्तमंत्री को अन्य अनेक व्यावहारिक समस्याओं से भी जूझना पड़ता है जिनमें से प्रमुख निम्नांकित हैं :–

- गृह स्तर पर बड़े पूंजीपतियों, नौकरशाहों की छोटी–बड़ी लॉबी तथा बाहरी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अपने हितों की रक्षा हेतु दबाव।
- विशिष्ट परिस्थितियों के चलते विदेशी कर्ज लेने की विवशता जिससे अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक।
- विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का जुटाना।
- बजट घाटा कम करना।
- मुद्रा स्फीति पर रोक लगाना या उसे सीमित करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों/उपक्रमों की कार्यदक्षता में सुधार लाने हेतु अनुकूल व्यवस्थाएं करना।
- समग्र विकास दर तथा औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र में विकास दर तीव्र बनाये रखना।
- निरंतर बढ़ते हुए काले धन को बाहर निकालने या कम से कम प्रसार से इसको बाहर हटाना।
- कल्याणकारी कार्यक्रमों सहित मानव संसाधन विकास के कार्यक्रमों के लिए समुचित धनराशि की व्यवस्था करना।
- निर्यात की वृद्धि दर को तीव्र बनाने हेतु समुचित प्रयास करना, आदि।

गत वर्षों के केन्द्रीय बजट की प्रवृत्तियां

"बजट" सरकार के "वार्षिक आय–व्यय का ब्योरा" होने के साथ–साथ सरकार की आर्थिक नीतियों का प्रतिबिम्ब, देश की अर्थनीति एवं आर्थिक प्रशासन का एक प्रभावी उपकरण, आर्थिक नीति का दर्शन, वर्ष भर के आर्थिक क्रियाकलापों का दिशा निर्धारक एवं व्यवस्थित रूपाकार आदि शब्दों से भी जाना जाता है। बजट में मोटे तौर पर प्राप्तियों, खर्चों और घाटे के विवरण दिया होता है। प्राप्तियां में राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित रहती हैं। राजस्व प्राप्तियां सरकार को करों और करों से भिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय होती है। मुख्य रूप से कर राजस्व तथा कर भिन्न राजस्व दो हिस्सों में बांटा जाता है। कर राजस्व में निगम कर, आय कर, दानकर, सीमा शुल्क आदि कर भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां विभागीय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभांश, विदेशी अनुदान आदि शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूली, बाजार ऋण ट्रेजरी बिल के माध्यम से रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण, विदेशों से प्राप्त ऋण, राज्यों से ऋण की वापसी आदि से प्राप्त राशियां सम्मिलित रहती हैं।

तालिका–1 में बजटीय प्रमुख मदों मे कुल आय–व्यय के प्रतिशत की प्रवृतियों को दर्शाया गया है। वर्तमान में लगातार गैर योजना व्यय में अर्थात सरकार के व्यय में अंधाधुंध बढ़ोत्तरी तथा योजना व्यय में तुलनात्मक रूप से कमी होती जा रही है। पिछले कई वर्षों से ऋण के

तालिका–1

केन्द्र सरकार के आय और व्यय की प्रमुख मदों में कुल आय–व्यय का प्रतिशत						
आय–व्यय के मद	वित्तीय वर्ष					
	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005
कुल बजट राशि (करोड़ रु. में)	298024	335523	362453	404013	474255	477829
(क) व्यय के मद						
1. ब्याज अदायगी	26 प्रतिशत	26 प्रतिशत	26 प्रतिशत	25 प्रतिशत	24 प्रतिशत	23 प्रतिशत
2. रक्षा व्यय	15 प्रतिशत	15 प्रतिशत	14 प्रतिशत	14 प्रतिशत	13 प्रतिशत	14 प्रतिशत
3. केन्द्रीय आयोजना व्यय	14 प्रतिशत	13 प्रतिशत	14 प्रतिशत	14 प्रतिशत	14 प्रतिशत	16 प्रतिशत
4. सब्सिडी पर व्यय	6 प्रतिशत	6 प्रतिशत	7 प्रतिशत	8 प्रतिशत	10 प्रतिशत	8 प्रतिशत
5. अन्य गैर योजना व्यय	13 प्रतिशत	13 प्रतिशत	12 प्रतिशत	12 प्रतिशत	10 प्रतिशत	11 प्रतिशत
6. करों/शुल्कों में राज्यों का हिस्सा	13 प्रतिशत	14 प्रतिशत	14 प्रतिशत	13 प्रतिशत	13 प्रतिशत	15 प्रतिशत
7. राजें को आयोजन सहायता	9 प्रतिशत	9 प्रतिशत	9 प्रतिशत	12 प्रतिशत	12 प्रतिशत	10 प्रतिशत
8. राज्यों को गैर आयोजन सहायत	4 प्रतिशत	4 प्रतिशत	4 प्रतिशत	4 प्रतिशत	4 प्रतिशत	3 प्रतिशत
(ख) आय के मद						
1. ऋण एवं अन्य देयताएं	27 प्रतिशत	28 प्रतिशत	27 प्रतिशत	29 प्रतिशत	30 प्रतिशत	24 प्रतिशत
2. उत्पाद शुल्क	19 प्रतिशत	18 प्रतिशत	19 प्रतिशत	19 प्रतिशत	19 प्रतिशत	19 प्रतिशत
3. गैर कर राजस्व	15 प्रतिशत	15 प्रतिशत	16 प्रतिशत	15 प्रतिशत	14 प्रतिशत	13 प्रतिशत
4. सीमा शुल्क	14 प्रतिशत	14 प्रतिशत	12 प्रतिशत	11 प्रतिशत	9 प्रतिशत	10 प्रतिशत
5. निगम कर	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत	9 प्रतिशत	10 प्रतिशत	16 प्रतिशत
6. आयकर	8 प्रतिशत	8 प्रतिशत	9 प्रतिशत	9 प्रतिशत	9 प्रतिशत	9 प्रतिशत
7. अन्य कर	1 प्रतिशत	1 प्रतिशत	1 प्रतिशत	2 प्रतिशत	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत
8. गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	6 प्रतिशत	6 प्रतिशत	6 प्रतिशत	6 प्रतिशत	6 प्रतिशत	6 प्रतिशत

निपटारे और ब्याज की मद में कुल योजना व्यय के लिए निर्धारित राशि से भी अधिक व्यय किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2004–2005 के आम बजट की अदायगी हेतु कुल व्यय का 23 प्रतिशत भाग निर्धारित किया गया है जबकि कुल योजना व्यय मात्र 16 प्रतिशत ही रहा है। हलांकि पिछले 4–5 वर्षों में ब्याज अदायगी के मद की प्रतिशत में कमी और योजना व्यय के प्रतिशत में कुछ बढ़ोतरी दर्ज अवश्य हुई है लकिन दोनों मदों के अन्तर को देखते हुए इस स्थिति को असंतोषजनक कहा जा सकता है और इसका अर्थ होता है कि सरकार बजट में विकास कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने में असमर्थ रही है जो सरकार द्वारा लिए गए कर्जों के विरुद्ध दिये जाने वाले ब्याज के बराबर भी नहीं है। यह विशेष रूप से चिन्ता का विषय है और इसे विकास की दिशा में अशुभ संकेतों का सूचक माना जाना चाहिए।

केन्द्रीय बजट के प्रमुख दस्तावेज

सामान्यतया केन्द्रीय "बजट" में निम्नांकित सात दस्तावेज सम्मिलित होते हैं–

1. वित्तमंत्री का भाषण

यह दस्तावेज दो भागों में बंटा होता है– पहले भाग में सामान्य आर्थिक परिदृश्य तथा दूसरे भाग में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव तथा सरकार की आर्थिक नीतियों का विवरण होता है।

2. वार्षिक वित्तीय कथन

इस दस्तावेज में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित सरकारी आय–व्यय पर विस्तृत टिप्पणियां दी जाती हैं।

3. बजट का सार

इस दस्तावेज में पूरे बजट का सारांश संक्षिप्त आकड़ों और ग्राफों के रूप में दिया जाता है। विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से केन्द्र सरकार को प्राप्त धनराशि तथा उन्हें दी जाने वाली धनराशि का विवरण भी बजट सार में दिया होता है।

4. वित्त विधेयक

इस दस्तावेज में सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों का विवरण दिया होता है।

5. बजट प्राप्तियां

इसमें आगामी वर्ष में सरकार का प्राप्त होने वाला अनुमानित राजस्व, पूंजी प्राप्तियां तथा घरेलू और विदेशी ऋणों का विवरण दिया जाता है।

6. बजट व्यय

इस दस्तावेज के आगामी वर्ष में सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों पर आयोजनागत और गैर आयोजनागत मदों के अन्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि का विवरण दिया जाता है।

7. अनुदान की मांग

इसमें विभिन्न मन्त्रालयों की अपनी निजी मांगों के साथ–साथ समस्त अनुदानों की मांग का सारांश दिया जाता है।

बजट की अवधि एवं बजट निर्माण के चरण

बजट निर्माण एक अत्यन्त विस्तृत एवं जटिल आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न मन्त्रालयों, विभागों और कई प्रमुख संस्थाओं का योगदान रहता है। हमारे वित्तीय वर्ष की अवधि जिसके लिए बजट बनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की रहती है। वित्तीय वर्ष के लिए प्रयुक्त इस अवधि को देश काफी पहले अर्थात 1967 में अपनाया गया था। इससे पूर्व देश में यह अवधि 10 मई से 30 अप्रैल तक मानी जाती थी। उल्लेखनीय है कि देश की प्राकृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्तियों के आधार पर किसी देश के लिए वित्तीय वर्ष के लिए एक निश्चित अवधि तय की जाती है और इसलिए संसार के विभिन्न देशों मे वित्तीय वर्ष की अवधि भिन्न–भिन्न तय की गई है। हमारी तरह से ही जापान, इराक, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, दक्षिणी अफ्रीका, जर्मनी, डेनमार्क, कनाडा आदि देशों में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से ही प्रारम्भ होता है लेकिन पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, नार्वे, स्वीडन, इटली, में यह 1 जूलाई से, म्यांमार, श्रीलंका आदि में 1 अक्टूबर से तथा फ्रांस बेल्जियम, नीदरलैण्ड, रूस, अर्जेन्टाइना, ब्राजील, चीन आदि देशों में वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से प्रारम्भ माना जाता है। यद्यपि हमारे यहां अपनाई गई वित्तीय वर्ष की अवधि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही आलोचना का शिकार रही है क्योंकि कृषि सम्बन्धी आय जिसका हमारी अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान रहता है, का ससमय अंदाजा नही लग पाने के कारण यहां इस अवधि में वार्षिक आय–व्यय के सही–सही अनुमान नही लग पाते हैं। इसी कारण भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि में संशोधन किए जाने हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तथा बाद में भी अनेक बार जोर दिया जाता रहा है। ब्रिटिश काल में इसे वर्ष 1870 में राज्य सचिव द्वारा, वर्ष 1900 में बेल्वी कमीशन द्वारा तथा 1921 में दिनाशा वाचा द्वारा इसमें परिवर्तन करने की सिफारिश की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वर्ष 1954 में प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा, वर्ष 1956 राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा तथा वर्ष 1958 में 20वीं आकलन समिति द्वारा इसको संशोधित करने पर बल दिया गया। वर्ष 1967 में प्राशनिक जांच आयोग ने इस सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन कर इसे 1 अप्रैल के स्थान पर 1 नवम्बर से करने का सुझाव दिया लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा इस सुझाव को कुछ प्राशासनिक कठिनाइयों और असुविधाओं के मद्देनजर स्वीकार नही किया गया और फलस्वरूप अव्यवहारिक होते हुए भी देश में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अवधि का ही प्रचलन में है।

केन्द्रीय **बजट निर्माण हेतु** प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया सामान्यतया 6–7 माह से पूर्व अथार्त पूववर्ती वर्ष के अगस्त–सितम्बर माह में प्रारम्भ हो जाती है। बजट निमार्ण का कार्य विविध विभागो के परस्पर सहयोग तथा समन्वय का परिणाम है। बजट निर्माण प्रक्रिया को पांच चरणों में बाटा जा सकता है– (1) बजट का प्राक्कलन या रूपरेख (2) बजट का दस्तावेज (3) संसद की स्वीकृति (4) बजट का क्रियान्वयन (5) वित्तीय कोषों का लेखांकन और लेखा परीक्षण। बजट निर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत सर्वप्रथम वित्त मंत्रालय द्वारा प्राशासनिक मन्त्रालयों, योजना आयोग तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के सहयोग से बजट की रूपरेखा तैयार की जाती है। इसमें प्राशासकीय आवश्यकाताओं की जानकारी प्रदान करते हैं योजना आयोग योजनाओं की प्राथमिकता के बारे में परामर्श देता है तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक "बजट का प्राक्कथन" तैयार हेतु वित्त मंत्रालय का लेखा कौशल उपलब्ध कराता है। इस प्रकार पहले चरण में व्ययों का अनुमान तैयार किए जाते हैं जिसके लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जुलाई/अगस्त में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक प्रपत्र प्रेषित किया जाता है। इस प्रपत्र में विनियोग के शीर्षक तथा उपशीर्षक, गत वर्ष की वास्तविक आय तथा व्यय, वर्तमान वर्ष के स्वीकृत अनुमान, वर्तमान वर्ष के संसोधित अनुमान, आगामी वर्ष के बजट प्राक्कलन के अतिरिक्त आय–व्यय में हुई कमी/बढ़ोतरी के कांलम होते हैं। इस प्रपत्र को भरकर विभिन्न विभाग अपने प्रशासकिय मंत्रालय को भेजते हैं जो इन्हें संसोधित करके नवम्बर के मध्य तक वित्त मंत्रालय को प्रेषित करते हैं। इस प्रपत्र की एक प्रति सभी सम्बन्धित विभाग महालेखा परीक्षक के पास भी विचारार्थ भेजते हैं जो अपनी टिप्पणी के साथ इसे वित्त मंत्रालय तथा प्रशासकीय मंत्रालय के पास भेजता है। प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा बजट के अनुमानों का सुक्ष्म परीक्षण मितव्यता के उद्देश्य से किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय के अनुमानों के परीक्षण के दौरान योजना आयोग से भी परामर्श लिया जाता है

इस प्रकार व्ययों के अनुमान तैयार हो जाने के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा सरकारी आय अथवा राजस्व के अनुमान तैयार किए जाते हैं। इस हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर विभाग, सीमा शुल्क विभाग तथा केन्द्रीय उत्पादन कर विभाग से विगत वर्ष संग्रह की गई धनराशि के आकड़ों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्षो के लिए सम्भावित आय का अनुमान लगवाया जाता है जिसके आधार पर आगामी वर्ष में करों की दारों का पुर्ननिर्धारण करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाता है। दूसरे चरण में वित्त मंत्रालय द्वारा समस्त विभागों की मांगो को एकत्रित करके तथा वित्तीय सम्बन्धी मामलों सम्पूर्ण मंत्री–परिषद में निर्णय लेकर दो अलग–अलग भागों में आय और व्यय का विवरण तैयार किया जाता है जो **बजट दस्तावेज** कहलाता है। वित्त मन्त्री द्वारा इस दस्तावेज को समान्यतया फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसके बाद वित्तमंत्री द्वारा बजट भाषण दिया जाता है जिसमें जनता, राजनेता कर्मचारी तथा व्यापारी वर्ग आदि सभी लोग बड़ी उत्सकता रखते हैं।

बजट निर्माण के तीसरे चरण में बजट पर संसद में चर्चा करायी जाती है। लोकसभा के कार्य संचालन नियम संख्या 207 (1) (2) में बजट प्रस्तुतीकरण के बाद की जाने वाली सामान्य चर्चा के दिशा निर्देश उल्लिखित हैं। इसमें प्राविधान है कि संसद सम्पूर्ण बजट के बारे में विचार–विमर्श कर सकती है लेकिन वाद–विवाद के मध्य न तो कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है और न ही सदन में बजट पर मतदान कराया जा सकता है। लोकसभा में अलग–अलग मंत्रालयों के लिए क्रमवार

अनुदान मांगों को पेश किया जाता है। हमारा बजट 109 मांगों में विभाजित रहता है जिसमें 103 मांगें लोक व्यय से सम्बन्धित होती हैं। अनुदान मांगो पर विचार होते समय विपक्षी सदस्यों को बजट की आलोचना का पूरा अवसर मिलता है और उनके द्वारा अनेक प्रकार की कटौतियों के प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। अनुदान मांगों पर विचार–विमर्श की अवधि 26 दिन होती है। इससे विनियोजन विधेयक पास करवाया जाता है जिससे सरकार को सरकारी कोष से धन खर्च करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके बाद व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय साधनों की प्राप्ति कर प्रस्तावों द्वारा ही सम्भव होती है जिसके लिए वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक में करों की दरों में संसोधन सम्बन्धी प्रस्ताव होते है। विनियोजक विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों सदनो–लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए प्रेषित किया जाता है जिसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षरोपरान्त ही विधेयक कानून बन जाता है।

संसद द्वारा केन्द्रीय बजट के पास कर दिए जाने के बाद बजट निर्माण के चौथे चरण में विनियोजन अधिनियम के अनुसार इसके कार्यान्वयन की कार्यवाही प्रारंभ होती है। इसमे यह ध्यान दिया जाता है कि बजट के क्रियान्वयन से सम्बन्धित सरकारी तन्त्र पूर्ण निष्ठा और कुशलता से कार्य करने के लिए प्रेरित हों। बजट के कार्यान्वयन में सामान्यतया पांच प्रक्रियाएं सम्मिलित रहती हैं, यथा (1) वित्तीय स्त्रोतों का एकत्रीकरण (2) वित्तीय संसाधनों का संरक्षण (3) वित्तीय संसाधनों का वितरण (4) सरकारी आय–व्यय का लेखा (5) लेखांकन। बजट के क्रियान्वयन में लेखाकन का विशेष महत्व होता है। इसी वजह से "नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक" के अधीन लेखा एवं अंकेक्षण विभाग की अलग से स्थापना की गई है जो सभी प्रकार के सरकारी लेन–देन के ब्यौरेवार वर्गीकरण तथा मासिक तथा वार्षिक संकलन के लिए उत्तरदायी होता है। प्रत्येक राज्य में इसके अधीन एक महालेखाकार का कार्यालय स्थापित किया गया है। वित्तीय कोषों का लेखांकन चार स्तरों पर सम्पादित होता है– (1) प्रारंभिक लेखो की पूर्ति उपकोषागार स्तर पर होती है जहां किसी प्रकार का लेन–देन होता है। (2) दूसरे चरण में शीर्षकों के अनुसार सभी प्रकार के लेन के लेन–देन का वर्गीकरण किया जाता है। (3) तीसरे चरण में लेखाधिकारियों द्वारा लेखों का मासिक संकलन किया जाता है। (4) चौथे चरण में भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक संकलन किया जाता है। बजट का अंतिम और पांचवा चरण लेखा परीक्षण का होता है। सामान्यतया सभी प्रकार सरकारी विभागों द्वारा प्रतिमाह के हिसाब महालेखाकार के कार्यालय प्रेषित करता है। यहां पर इन्हें आय–व्यय के लिए निर्धारित विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अंकेक्षण के बाद महालेखा परीक्षक द्वारा इन लेखों का वार्षिक संकलन मुख्य चार शीर्षकों यथा–(1) राजस्व खाता (2) पूंजीगत खाता (3) ऋण खाता (4) दूरस्थ प्राप्तियां किया जाता है जो बजट सत्र के समय संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और इस प्रकार बजट का अन्तिम चरण पूर्ण होकर बजट सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

कम लागत की आवास योजनाएं

वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (वाम्बे) नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्रों में 21.1.2001 से कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले स्लम वासियों के लिए रिहायशी मकानों के निर्माण और उनके उन्नयन को सुकर बनाना तथा समुदाय शौचालयों का निर्माण करके स्वस्थ और अनुकूल शहरी पर्यावरण मुहैया करना हैं।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1998–99 से दो मिलियन आवास कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें प्रमुखतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और अल्प आय वर्ग (एलआईजी) के लिए प्रत्येक वर्ष 20 लाख अतिरिक्त मकानों के निर्माण की व्यवस्था की गई है। इसमें से 7 लाख मकान शहरी क्षेत्रों में और 13 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाने हैं। शहरी क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए ऋण आवास एवं नगर विकास निगम (हडको), आवास वित्त संस्थानों/बैंकों तथा सहकारी क्षेत्र द्वारा दिया जाता हैं।

10वीं योजना 2002–2007 के लिए शहरी आवास पर गठित योजना आयोग के कार्यदल ने अनुमान लगाया है कि 10वीं योजना के अंत तक अतिरिक्त/उन्नयन के तौर पर 22.44 मिलियन रिहायशी मकानों की जरूरत होगी। पर्याप्त आवास सुविधाओं, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और अल्प आय वर्ग (एलआईजी) के निर्माण को आसान बनाने के लिए सरकार ने 1998–1999 में दो मिलियन आवास निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली आबादी अम्बेडकर आवास योजना भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

रेल बजट 2005-06 : सही पटरी पर

ऋषिकेश

प्रगति की ओर उन्मुख भारतीय अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास में भारतीय रेलवे की अहम भूमिका को रेखांकित करते हुए रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रेलवे का बजट प्रस्तुत करते हुए बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक और निजी निवेश आकर्षित करने हेतु बेहतर कार्यकुशलता और कुशल वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया तथा रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार की महत्वाकांक्षी योजना तैयार किए जाने की सूचना दी।. इस दिशा में रेल बजट के प्रमुख प्रस्तावों में दो शताब्दी रेलगाड़ियों समेत कुल 46 नई रेंलगाड़ियों चलाना, 27 रेलगाड़ियों के चालन के विस्तार की घोषणा। 10 लोकप्रिय गाड़ियों के फेरों में वृद्धि, नए पहिया उत्पादन कारखाने की स्थापना, 12 नए कंक्रीट स्लीपर प्लांटों की स्थापना, मालगाड़ी के डिब्बों की उपलब्धता बढ़ाना, इंटरनेट पर 24 घंटे आरक्षण की सुविधा, मालभाड़े को युक्तिसंगत एवं पारदर्शी बनानें आदि जैसे कई प्रस्ताव शामिल हैं।

रियायतें

हिन्दी और मैथिली के लोकप्रिय जनकवि बाबा नागार्जुन की कविता पंक्तियों को उद्धृत करते हुए रेलमंत्री ने यात्री किराए में लगातार दूसरे वर्ष भी कोई वृद्धि न करने का प्रस्ताव किया है। गत वर्ष बेरोजगार नवयुवकों को केन्द्र सरकार की नौकरियों में चयन हेतु साक्षात्कार में भाग लेने के लिए बुलावा-पत्र तथा आवेदन की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर द्वितीय श्रेणी में की जानेवाली यात्रा पर दी गई पूरी रियायत के अनुरूप ही राज्य सरकारों की नौकरियों के लिए साक्षात्कार में भाग लेने वाले बेरोजगार युवाओं को द्वितीय श्रेणी में पूरी रियायत की घोषणा की गई है। रियायतों के इस श्रृंखला में (क) किसानों और दूध उत्पादकों को राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में कृषि एवं डेयरी पालन के संबंध में प्रशिक्षण अथवा बेहतर खेती संबंधी पद्धतियां सीखने/दुग्ध उत्पादन के लिए दूसरे दर्जे की यात्रा में 50 प्रतिशत रियायत। (ख) ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों के छात्रों को वर्ष में एक बार अध्ययन दौरे हेतु दूसरे दर्जे में 75 प्रतिशत रियायत। (ग) व्यावसायिक पाठयक्रमों हेतु राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाली सरकारी विद्यालयों की छात्राओं को दूसरे दर्जे में 75 प्रतिशत रियायत शामिल है। इसके साथ ही अधिसूचित किए गए मामलों में राहत सामग्री का प्राथमिकता एवं निःशुल्क आधार पर परिवहन, फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए दूसरे दर्जे की मुफ्त यात्रा तथा मुख्य सरकारी अस्पतालों मे उपचार करा रहे मृत रोगियों के पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए सामान्य दर-सूची में 50 प्रतिशत की रियायत भी देने की घोषणा की गई है।

माल यातायात

पिछले वर्ष माल डिब्बों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होने के बावजूद रेलवे ने उपलब्ध संसाधनों से ही ज्यादा माल ढुलाई पर जोर दिया और 'वैगन टर्न राउंड' गत वर्ष के 7 दिन की तुलना में 2004-05 में 6 दिन हो जाने की संभावना है। यह उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण हैं, जिसे उत्पादकता और कार्यकुशलता बढ़ाकर एक ठोस रणनीति के द्वारा निकट भविष्य में 5 दिनों के स्तर पर लाने का हर संभव प्रयत्न करने का प्रस्ताव है।

माल डिब्बों के टर्न राउंड में सुधार लाने के उद्देश्य से यातायात वरीयता अनुसूची को सरल तथा युक्तिसंगत बनाया गया है। प्राथमिकता 'ए' में सैनिक यातायात को रखा गया है, जो सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा राहत सामाग्रियों और केन्द्र सरकार की एजेंसियों द्वारा प्रायोजित यातायात को प्राथमिकता 'बी' प्रदान की गई

रेल बजट की मुख्य विशेषताएं

- 54 जोड़ी नई गाड़ियां चलाने की घोषणा।
- 28 जो गाड़ियों के चालन क्षेत्र में विस्तार तथा 10 जोड़ी गाड़ियों के फेरों में वृद्धि।
- किसी भी श्रेणी के यात्री किराए में वृद्धि नहीं।
- माल यातायात दरों में सामान्यतः वृद्धि नहीं तथा माल यातायात के श्रेणियों की संख्या 27 से घटाकर 19 की गई।
- नई 'प्रीमियम–पंजीकरण योजना' बनाई गई हैं साथ ही 'माल डिब्बा निवेश योजना' का प्रारंभ।
- राज्य सरकारों की नौकरियों हेतु साक्षात्कारों में भाग लेनेवाले बेरोजगारों को द्वितीय श्रेणी में पूरी रियाय।
- ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों की छात्रों को अध्ययन यात्रा हेतु वर्ष में एक बार द्वितीय श्रेणी में 75 प्रतिशत रियायत।
- ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों की छात्राओं को व्यवसायिक पाठयक्रम हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा में भाग लेने हेतु द्वितीय श्रेणी में 75 प्रतिशत रियायत।
- राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रशिक्षण/बेहतर खेती संबंधी पद्धतियां सीखने/दूध उत्पादन हेतु किसानों और दुग्ध उत्पादकों को द्वितीय श्रेणी में 50 प्रतिशत रियायत।
- रेल सेवाओं मे अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति हेतु विशेष अभियान चलाने की घोषणा।
- कमजोर व्यक्तियों को स्टेशनों पर खान–पान लाईसेंस और बुक स्टाल के लाईसेंस देने हेतु आरक्षण की व्यवस्था।
- दुग्ध उत्पाद की बिक्री हेतु प्रावधान।
- कम्पोजिट स्लीपर का विकास।
- बारह नये कंक्रीट स्लीपर को स्थापित करने की घोषणा।
- स्थानीय कॉल दरों पर पूरे देश में दूरभाष संख्या 139 पर पूछताछ की व्यवस्था।
- आरक्षण स्थिति की अग्रिम सूचना तथा यात्री आरक्षण प्रणाली सुविधा का विस्तार।
- आगामी वर्ष के लिए बड़ी लाईन मे कुल 1692 कि.मी. तथा 219 कि.मी. नई लाईनों और 935 कि.मी. के आमूल परिवर्तन का लक्ष्य।
- 635 एम टी माल लदान तथा प्रारंभिक यातायात में 4 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य।
- अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करने हेतु रेलवे की अतिरिक्त जमीन का विकास के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना।
- लेखांकन संबंधी सुधार तथा पूंजीगत ढांचे को युक्तिसंगत बनाना।

चालू वर्ष में संभावित तथा आगामी वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा

	2004–05 में संभावित	2005–06 के लिए लक्ष्य
1. बड़ी लाईन में कुल वृद्धि	1400कि.मी.	1692 कि.मी
2. नई लाइनें	205 कि.मी.	219 कि.मी.
3. आमान परिवर्तन	885 कि.मी.	935 कि.मी.
4. दोहरीकरण	307 कि.मी.	538 कि.मी.
5. विद्युतीकरण	375 कि.मी.	350 कि.मी.

रेल बजट : एक नजर में

(करोड़ रुपयों में)

	संशोधित 2004–05	बजट 2005–06
सकल यातायात प्राप्तियां	46785.00	50968.00
शुद्ध संचालन व्यय	42462.00	46144.00
शुद्ध रेलवे राजस्व	50300.88	5913.98
सामान्य राजस्व को देय लाभांश	3276.08	3638.00
परिचालन अनुपात	91.2 प्रतिशत	90.8 प्रतिशत

है। तथा अनुमोदित प्रोग्राम यातायात को प्राथमिकता 'सी' मे रखा गया है। अन्य सभी वस्तुओं का संचलन प्राथमिकता 'डी' मे रखा गया है। प्रत्येक श्रेणी मे 'इंजन–आन–लोड' योजना, मालडिब्बा निवेश योजना अथवा चौबीसों घंटे मशीन से परिचालित पूरे रेक की साइडिगों वाले ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत यातायात को उसी श्रेणी के भीतर उच्चतर प्राथमिकता देने के प्रस्ताव किया गया है। पिछले बजट में प्रारंभ "इंजन आन लोड" प्रणाली, जिसमें गाड़ी का इंजन लदान और उतराई के समय प्रतीक्षारत रहता है, की योजना की शर्तों को माल ग्राहकों से विचार–विमर्श कर अधिक उदार बनाया गया है। ऐसे ग्राहकों को जिनके पास अपनी प्राईवेट साईडिंग नहीं हैं, को इंजन 'ऑन लोड योजना' कुछ चुने हुए माल शेडों मे प्रदान करने की योजना है।

अपनी साइडिंग पर मशीनकृत लदान तथा उतराई, चौबीस घंटे कार्य अथवा यार्ड ले–आउट में सुधार आदि में निवेश कर टर्मिनल डिटेन्शन में रेलवे को सहयोग प्रदान करने वाले माल ग्राहकों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की योजना है और इससे जुड़े पहलुओं का व्यवसायिक एजेंसी से परीक्षण कराकर और उद्योग जगत से परामर्श कर टर्मिनल प्रोत्साहन योजना तैयार करने का प्रस्ताव है।

मालगाड़ियों की जांच में लगनेवाले समय में कमी लाने, बेहतर गुणवत्ता और संरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्तमान में उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उन्नयन कर मालगाड़ी जांच तथा मालडिब्बा अनुरक्षण पद्दति में सुधार लाने का प्रस्ताव है। मालगाड़ी के अधिकांश क्लोज सर्किट रेकों की दूसरी जांच 6000 किलोमीटर की यात्रा के बाद करने का प्रस्ताव के बाद करने का प्रस्ताव है।

ऐसे सभी डीजल साइडिंगों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है जहां अत्यधिक विलंबन होता है और रेलवे द्वारा निर्धारित संख्या में प्रतिमाह रेकों की हैडलिंग होती है। ताकि मालडिब्बों को बेहतर टर्न राउंड प्राप्त हो सके।

लदान एवं उतराई हेतु दिए जाने वाले फ्री टाइम तथा डेमरेज एवं स्थान शुल्क संबंधी नियमों को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव है।

वर्ष 2005–2006 के लिए घोषित मालभाड़ा दरों सामान्यतः अधिक युक्तिसंगत बनाने हेतु मौजुदा 27 श्रेणियों से घटाकर कुल 19 श्रेणियां का प्रस्ताव है।

इसके अलावा "माल डिब्बा निवेश योजना" का प्रारंभ, एकीकृत माल गोदामों परिसरों का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है।

रेल भूमि विकास प्राधिकरण

बजट में प्रस्तावित सार्वजनिक और निजी हिस्सेदारी से रेलवे की अतिरिक्त खाली पड़ी जमीन का विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे रेलवे को रेल विकास हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही निजी हिस्सेदारी को भी रेलवे के आस–पास वे़यर हाउस, होटल और दूसरी सुविधाओं के विकास का अवसर मिलेगा। रेल भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव निश्चित रूप से बेहद उपयोगी और सार्थक कदम है।

आरक्षण

रेल सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित प्रतिशत प्राप्त कर लेने के साथ ही रेल सेवाओं मे अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु अभियान चलाने का प्रस्ताव है।

नई खान–पान नीति में अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय शहीदों एवं रेल कर्मियों की विधवाओं तथा अन्य महिलाओं, स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज के कमजोर वर्गों को 'क' 'ख' तथा 'ग' श्रेणियों के स्टेशनों पर छोटी खान–पान इकाइयों को लाइसेंस देने में 25 प्रतिशत आरक्षण और अन्य श्रेणियों के स्टेशन पर 49.5 प्रतिशत आरक्षण प्रस्तावित है। इन वर्गों को लाइसेंस के आवंटन में खुली निविदा प्रणाली से अलग रखा गया है। इन कमजोर वर्गों को नई बुक स्टाल नीति के अनुसार 25 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है।

पर्यावरण

नई खान–पान नीति में केन्द्र अथवा राज्य सरकार की शीर्ष दुग्ध सहकारी समितियों को आवेदन के आधार पर दूध–दही इत्यादि के स्टालों का लाइसेंस दिये जाने तथा भारतीय रेल पर अन्य स्वास्थ्यप्रद खाद्य एवं पेय पदार्थो को कुल्हड़ जैसे पर्यावरण अनूकूल पात्रों में बिक्री को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है, इसी दिशा में रबर, टायर आदि जैसी अन्य बेकार पड़ी सामाग्रियों से कंपाजिट स्लीपरों के विकास का भी निणर्य लिया गया है।

वर्ष 2005–06 में प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में कम से कम एक स्टेशन पर 'क्लीन ट्रेन स्टेशन प्रणाली' लागू करने का प्रस्ताव है।

संरक्षा

गहन प्रयासों के फलस्वरूप परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में कमी हुई है. अप्रैल से दिसम्बर 2004 की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत कम हुआ है। 31 मार्च 2005 तक नवीकृत किए जानेवाले 16,538 किमी रेल पथ का लक्ष्य था। जिसमें से 12,138 किमी का नवीकरण कार्य पूरा हो चुका है। 567 स्टेशनों पर आधुनिक सिग्नल प्रणाली लगाई गई है तथा 2004–205 के दौरान 300 समपार फाटकों पर सिग्नल के साथ इंटर लॉकिग का कार्य पूरा हो जाने की संभावना है। वर्ष 2005–2006 के दौरान 280 किमी रेल पथ पर ट्रेन प्रोटेक्शन तथा चेतावनी प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है। चालू वित्त वर्ष में संरक्षा मद के 3645 करोड़ रुपये के व्यय की संभावना है।

सुरक्षा

यात्रियों और उनके सामानों की सुरक्षा हेतु राजकीय रेल पुलिस को सहायता देने के साथ–साथ रेलवे सुरक्षा बल को प्रशिक्षण सुविधाएं देकर यात्रियों की सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी का कार्य का सौपा गया है।

यात्री यातायात

यात्रियों को उन्नत और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सार्थक कदम उठाए गए हैं। मसलन, स्थानीय प्रस्थान, आरक्षण की स्थिति, किराया एवं रियायत की सूचना आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 2005–06 के अंत तक इस सुविधा का विस्तार पूरे देश में करने का निर्णय लिया गया है। टिकटों की बुकिंग की व्यवस्था निकट भविष्य में लैंड लाइन फोन पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। आरक्षण मे पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से आरक्षण स्थिति की अग्रिम सूचना, खाली शायिकाओं की स्थिति दशार्ना, यात्री आरक्षण प्रणाली सुविधा के विस्तार का भी प्रस्ताव भी है।

लेखांकन सुधार

लेखांकन सुधार संबंधी जरूरी पहल बजट में की गई है। इसमे पूंजीगत ढांचे की युक्तिसंगत बनाना और पेंशन निधि में किया जाने वाला विनियोग वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किए जाने का प्रस्ताव है। रेलवे के पेंशन भोगियों की भावी दायिता का वास्तविक मूल्यांकन किसी व्यावसायिक एजेंसी के माध्यम से कराने का प्रस्ताव है।

रेल धरोहर

यूनेस्को द्वारा जून, 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई की इमारत को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है और पूर्व में भी दार्जलिंग हिमालयन रेलवे को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। रेल धरोहर के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के मद्देनजर एक नए धरोहर निदेशालय का गठन किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्र–छात्राओं, बेराजगारों को सरकारी नौकरी हेतु साक्षात्कार में भाग लेने हेतु रेल भाड़ा में रियायत, ग्रमीण कृषकों एवं दुग्ध उत्पादकों को रियायत तथा कमजोर वर्गों हेतु कई तरह के छोटे व्यवसायों हेतु आरक्षण और नियुक्ति हेतु विशेष अभियान तथा यात्री भाड़े में कोई विशेष बढोतरी नही होने से जहां इस बजट के जनोन्मुखी होने की धारणा को बल मिलता है वहीं सार्वजनिक और निजी भागीदारी द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रस्तावों से रेलवे के आधुनिक, गतिशील और ज्यादा आत्मनिर्भर होने की आशा भी बलवती होती है। ❑

(लेखक समयपालन कक्ष रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली में उप–मुख्य नियंत्रक हैं।)

ग्रामीण वित्त प्रबंधन

अवध बिहारी चौधरी

वित्त किसी भी आर्थिक क्रिया का मेरुदण्ड है। क्योंकि पैसा ही पैसे का सृजन करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका अर्जित करने के लिए कृषि सबसे बड़ा संबल है। कृषि से संबंधित अन्य क्रियाएं जैसे पशुपालन, मछलीपालन, मधुमक्खीपालन, पुष्पों की खेती, मशरूम उत्पाद तथा जैविक खाद का उत्पादन भी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका प्रदान करता है। लघु एव कुटीर धंधे, लघु उद्योग, खुदरा, फुटकर व्यापारी, दुकानें तथा फेरी जैसे कार्य भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। सेवा क्षेत्र में भी रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। जैसे हेयर सैलून, ड्राई क्लीनर्स, साइकिल/स्कूटर रिपेयरिंग आदि को आजीविका, का साधन बनाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यापकों के रूप में तथा सुदूर ग्रामीण अंचलों में विद्यालयों की स्थापना करके भी कुछ अवसर सृजित किए जा सकते हैं।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय प्रबंधन का प्रश्न है, यहां पर ग्रामीण कार्यकलापों को सजीव एवं निरन्तरता प्रदान करने के लिए कई साधन वित्तीय हेतु उपलब्ध हैं। स्वतंत्रता से पूर्व तथा पहली पंचवर्षीय योजना काल में ग्रामीण साहूकारों का आतंक व्याप्त था। इन्होंने संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधिपत्य जमा रखा था, बर्बरता का तांडव, शारीरिक उत्पीड़न, बंधुआ मजदूरी तथा अनैतिक कार्यों में प्रतिभाग दिनचर्या थी। मूलधन से कई गुना अधिक ब्याज की वसूली होती थी। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास पर अधिक जोर दिया गया। सरकार के योजना विभाग द्वारा ग्रामीणों में तकाबी ऋण का वितरण किया गया। जिसकी वसूली तीन वर्ष की वार्षिक तीन किश्तों में की गई। ग्रामीण कृषि की निर्भरता मानसून पर बढ़ गई।

तत्पश्चात ग्रामीण विकास में आशा की किरण 19 जुलाई 1969 को प्रदीप्त हुई, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के चौदह बड़े व्यावसायकि बैंकों का राष्ट्रीकरण किया। बैकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में, राष्ट्रीयकृत बैंकों का जाल बिछ गया। इनके लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अभिचिन्हित किया गया। जिसमें सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई है। बैंकों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता को कृषि के लिए आरक्षित कर दिया गया। अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में लघु उद्योग, लघु परिवहन चालकों, लघु व्यापार तथा फुटकर व्यापार शिक्षा क्षेत्र में शैक्षिक ऋण तथा विदेशी निर्यातों के संवर्द्धन के लिए निर्यात वित्त हेतु भी सीमाएं निर्धारित की गई। कालांतर में सार्वजनिक क्षेत्र की छः अन्य व्यावसायिक बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्षस्थ संस्था – राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक–नाबार्ड अस्तित्व में आई। जिसने आयोजना आधारित विकास पर कार्य योजना तैयार करके ग्रामीण वित्त नवोन्मेष आयाम प्रदान किए। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बहु एजेंसी, अवधारणा समाहित की गई, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक तथा स्टेट बैंक समूह, व्यावसायिक बैंकों, बहुस्तरीय सहकारी संस्थाएं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय बैंकों को दायित्व प्रदान किया गया है, ग्रामीण विकास को नया कलेवर प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर बैंकर्स समिति का गठन किया गया है। जिसमें राज्य में कार्यरत सभी बैंकों को क्रेडिट प्लान में लक्ष्य आवंटित किए जाते है। इस समिति में उच्चाधिकारी, बैंकों के उच्च कार्यपालक, नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक में उच्चाधिकारी प्रतिभाग करते हैं। क्रेडिट प्लान के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अनुश्रवण बैठकें होती हैं।

आयोजित विकास को विकेंद्रीकृत करने के प्रयोजन से जिला स्तर पर ग्रामीण विकास का क्रेडिट प्लान बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को सजीव स्वरूप प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर जिला लीड बैंक अधिकारी की नियुक्ति होती है। लीड बैंक अधिकारी के नेतृत्व में जिला क्रेडिट प्लान बनाया जाता है। जिसमें जिले की हर आर्थिक क्रिया के वित्तीयन के लिए पर्याप्त ऋणों का प्रावधान किया जाता है। प्रत्येक बैंक की शाखाओं की दृष्टि से तथा कार्यक्षेत्रों के अनुसार राज्य/जिला क्रेडिट प्लान के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। इस प्रक्रिया को पुनः खण्डविकास स्तर पर विकेंद्रीकृत कर दिया गया है, जहां पर विकास अधिकारी के नेतृत्व में क्रेडिट प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में स्थानीय क्रेडिट संस्थाओं के मध्य, लक्ष्यों का आवंटन कर दिया जाता है। इसे त्रैमासिक/मासिक बैठकों में कार्यरूप में स्थानांतरित करने की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। खंड विकास पर सरकारी योजनाओं के अंतर्गत भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करनी होती हैं।

ग्रामीण योजनाओं के वित्तीयन को सुदृढता प्रदान करने की दिशा में राजकीय अनुदान की अपनी भूमिका है। यदि अनुदान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला उद्योग केंद्र तथा अन्य सरकारी विभागों द्वारा प्रदान न की जाएं तो भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति असंभव है। अनुदान ही ऐसा तत्व है, जिसका आकर्षण सभी को है। लाभार्थी, बैंकर्स तथा विकास कर्मी सभी अनुदान के उपयोग में संलग्न हैं। इसका दुरूपयोग सभी के दायित्वों को निर्धारित करता है। सरकारी योजनाओं में स्वयं सहायता समूहों को वित्तीयन भी महत्ता प्राप्त कर रहा हैं। इसका आकर्षण जिला विकास अभिकरण द्वारा प्रदत्त अनुदान की राशि है, जो 1.5 लाख रुपये प्रति समूह हैं।

ग्रामीण वित्त प्रबंधन में सरकारी संस्थाओं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सहकारी समितियां कृषि क्षेत्र को सामयिक ऋण उपलब्ध कराती हैं, जब कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का वित्तपोषण कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है, ग्रामीण बैंक विकास के ध्वज के वास्तविक धारक हैं, जिन्होंने स्वयं–सहायता समूहों के निर्माण, प्रबंधन तथा वित्तीयन द्वारा कायापलट कर दी है। स्वयं–सहायता समूहों के माध्यम से विपन्नता उन्मूलन का महायज्ञ चल रहा है, जिसमें नाबार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, और सरकारी संगठन तथा समाज की अन्तिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति सामर्थ्यानुसार समिधा अर्पित कर रहा है। इस प्रकार ग्रामीण विकास हेतु धन की कमी नहीं है, बल्कि नीयत और कौशल की दरकार है। ❑

(लेखक 'आर्थिक' न्यूज फीचर के संपादक हैं)

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बैंकों का योगदान

प्रेम कपाड़िया

आधुनिक युग में किसी देश की अर्थव्यस्था का मुख्य आधार वहां की बैकिंग प्रणाली है। स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे नीति निर्धारकों ने जब अर्थ तंत्र का मजबूत करने के बारे में सोचा तो उन्होने बैकिंग उद्योग को सुदृढ़,सुलभ तथा व्यापक बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया। इसलिए 1969 में चौदह मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। साथ ही उन पर कृषि तथा कृषि से संबंधित क्रिया– कलापों के लिए दिए जाने वाले ऋणों में वृद्वि करने की जिम्मेवारी डाली गई। परन्तू पांच वर्ष बाद यह पाया गया कि राष्ट्रीयकरण और सरकारी बाध्यता के बावजूद बैंक ग्रामीणों, विशेषकर कमजोर तबकों के लोगो, तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए ग्रामीण अर्थतंत्र का मजबूत करने के लिए एक अलग संस्था की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की गई जो केवल ग्रामीण क्षेत्रो के लोगों के वित्त पोषण का कार्य कर सके। साथ ही जिनका ध्यान मुख्य रूप से लक्ष्य समूह तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों पर केन्द्रित हो। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना की गई। ग्रामीण बैंकों की स्थापना मुख्य रूप से निम्नलिखित दो उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई।

- एसे शिक्षित ग्रामीण युवकों को रोजगार प्रदान करना जिनका रुझान ग्रामीण क्षेत्र के विकास करने में है।
- राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को समान वेतनमानों और भत्तों पर ग्रामीण बैंक को नियुक्त कर ग्रामीण बैंक की लागत कम रखना।

भारत सरकार द्वारा कार्यकारिणी दल की सिफारिशों के आधार पर 26 सितम्बर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश जारी किया गया। उसी के अन्तर्गत देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की निर्गमित एवं प्रदत्त पूंजी 25 लाख रुपये रखी गई, जिसे बाद में बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया, जिससे भारत सरकार, राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक पूंजी का अनुपात क्रमशः 50 प्रतिशत, 35 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत रखा गया। क्षेत्रीय ग्रामीण का प्रबंधन निदेशक मंडल बोर्ड आफ डायरेक्टर द्वारा किया जाना तय किया गया, जिसमें भारत सरकार, नाबार्ड,रिजर्व बैक तथा प्रायोजक बैंको के सदस्यों को मिला कर मण्डल का गठन किया गया। बैंक के अध्यक्ष प्रायोजित बैंक द्वारा नियुक्त किया जाना तय किया गया।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण देने में ग्रामीण क्षेत्र के लघु और सीमान्त कृषकों श्रमिकों, कारीगरों, लघु उद्यमियों, छोटे व्यापारियों तथा छोटे उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है। सामान्यतया इन बैंको द्वारा लक्ष्य समूह के अन्तर्गत ही ऋण वितरण किया जाता है। ग्रामीण बैंका की प्रारंभिक सफलता को देखकर धीरे–धीरे पूरे देश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। आज पूरे देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैक काम कर रहे हैं जिनकी चौदह हजार से अधिक शाखाएं विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के कार्य कर रही हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पिछले पच्चीस वर्षों से देश के विभिन्न ग्रामीण बैंकिंग सेवाएं दे रहे है। प्रायोजक बैंको और नाबार्ड की पुनर्वित्त योजनाओं के माध्यम से इन बैंको ने ऋण के प्रवाह को शहरी क्षत्रों की ओर मोड़ा है जो हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि का देखते हुए महत्वपूर्ण है। परन्तु अपनी उपलब्धिपरक सेवाओं के बावजूद ग्रामीण बैंको की स्थिति दयनीय होती गई। 31 मार्च 1994 तक कुल हानि 1,300 करोड़ रुपये के लगभग थी, जो कि 162 बैंको को शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधियों को पूर्ण रूप से निगल गई। 1994 वर्ष में 196 में से 171 बैंक घाटे में थे तथा शेष 25 बैंको का लाभ भी बहुत सीमित था। यही नही, ग्रामीण बैंककर्मियो ने न्यायालय के माध्यम से "समान काम हेतु समान काम व्यवस्था" के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैकों के बराबर वेतन भत्ता का निर्णय अपने पक्ष में प्राप्त किया, जिससे स्थापना के समय कम लागत की इन बैकों की व्यवस्था स्वतः समाप्ति की ओर अग्रसर हुई।

सर्वप्रथम गांधी जयंती के अवसर पर दो अक्तूबर 1975 को पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैक स्थापित किये गए जिनमें दो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और गोरखपुर में, एक हरियाणा के भिवानी में, एक राजस्थान के जयपुर में तथा पश्चिमी बंगाल के माल्दा जिलों में स्थापित किए गए। स्थापना के समय ग्रामीण बैंको की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये तथा चुकता पूंजी एक करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अंश पूंजी में केन्द्र सरकार का 50 प्रतिशत, संबंधित राज्य सरकार का 15 प्रतिशत और प्रायोजक बैंक 35 प्रतिशत का योगदान रखा गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का कार्य निष्पादन

196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में से 193 बैंको के वर्ष 1999–2000 के लिए परीक्षित लेखा प्रमाण उपलब्ध हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के वित्तीय निष्पादन के विश्लेषण से पता चलता है कि उनकी लाभप्रदता में सुधार आया है। 1999–2000 के दौरान 196 बैंको में से 174 बैंको ने लाभ अर्जित किया था। इन बैंको का परिचालन लाभ 1998–99 के दौरान 335.0 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 1999–2000 के दौरान 530.7 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार यह वृद्वि 58.4 प्रतिशत की रही।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शुद्ध लाभ

देश में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 27 बैंकों (19 राष्ट्रीयकृत बैंक+स्टेट बैंक+स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक) के वर्ष 1998–99 के दौरान वित्तीय निष्पादन के परिणाम गत जुलाई माह तक घोषित किए जा चुके थे। इन सभी 27 बैंको ने 1998–99 के दौरान इनके द्वारा अर्जित लाभ 4981.49 करोड़ रुपये का था।

उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट है कि गत वित्तीय वर्ष 1998–99 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के केवल दो बैंक–इंडियन बैंक व यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ही शुद्ध घाटे में रहे, शेष सभी 25 बैंक लाभ की अवस्था में हैं। घाटे वाले बैंकों में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक जहां अपने घाटे को 96.00 करोड़ रुपये से घटाकर 67. 77 करोड़ रुपये तक ले जाने में सफल रहा है, वहीं इंडियन बैंक का शुद्ध घाटा 301.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 1998–99 में 7778.49 करोड़ रुपये हो गया है. इंडियन बैंक यह घाटा इस बैंक के इतिहास में 1995–96 में 1336 करोड़ रुपये घाटे के बाद बड़ा घाटा है. इससे बैंक का कुल संचित घाटा 3181.87 करोड़ रुपये हो गया है। जबकि बैंक कुल पूंजी 2503.96 करोड़ रुपये ही है। इन परिस्थितियों में बैंक ने अपनी पूंजी में 1200 करोड़ रुपये बढ़ाने का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणों की वसूली में कमी के कारण केन्द्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के कारण दिए गए ऋण माफी कार्यक्रम भी है। इन कदमों ने ग्रामीण जनता की इस भावना को प्रबल किया है कि ऋण नहीं चुकाने से सरकार ऋण माफ कर देगी। इसी कारण चूककर्ताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है। जनता ऋण एवं अनुदान राशि का प्रयोग प्रतिभूति खरीद कर सामाजिक कार्यों में कर लेती है तथा बैकों के ऋणों का नही चुकाया जाता है। पशु खरीदने के लिए प्रदान के किए गए ऋणों में पशु के मर जाने पर बीमा दावा हेतु बैकों को सुचित नही किया जाता हैं। जनता के मन यह बात भी बैठ गयी है कि बैंक ऋण चुकाने की आवश्यकता नही है और गांव के प्रभावशाली व्यक्ति खुद ऋण अदा न करने के चक्कर में अन्य ऋणियों को भी दिगभ्रमित कर देते हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की असफलता के लिए ऋणियों तथा ऋण की सही सीमा का निर्धारण न होना भी एक कारण है। किस्तों का सही निर्धारन न करना तथा अनावश्यक शर्ते जोड़ना, ऋण दस्तावेज का अनावश्यक बोझिल करना तथा उनमें कभी छोड़ना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए ऋण प्रदान करना, अन्य वित्तीय संस्थाओं से आपसी समन्वय न होना, ऋण वितरण के बाद निगरानी न करना, राजनैतिक दबाव में ऋण वितरण करना, महाजन–साहूकारों द्वारा समानांतर ऋण व्यवस्था तथा जमाओं पर ब्याज दर की अधिकता भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रमुख समस्याएं है।

सुझाव

देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों के लिए प्रत्साहन के लिए ग्रामीण बैंक अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं बैंको में आधुनीकरण तथा मशीनीकरण के कारण अतिरिक्त मानव शक्ति का प्रयोग अतिरिक्त शाखाओं का विस्तार कर और ऋण वसूली के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को प्रभावशाली प्रशिक्षण द्वारा अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। उत्कृष्ट कार्य के आधार पर पदोन्नति और कार्य तैनाती सुनिश्चत कर लक्ष्यों के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। ग्रामीण जनता के मन में भावना जागृत करनी चाहिए कि बैंक द्वारा प्रदान किया गया ऋण चुकाना उनका उत्तरदायित्व है। प्राप्त ऋण उद्‌देश्यों के अनुसार ही प्रयोग किया जाय तथा अन्य कार्यों में प्रयोग न किया जाय। ऋण सही समय पर न चुकाने पर समाज और बैंक के समक्ष उनकी छवि अच्छी बनती है। ऋण राशि से खरीदी गई संपति की हानि होने पर बीमा का लाभ बैंकों को दिलाया जाए।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जमा संग्रहण पर अधिक ध्यान न देने के कारण जमा राशि और उधार दी गई राशि के बीच असंतुलन पैदा हो गया हैं। अतः स्थिति से निपटने के लिए ग्रामीण बैंकों की शाखाओं का ऐसे दूसरे स्थानों पर स्थानांतरण जरूरी हो गया है, जहां वाणिज्यिक बैंकों की शाखा उपलब्ध न हो। घाटे में चल रही शाखाओं का दूसरी शाखाओं के साथ विलय कर देना चाहिए। ग्रामीण बैंकिंग की सफलता की मुख्य कसौटी ऋणों की वसूली है। सरकार पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दरों पर ऋण मुहैया करा रही है और ऐसे में ऋण की वसूली न हो तो बैंकों का दोहरी चोट पहुंचती है।

अतः ऋण वसूली का लक्ष्य प्राथमिकता के आधार पर रखना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पुनगर्ठन किया जाना चाहिए, इन बैंकों को वित्तीय सहायता देकर और घाटे की पूर्ति कर आगे के लिए इनका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। वाणिज्यिक बैंकों की तरह इन बैंको को सभी व्यावसायिक गतिविधियों में व्यापार करने की भी छूट प्रदान की जानी चाहिए तथा क्षेत्र के साहूकार और महाजनों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को विशेषरूप से ध्यान रखना चाहिए कि वह अनुत्पादक ऋण न प्रदान करें और कृषि के साथ–साथ औद्योगिक ऋण को भी प्राथमिकता प्रदान करें। ग्रामीण बैंको से संबंधित नीतिगत निर्णय नाबार्ड प्रायोजक बैंक अथवा सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए वेतन, भत्ते, स्थानांतरण, पदोन्नति और निष्कासन संबंधी एक समान नियम बनाए जाने चाहिए तथा स्थानीय लोगों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि ग्रामीणों को सरकारी योजनाएं अच्छी तरह समझाई जा सकें।

उपर्युक्त कार्यों के लिए स्थानीय विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, सरपंच,तहसीलदार तथा खंड विकास अधिकारी की सहायता से ग्रामीण जनता को, गांव–गांव में शिविर लगाकर अभियान के तहत् ऋण वितरण और वसूली हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। आज वैश्वीकरण और उदारीकरण का युग है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में नए–नए कार्यक्रम और नीतियां बनाई जा रही हैं। अतः इस दौर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाना होगा और अपने आपको को लाभप्रद संस्था के रूप में स्थापित करना होगा। तभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण विकास में अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभा सकेंगे। ❑

(लेखक भारतीय समाजिक संस्थान, नई दिल्ली में सहायक कार्यक्रम अधिकारी हैं)

ग्रामीण विकास और प्रौढ़ साक्षरता एक अध्ययन

डा. के. गोविन्दप्पा

पिछले पांच दशकों में ग्रामीण विकास संबंधी भारत के अनुभवों से इस बात की पुष्टि होती है कि इस क्षेत्र में सूक्ष्म –आयोजना, सूक्ष्म–ऋण और लोगों की भागीदारी अनिवार्य है। पिछले वर्षों में आयोजना, संसाधन जुटाने, संसाधनों के अनुप्रयोग, कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें लागू करने में लोगों को शामिल करने के प्रयास किए गए हैं। विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जलसंभर संघों, वन संरक्षण समितियों, जल उपभोक्ता संगठनों, शिक्षा समितियों, स्वास्थ्य समितियों जैसे कुछ संस्थानों की स्थापना की गयी। भागीदारी पूर्ण ग्रामीण विकास की सफलता शिक्षा के स्तर और विशेषकर व्यावहारिक रूप में लोगों के शिक्षित होने पर अधिक निर्भर करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की दर कम होने और गांवों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए भारत में प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और अन्य साक्षरता अभियानों के जरिए व्यापक कार्यक्रम पर अमल शुरू किया गया।

शिक्षा को मोटे तौर पर लोगों में व्यावहारिक कौशल को बढ़ावा देने के एक साधन के रूप में समझा जाता है। हाल के वर्षों में, शिक्षा विशेषकर प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत केवल साक्षरता और गणितीय कौशल को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। साक्षरता, व्यावहारिकता और सामाजिक जागरूकता को समान महत्व दिए जाने के बावजूद भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केवल साक्षरता को बढ़ावा देने के इर्द–गिर्द केन्द्रित रहा। यहां तक कि प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कराए गए अध्ययनों के अंतर्गत भी साक्षरता और साक्षरता के प्रसार के लिए तकनीकी–प्रशिक्षण तथा साक्षरता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रबंध संबंधी समस्याओं, जैसे मुद्दों पर ही अधिक विचार किया गया। इस संदर्भ में यह ध्यान देने की बात है कि प्रौढ़ शिक्षा को सामान्य रूप से और साक्षरता को विशेष रूप से, व्यावहारिक कौशल का दायरा बढ़ाने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों के रूप में समझा जाना चाहिए। अतः सीखने वाले के व्यावहारिक स्तरों पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का अध्ययन करने की आवश्यकता है।

व्यावहारिक साक्षरता

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (1978) संबंधी भारत सरकार की नीति में व्यावहारिकता पर बल दिया गया है, ताकि प्रौढ़ शिक्षा के शिक्षार्थी उच्च जीवन स्तर बनाये रखने के लिए अपनी उत्पादन क्षमताओं में व्यापक बढ़ोतरी करने और समाज में सक्रिय भूमिका अदा करने में सक्षम हो सकें। परन्तु, इसके बावजूद नीति दस्तावेज में प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले व्यावहारिकता क्षेत्रों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। हेबर (1981) कार्य क्षमता में सुधार के लिए अन्य बातों के अलावा उत्पादन संबंधी व्यावहारिक ज्ञान एवं कौशल को व्यावहारिकता का प्रमुख लक्ष्य मानते हैं। तिवारी (1976) और वासुदेव राव (1984) द्वारा किए गए अध्ययनों में कहा गया था कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने में व्यावहारिकता को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया।

शिक्षार्थियों के व्यावहारिकता स्तरों पर प्रौढ़ शिक्षा के प्रभाव को जानने की कोशिश गिने–चुने अध्ययनों में की गयी है। इसकी वजह यह हो सकती है कि प्रौढ़ शिक्षा में शामिल किए जाने वाले व्यावहारिकता क्षेत्रों के बारे में विशिष्ट दिशा–निर्देशों का अभाव है। फिर भी व्यावहारिकता के बारे में कुछ अध्ययनकर्ताओं ने अपनी समझ से उपयुक्त व्यावहारिकता क्षेत्रों को अध्ययन के लिए चुना। परिणामस्वरूप उत्पादन की वैज्ञानिक पद्धतियों, खेती के आधुनिक तौर–तरीकों, व्यावसायिक और व्यावहारिक कौशल आदि क्षेत्रों को अध्ययन में शामिल किया गया। अग्निहोत्री (1974) ने अपने अध्ययन में यह तथ्य उदघाटित किया कि ग्रामीण शिक्षार्थियों को प्रौढ़ शिक्षा के जरिए खेती की वैज्ञानिक पद्धतियों की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिली। वैंकटैया (1977) ने सिद्ध किया कि शिक्षार्थियों ने आधुनिक खेती पद्धतियों के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। राव (1980) ने अन्य बातों के अलावा इस बात की पुष्टि की कि प्रौढ़ शिक्षा में केवल साक्षरता पर ध्यान दिया गया, जबकि व्यावहारिकता की ज्यादातर अनदेखी की गयी। नटराजन (1982) के अनुसार साक्षरता कार्यक्रम शिक्षार्थियों में व्यावहारिक ज्ञान और कौशल के विकास पर जोर डालने में विफल रहा। गोविंदप्पा (1990) का निष्कर्ष था कि शिक्षार्थियों के व्यावहारिक कौशल का कुछ हद तक विकास हुआ, और

व्यवस्थित शिक्षार्थी अपनी व्यावहारिकता के स्तर में सुधार करने में सफल रहे।

इस प्रकार अन्नतपुर जिले में शिक्षार्थियों के व्यावहारिकता स्तरों के विश्लेषण से व्यावहारिकता के संदर्भ में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के निष्पादन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इस अध्ययन के प्रयोजन के लिए हेबर और वासुदेव राव द्वारा पहले अपनाई गयी पद्धति के आधार पर व्यावहारिकता को एक ऐसा घटक समझा गया है जिसका लक्ष्य शिक्षार्थियों की व्यावसायिक समझ और उनके आर्थिक स्तर में सुधार लाना है। विशेष विश्लेषण के लिए शिक्षार्थियों के व्यावहारिकता स्तरों का अध्ययन उनके व्यावसायों के बारे में उन्हें दी गयी जानकारी की मात्रा, विकास कार्यकर्ताओं की भूमिका के बारे में शिक्षार्थियों की जानकारी ; विकास एजेंसियों के कार्य के प्रति जागरूकता; विभिन्न विकास कार्यक्रमों की जानकारी; और आर्थिक विकास कार्यक्रमों में शिक्षार्थियों की विकास भागीदारी; के आधार पर किया जा सकता है।

अध्ययन

वर्तमान अध्ययन में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के जरिए किए गए उन प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जो शिक्षार्थियों में व्यावहारिकता के प्रसार के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के हिस्से के रूप में शुरु किये गये थे। अध्ययन के विशेष लक्ष्यों में, व्यावसायिक विकास के बारे में जानकारी, विकास एजेंसियों के बारे में कार्यसाधक ज्ञान, विकास कार्यक्रमों और विकास भागीदारी के बारे में व्यावहारिक ज्ञान के संदर्भ में शिक्षार्थियों के व्यावहारिकता स्तरों का मूल्यांकन शामिल है। अध्ययन के अंतर्गत उन घटकों का भी विश्लेषण किया गया, जो शिक्षार्थियों में व्यावहारिक कौशल के सुधार में बाधक हैं।

इस अध्ययन के प्रत्यार्थियों और निष्कर्षों का संबंध आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के शिक्षार्थियों के साथ है। अनन्तपुर जिला आंध्र प्रदेश के बेहद पिछड़े जिलों में से एक है। अनन्तपुर को चिरकालिक सूखे की आशंका वाले जिले के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सूखे और संसाधन हीनता के

कारण ये जिला निर्धन और पिछड़ा हुआ है। जिले की 31.79 लाख की आबादी में केवल 33 प्रतिशत साक्षर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की दर और भी कम, करीब 28 प्रतिशत है। इस जिले में रात्रि स्कूल प्रणाली के जरिए 1882 में प्रौढ़ शिक्षा शुरु की गयी थी, और 1893 में 28 प्रौढ़ रात्रि स्कूल काम कर रहे थे। स्थानीय बोर्डों, नगर पालिकाओं और शिक्षाविदों की सक्रिय भूमिका की बदौलत 20वीं सदी के शुरू में जिले में 133 प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जो चुकी थी। स्वतंत्रता के बाद, समुदाय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शुरु किए गए स्थानीय शिक्षा कार्यक्रम की सहायता से प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में करीब 2,600 लोगों को साक्षर बनाया गया। 1980 में इस क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत के साथ प्रौढ़ शिक्षा प्रसार कार्यक्रम में रुचि की समीक्षा की गयी। कार्यक्रम के शुरू में एक प्रौढ़ शिक्षा परियोजना शुरू की गयी जिसके अंतर्गत 300 प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले गए। ऐसी दूसरी परियोजना 1985 में प्रारंभ की गयी। 1986–87 के बीच अनेक स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय विश्वविद्यालय (श्री कृष्ण देवरैया यूनिवर्सिटी) ने प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने में हिस्सा लिया। जिले में 1990 के अंत तक 4093 प्रौढ़ शिक्षा केंद्र स्थापित किए जा चुके थे, जिनमें 3,46,549 शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

प्रौढ़ शिक्षा स्वयंसेवियों के जरिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में केन्द्र आधारित दृष्टिकोण की बजाय भागीदारी पूर्णदृष्टिकोण अपनाया गया। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव सामने आए। भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण से शिक्षार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। 1990 में प्रौढ़ शिक्षार्थियों की संख्या दस हजार थी जो 1996 में बढ़कर 60 हजार पर पहुंच गयी। परन्तु शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आयी, क्योंकि स्वयंसेवी शिक्षकों को समुचित प्रशिक्षण या सामग्री और संस्थागत सहायता प्रदान नहीं की गयी थी।

मौजूदा अध्ययन जिले की तीन प्रमुख राजस्व डिवीजनों के 15 गांवों का प्रतिनिधित्व करने वाले उन 300 शिक्षार्थियों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है, जिन्हें प्रौढ़ शिक्षा स्वयंसेवियों ने दाखिल किया था। गांवों का चयन भौगोलिक ग्रिड आधार पर किया गया था, जबकि इन गांवों से शिक्षार्थियों का चयन बेतरतीब आधार पर किया गया। जानकारी अनुसूचियों के आधार पर एकत्र की गई।

शिक्षार्थियों के व्यावहारिकता स्तरों पर कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के

लिए प्रतिशत, भारित औसत, काइ–स्क्वेयर और सह–संबंध का इस्तेमाल करते हुए सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया। व्यावहारिकता के क्षेत्र में प्रदर्शित क्षमता के अनुसार शिक्षार्थियों को अंक दिए गए। शिक्षार्थी के लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, परिवार के प्रकार, जन्म, जाति, व्यवसाय, भू–संपत्ति और आय जैसे परिवर्तों के संदर्भ में कार्यक्रम के तुलनात्मक प्रभाव का अध्ययन किया गया।

व्यावसायिक विकास के बारे में जानकारी

व्यावहारिक ज्ञान, जैसे कौशल बढ़ाने वाले आधुनिक उपकरणों, कच्चे माल के स्रोतों, ऋण के स्रोत,विपणन सुविधाओं और सहकारिता की जानकारी, जैसे क्षेत्रों में शिक्षार्थियों ने सीमित ज्ञान का परिचय दिया। कुल मिलाकर 23.3 प्रतिशत शिक्षार्थियों को अपने–अपने व्यवसाय से संबद्ध आधुनिक कौशलों की जानकारी थी। परिष्कृत उपकरणों और कच्चे माल के स्रोतों के संबंध में क्रमशः 27 प्रतिशत और 29 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने जानकारी प्राप्त की। ऋण स्रोतों की जानकारी केवल 36 प्रतिशत शिक्षार्थियों को थी, जबकि विपणन सुविधाओं से केवल 39 प्रतिशत शिक्षार्थियों का परिचय था।

विभिन्न परियोजनाओं में व्यावसायिक विकास के बारे में शिक्षार्थियों की जानकारी अलग–अलग थीं। आधुनिक कौशल की जानकारी में स्वयंसेवी परियोजना के शिक्षार्थियों की जानकारी का स्तर अन्य शिक्षार्थियों की तुलना में बेहतर था। सरकारी परियोजना कच्चे माल के स्रोतों के बारे में जानकारी के प्रसार में बेहतर परिणाम हासिल कर सकी। विश्वविद्यालय परियोजना परिष्कृत उपकरणों और ऋण के स्रोतों तथा विपणन सुविधाओं के बारे में जानकारी में सुधार लाने में अपेक्षाकृत बेहतर नहीं कर पाई।

व्यावसायिक विकास से संबंधित क्षेत्रों के बारे में शिक्षार्थियों के व्यावहारिक ज्ञान से पता चलता है, कि अपेक्षाकृत एक तिहाई से कम शिक्षार्थी अपेक्षित जानकारी हासिल करने में सक्षम थे। इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय परियोजना के करीब 33 प्रतिशत शिक्षार्थी पर्याप्त जानकारी हासिल कर पाये,जबकि उनकी तुलना में स्वयंसेवी संगठन परियोजना के 39 प्रतिशत और सरकारी परियेाजना में 29 प्रतिशत शिक्षार्थियों को यह जानकारी थी।

विकास कार्यकर्ताओं की भूमिका के बारे में जानकारी

विकास कार्यकर्ताओं की भूमिका के बारे में शिक्षार्थियों की जानकारी का स्तर अपेक्षाकृत बेहतर था। करीब 58 प्रतिशत शिक्षार्थियों को पंचायत अध्यक्ष की भूमिका की समझ थी। करीब 56 प्रतिशत शिक्षार्थी ग्राम विकास अधिकारी की भूमिका से परिचित थे और 55 प्रतिशत शिक्षार्थियों को मंडल विकास अधिकारी के कार्यों का ज्ञान था। बैंक प्रबंधक और विस्तार अधिकारी की भूमिकाओं को क्रमशः 49 प्रतिशत और 41 प्रतिशत शिक्षार्थी उचित ढंग से स्पष्ट कर पाये।

सरकारी परियोजना में शिक्षार्थी अन्य शिक्षार्थियों की तुलना में विस्तार अधिकारी की भूमिका को बेहतर ढंग से समझते थे। स्वयंसेवी संगठनों के शिक्षार्थियों को पंचायत अध्यक्ष, मंडल विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के कार्यों की बेहतर जानकारी थी। बैंक प्रबंधक की भूमिका के प्रति जागरूकता विश्वविद्यालय परियेाजना के शिक्षार्थियों में अपेक्षाकृत अधिक मिली। शिक्षार्थियों के बीच विकास कार्यकर्ताओं की भूमिका की जानकारी के प्रसार में विभिन्न एजेंसियों की कार्यक्षमता से पता चलता है, कि स्वयंसेवी संगठन ने सरकारी और विश्वविद्यालय परियोजनाओं की तुलना में बेहतर परिणाम हासिल किए।

विकास एजेंसियों के बारे में व्यावहारिक जानकारी

शिक्षार्थियों के बीच विभिन्न एजेंसियों और परियोजनाओं के बारे में व्यावहारिक जानकारी के स्तर में व्यापक अंतर पाया गया। 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षार्थियों को बैंकों की भूमिका के बारे में पता था, जबकि 40 प्रतिशत पंचायत या नगर पालिका के कार्यों को स्पष्ट कर पाये। शिक्षार्थियों के बीच बीमा एजेंसियों (21 प्रतिशत), जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, शहरी बुनियादी सेवाएं परियोजना (26 प्रतिशत) और लघु बचत एजेंसियों (25 प्रतिशत) के बारे में जानकारी का निम्न स्तर देखने को मिला।

विश्वविद्यालय परियोजना के तहत शिक्षार्थियों के बीच विकास एजेंसियों की व्यावहारिक जानकारी का स्तर ऊंचा था। स्वयंसेवी संगठनों के शिक्षार्थियों के बीच बैंक, स्थानीय स्वशासन, ग्राम विकास एजेंसी और लघु बचत एजेंसियों की जानकारी का स्तर अपेक्षाकृत बेहतर था। बीमा एजेंसियों की भूमिका के बारे में सरकारी परियोजना के शिक्षार्थियों को बेहतर जानकारी थी। समग्र निष्पादन के संदर्भ में विश्वविद्यालय परियोजनाओं के शिक्षार्थियों का स्तर ऊंचा था। विश्वविद्यालय शिक्षार्थियों की भारित औसत 34.8 थी, जबकि सरकारी परियोजना के प्रशिक्षार्थियों में यह औसत 33.00 और स्वयंसेवी संगठन के प्रशिक्षार्थियों में 30.4 प्रतिशत थी।

विकास कार्यक्रमों के बारे में व्यावहारिक जानकारी

विकास कार्यक्रमों की समझ के व्यावहारिक स्तर का पता लगाने के लिए जिले में जारी पांच विकास कार्यक्रमों को शिक्षार्थियों के समक्ष रखा गया। करीब 47 प्रतिशत शिक्षार्थियों को **ड्वाकरा**–ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम की जानकारी थी। करीब 45 प्रतिशत शिक्षार्थी कमजोर वर्गों के लिए आवास कार्यक्रम से परिचित थे। जवाहर रोजगार योजना और बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की जानकारी क्रमशः 39 प्रतिशत और 34 प्रतिशत शिक्षार्थियों को थी। केवल 32 प्रतिशत शिक्षार्थी ट्राइसेम यानी ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम से परिचित थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम तथा बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की समझ स्वयंसेवी संगठन के शिक्षार्थियों में अधिक पाई गयी। विश्वविद्यालय परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना के बारे में अधिक जागरूकता देखी गयी। सरकारी परियेाजना के शिक्षार्थियों में अन्य एजेंसियों के शिक्षार्थियों के मुकाबले कमजोर वर्गों के

लिए आवास कार्यक्रम के बारे में बेहतर जानकारी देखी गयी।

विकास कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता के प्रति व्यावहारिकता के बारे में भारित औसत देखने से पता चलता है कि स्वयंसेवी संगठनों (41.6) के तहत काम करने वाले केंद्रों ने विश्वविद्यालय (40.4) और सरकारी (36.2) केंद्रों की तुलना में बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए।

विकास भागीदारी

गिने–चुने शिक्षार्थियों ने मौजूदा विकास कार्यक्रमों का उपयोग किया, और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न लाभ प्राप्त किए। केवल 55 (18.33 प्रतिशत) शिक्षार्थी विकास कार्यक्रमों का उपयोग कर पाये। इनमें से 26 शिक्षार्थी स्वयं सेवी एजेंसी, 17 सरकारी परियोजना और मात्र 12 विश्वविद्यालय परियोजना से संबद्ध थे।

शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त सहायता को देखने से पता चलता है कि 14 प्रतिशत ने नकद ऋण और 13.6 प्रतिशत ने कच्चे माल के रूप में सहायता प्राप्त की। लाभार्थी शिक्षार्थियों में से 13 प्रतिशत के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। 6 प्रतिशत शिक्षार्थियों को उनके उत्पादों के लिए विपणन सुविधा मुहैया करायी गयी।

व्यावसायिक विकास, विकास कार्यकर्ताओं, विकास एजेंसियों और विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में व्यावहारिकता का निम्न स्तर, एक तरह से विकास कार्यक्रमों में भागीदारी की कमी को दर्शाता है। नतीजतन, विकास कार्यक्रमों में भागीदारी द्वारा बहुत कम लाभार्थी अपनी व्यावसायिक क्षमता और आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाये।

शिक्षार्थियों का व्यावहारिकता स्तर

व्यावहारिकता के स्तरों, और व्यावसायिक तथा आर्थिक स्थितियों से संबद्ध क्षेत्रों में उनकी जानकारी और अभिरुचि पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अलग–अलग प्रभाव के अध्ययन का मूल्यांकन अभी किया जाना है।

शिक्षार्थियों के व्यावहारिकता अंक 0 से 72 तक रहे। विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत शिक्षार्थियों के अंकों में यह देखा गया कि 44.6 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने बहुत कम, यानी 24 से भी कम अंक प्राप्त किए। 35.33 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने औसत अंक हासिल किए। केवल 60 (20 प्रतिशत) शिक्षार्थियों ने 48 से अधिक अंक प्राप्त करके व्यावहारिकता का उचित स्तर हासिल किया।

स्वयंसेवी संगठन के शिक्षार्थियों ने अपेक्षाकृत बेहतर व्यावहारिकता स्तर हासिल किया जिसकी पुष्टि भारित औसत से होती है। स्वयंसेवी संगठनों के अंतर्गत करीब 24 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने उचित व्यावहारिकता अंक हासिल किए, जबकि विश्वविद्यालय और सरकारी परियोजनाओं के अंतर्गत केवल 18 प्रतिशत शिक्षार्थी यह सफलता प्राप्त कर पाए। दूसरी ओर विश्वविद्यालय परियोजना के 48 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने कम अंक हासिल किए, जबकि स्वयंसेवी संगठन परियोजना के अंतर्गत केवल 40 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने कम अंक हासिल किए।

जन सांख्यिकीय विभिन्नताएं और व्यावहारिकता पर उनका अलग–अलग प्रभाव

पुरुष और महिला शिक्षार्थियों के बीच व्यावहारिकता स्तर की उपलब्धियां भिन्न–भिन्न रहीं। पुरुषों की उपलब्धि महिलाओं की तुलना में थोड़ा बेहतर थी। करीब 42.67 प्रतिशत पुरुषों ने कम अंक हासिल किए, जबकि कम अंक हासिल करने वाली महिलाएं 46.67 प्रतिशत थीं। व्यावहारिकता में औसत अंक पुरुषों के मामले में 36 और महिलाओं के मामले में 34.6 प्रतिशत थे। व्यावहारिकता का उचित स्तर हासिल करने वाले पुरुष 21.33 प्रतिशत थे,जबकि महिलाओं में केवल 18.7 प्रतिशत ने उचित व्यावहारिकता स्तर हासिल किया था।

शिक्षार्थी की आयु और व्यावहारिकता हासिल किए जाने के बीच संबंधसूत्रता के बारे में मिलाजुला रुख दिखाई दिया। बड़ी उम्र के 49 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने व्यावहारिकता अंक कम हासिल किए, जबकि 25 से 35 वर्ष की आयु समूह में कम अंक हासिल करने वाले शिक्षार्थी 38.8 प्रतिशत और 25 वर्ष से कम आयु वर्ग में कम अंक हासिल करने वाले शिक्षार्थी 47.6 प्रतिशत थे। दूसरी ओर बड़ी उम्र के शिक्षार्थियों में 20.25 प्रतिशत, 25 से 35 वर्ष के शिक्षार्थियों में 19.83 प्रतिशत और 25 वर्ष से कम आयु के शिक्षार्थियों में 20 प्रतिशत ऐसे थे, जिन्होंने व्यावहारिकता का उचित स्तर हासिल किया। आयु और व्यावहारिकता के बीच सह संबंध (आर=0.53) से पता चलता है कि आयु और व्यावहारिकता उपलब्धि के बीच सामान्य रचनात्मक संबंध है।

वैवाहिक स्थिति के अनुसार व्यावहारिकता की उपलब्धता में अंतर है। 24.11 प्रतिशत अविवाहित शिक्षार्थियों ने उचित व्यावहारिकता अंक प्राप्त किए, जबकि उनकी तुलना में यह उपलब्धि 16.56 प्रतिशत विवाहितों और 50.58 प्रतिशत विधवाओं/विधुरों ने हासिल की। औसत अंक हासिल करने वालों में 29 प्रतिशत विधुर/विधवाएं, 34.8 प्रतिशत अविवाहित और 36.9 प्रतिशत अविवाहित शिक्षार्थी शामिल थे। व्यावहारिकता में कम उपलब्धि हासिल करने वालों में 41 प्रतिशत अविवाहित, करीब 46.5 प्रतिशत विवाहित और 48.4 प्रतिशत विधुर/विधवा शिक्षार्थी शामिल थीं।

व्यावहारिकता पर जन–सांख्यिकीय भिन्नताओं के प्रभाव से संकेत मिलता है कि पुरुषों और बड़ी उम्र के लोगों पर व्यावहारिकता का रचनात्मक प्रभाव पड़ा,जबकि शिक्षार्थियों की व्यावहारिकता उपलब्धि पर वैवाहिक स्तर का असर कम देखने को मिला।

सामाजिक भिन्नताएं और व्यावहारिकता पर भिन्न प्रभाव

व्यावहारिकता का निर्धारण शिक्षार्थी के परिवार, जाति और जन्म जैसे सामाजिक घटकों के आधार पर होता है। एकल परिवारों के शिक्षार्थियों की तुलना में सयुक्त परिवारों के शिक्षार्थी व्यावहारिकता उपलब्धियों में पिछड़े हुए होते हैं। 47.44 प्रतिशत संयुक्त परिवारों की तुलना में केवल 41.67 प्रतिशत एकल परिवारों के शिक्षकों ने व्यावहारिकता के कम स्तर का प्रदर्शन किया। एकल परिवारों के 32.6 प्रतिशत शिक्षार्थियों और संयुक्त परिवारों के 37.8 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने औसत व्यावहारिकता अंक प्राप्त किए। संयुक्त परिवारों के 14.7 प्रतिशत शिक्षार्थियों की तुलना में एकल परिवारों के 25.7 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने व्यावहारिकता में उचित स्तर हासिल किया।

जाति और शिक्षार्थी तथा व्यावहारिकता के स्तर के बीच संबंध से संकेत मिलता है कि सामान्य श्रेणियों के करीब 39 प्रतिशत शिक्षार्थियों, अनुसूचित जनजातियों के करीब 22.2 प्रतिशत, पिछड़े वर्गों के 17.07 और

अनुसूचित जातियों के मात्र 2.67 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने व्यावहारिकता का उचित स्तर हासिल किया। अनुसूचित जातियों के 64 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के 50 प्रतिशत, पिछड़े वर्गों के 48.8 प्रतिशत, और सामान्य श्रेणियों के मात्र 20.2 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने व्यावहारिकता का कम स्तर हासिल किया।

इस प्रकार सामान्य श्रेणियों के शिक्षार्थियों पर व्यावहारिकता का रचनात्मक प्रभाव पड़ा। व्यावहारिकता पर जाति के प्रभाव की पुष्टि महत्वपूर्ण तुलनात्मक सांख्यिकीय मूल्य से होती है और यह संबंधसूत्रता सामान्य रूप से रचनात्मक पाई गयी है।

शिक्षार्थी के जन्म और व्यावहारिकता स्तर के बीच संबंध है। शहरी क्षेत्रों के शिक्षार्थी उचित व्यावहारिकता स्तर हासिल करने में नाकाम रहे। व्यावहारिकता का कम स्तर हासिल करने वाले शहरी शिक्षार्थी 46 प्रतिशत और ग्रामीण शिक्षार्थी 44 प्रतिशत थे। जहां तक औसत व्यावहारिकता अंक हासिल करने का प्रश्न है, उसमें शहरी और ग्रामीण शिक्षार्थियों के बीच अधिक अतर नहीं है। व्यावहारिकता का उच्चतर स्तर हासिल करने वालों में 21 प्रतिशत ग्रामीण शिक्षार्थियों की तुलना में शहरी शिक्षार्थी मात्र 18 प्रतिशत थे।

आर्थिक भिन्नताएं और व्यावहारिकता के स्तर पर भिन्न प्रभाव

शिक्षार्थियों की आर्थिक भिन्नताओं और व्यावहारिकता के बीच रचनात्मक सह संबंध देखा गया। व्यापार में लगे करीब 40.63 प्रतिशत, खेती में लगे 36.67 प्रतिशत और सेवारत 25.35 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने व्यावहारिकता का उचित स्तर हासिल किया। दूसरी और करीब सात प्रतिशत कारीगरों और कृषि श्रमिकों ने उच्चतर व्यावहारिकता स्तर प्राप्त किया। मात्र 15 प्रतिशत व्यापारी शिक्षार्थियों और 35 प्रतिशत सेवारत शिक्षार्थियों ने व्यावहारिकता का कम स्तर हासिल किया। इसी प्रकार करीब 50 प्रतिशत कारीगरों और 60 प्रतिशत कृषि श्रमिकों में व्यावहारिकता का स्तर कम रहा। सह–संबंध मूल्यों के गुणांक संबंधी तुलनात्मक सांख्यिकीय मूल्य से इस बात की पुष्टि होती है कि शिक्षार्थी के व्यावहारिकता स्तर पर व्यवसाय का प्रभाव रचनात्मक पड़ता है।

औसत (64.29 प्रतिशत) और लघु (18.42 प्रतिशत) क भाक शिक्षार्थियों ने व्यावहारिकता का बेहतर स्तर हासिल किया। दूसरी ओर करीब 18 प्रतिशत भूमिहीन शिक्षार्थियों और मात्र आठ प्रतिशत सीमांत कृषक शिक्षार्थियों ने व्यावहारिकता का उचित स्तर प्राप्त किया। व्यावहारिकता का कम स्तर हासिल करने वालों में केवल 10.7 प्रतिशत मध्यम कृषक शामिल थे, जबकि बहुत कम भूमि रखने वाले किसानों में 45 प्रतिशत इस श्रेणी में आते थे। इस तरह भू–संपदा और व्यावहारिकता के विश्लेषण से पता चलता है कि उनके बीच उच्च रचनात्मक संबंध हैं।

शिक्षार्थियों की व्यावहारिकता के स्तरों पर आय का निर्णायक प्रभाव पड़ता है। करीब 76.3 प्रतिशत ऐसे शिक्षार्थियों ने व्यावहारिकता का उचित स्तर हासिल किया, जिसकी आय 24,000 रुपये वार्षिक से अधिक थी। दूसरी ओर मध्यम और निम्न आय समूहों में क्रमशः केवल 16.9 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने व्यावहारिकता का उचित स्तर हासिल किया। निम्न आय वर्ग में 70 प्रतिशत, मध्यम आय वर्ग में 28 प्रतिशत और उच्च आय वर्ग में मात्र 5 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने व्यावहारिकता का कम स्तर हासिल किया।

शिक्षार्थियों के बीच व्यावहारिकता के स्तर पर शिक्षा के प्रभाव के बारे में किए गए सामान्य विश्लेषण से पता चलता है कि व्यावहारिकता पर पर्याप्त बल नहीं दिया गया है। करीब एक तिहाई शिक्षार्थियों को अपने व्यवसाय विकास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अध्ययन में शामिल किए गए करीब 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को विकास कार्यकर्ताओं की जानकारी थी। विकास एजेंसियों के बारे में जानकारी केवल 32 प्रतिशत शिक्षार्थियों को थी। मात्र 18 प्रतिशत शिक्षार्थी जारी विकास कार्यक्रमों का लाभ उठाने में सक्षम दिखाई दिए।

यह निष्कर्ष भी निकला कि करीब 45 प्रतिशत शिक्षार्थी व्यावहारिकता का कोई युक्तिसंगत स्तर हासिल करने में विफल रहे, जबकि मात्र 20 प्रतिशत को पर्याप्त व्यावाहारिक जानकारी थी। पुरुषों, अविवाहित शिक्षार्थियों और एकल परिवारों के शिक्षार्थियों की उपलब्धि व्यावहारिकता में अधिक रही। सामान्य जातियों, उच्च व्यवसायों, बड़े भू–स्वामियों और उच्च वार्षिक आय से संबद्ध शिक्षार्थियों ने अपनी व्यावहारिकता के स्तर में महत्वपूर्ण और रचनात्मक बढ़ोतरी की।

सारांश, निष्कर्ष और सुझाव

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य व्यावहारिकता हासिल करने के संदर्भ में शिक्षार्थियों पर प्रौढ़ शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करना था। अध्ययन के अंतर्गत प्रभाव में अंतरों के लिए जिम्मेदार घटकों पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया।

व्यावहारिकता हासिल करने की दृष्टि से शिक्षार्थियों की उपलब्धियां बहुत कम रहीं। करीब 45 प्रतिशत शिक्षार्थियों ने कम व्यावहारिकता हासिल की। दूसरी ओर मात्र 20 प्रतिशत शिक्षार्थी ही व्यावहारिकता का बेहतर स्तर हासिल कर पाये। शिक्षार्थियों में व्यावहारिकता को बढ़ावा देने के मामले में स्वयंसेवी संगठन की उपलब्धियां बेहतर रहीं।

व्यावहारिकता के विभिन्न स्तरों में यह देखा गया कि करीब एक–तिहाई शिक्षार्थियों को व्यवसाय विकास के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्राप्त हुई। विकास एजेंसियों की जानकारी मात्र 32 प्रतिशत शिक्षार्थियों को थी, जबकि विकास कार्यकर्ताओं की भूमिका का ज्ञान केवल 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को था। करीब 39 प्रतिशत शिक्षार्थी जारी विकास कार्यक्रमों से परिचित थे। किन्तु, केवल 18 प्रतिशत शिक्षार्थियों को इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने में सफलता मिली।

पुरुष और अविवाहित शिक्षार्थियों में व्यावहारिकता के क्षेत्र में रचनात्मक उपलब्धि देखी गयी। एकल परिवारों, ग्रामीण समुदायों और सामान्य जातियों के शिक्षार्थियों ने व्यावहारिकता का बेहतर स्तर हासिल किया। शिक्षार्थियों के व्यावहारिकता स्तर में उच्च व्यवसायों, कम भूमि–धारकों और उच्च वार्षिक आय जैसे घटकों का रचनात्मक सह–संबंध दिखाई दिया।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में व्यावहारिकता स्तरों में सुधार के लिए सुझाव

अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षार्थियों की व्यावहारिकता में सुधार लाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का समग्र

प्रभाव संतोषजनक नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में व्यावहारिकता घटक में सुधार के बारे में सुझाव शिक्षार्थियों और शिक्षकों दोनों की ओर से दिए गए हैं। शिक्षार्थियों की प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की अवधि 9 महीने से बढ़ाकर डेढ़ वर्ष की जानी चाहिए। इससे कार्यक्रम के व्यावहारिकता घटक पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त समय जुटाया जा सकेगा। कुछ शिक्षार्थियों की राय है कि प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कामकाजी आबादी की जरूरतों के अनुसार प्रातः और सायं की पारियों में चलाये जाने चाहिए। किसानों और खेतिहर श्रमिकों ने शिक्षा के लिए प्रातः के घंटों को प्राथमिकता दी, जबकि कारीगरों, व्यापारियों और नियोजित शिक्षार्थियों ने सांयकालीन सत्रों को वरीयता दी। दूसरी ओर महिलाओं ने इच्छा व्यक्त की कि उनके लिए दोपहर के समय कक्षाओं की व्यवस्था की जाए।

शिक्षकों ने अपने अनुभवों के आधार पर अनेक सुझाव दिए। इनमें कुछ इस प्रकार हैं–

- शिक्षार्थियों के लाभ के लिए व्यावहारिकता से संबद्ध मुद्दों के बारे में सूचना सामग्री की आपूर्ति करना।
- व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वास्थ्य, सफाई, टीकाकरण, वनरोपण, रेशम कीटपालन, पशुपालन, उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग आदि से संबंधित पहलुओं के बारे में चार्ट उपलब्ध कराये जायें, ताकि शिक्षार्थियों में व्यावाहारिक जानकारी पैदा की जा सके।
- शिक्षार्थियों को व्यावहारिकता पहलुओं की जानकारी देने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार प्रौढ़ शिक्षा कक्षा में सरकारी अधिकारियों, बैंकों और अन्य विकास एजेंसियों के कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए।
- शिक्षार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करना और उन्हें प्रमाणपत्र जारी करना जिनमें उनके उपलब्धि–स्तर का उल्लेख किया गया हो, ताकि वे रोजगार और आय के अवसर पैदा करने वाले कार्यक्रमों में उनका इस्तेमाल कर सकें।
- वाचन सामग्री की मात्रा में सुधार करना।
- पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय और क्षेत्रीय बोलियों को शामिल करना।

परियोजना प्रमुखों ने भी व्यावाहारिकता पहलुओं से संबंधित शिक्षण सामग्री शामिल किए जाने की जरूरत महसूस की ताकि उसे शिक्षार्थियों के बीच वितरित किया जा सके।

यह अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि सामान्य रूप से शिक्षार्थियों की क्षमता और विशेष रूप से उनकी व्यावहारिकता में सुधार करने की आवश्यकता है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में व्यावहारिकता संबंधी पहलुओं को शामिल करने के लिए सांस्कृतिक माध्यमों का इस्तेमाल अधिक कारगर ढंग से किया जाना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करने वाले को विकास कार्यक्रमों में संभावित भागीदार के रूप में समझा जाना चाहिए और उन्हें तदनुरूप प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। शिक्षार्थियों के व्यावसायिक हितों की पहचान उनके प्रवेश के पहले सप्ताह में ही कर लेनी चाहिए। परिष्कृत पद्धतियों, उन्नत कौशल और समुचित प्रौद्योगिकी के जरिए व्यावसायिक प्रगति के बारे में जानकारी प्रत्येक व्यावसायिक समूह से संबद्ध शिक्षार्थियों को दी जानी चाहिए। इसे व्यावहार्य बनाने के लिए दस केंद्रों के समूह के लिए एक व्यावसायिक समूह बनाया जा सकता है, और सभी केन्द्रों में बारी–बारी से सूचना सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा पर्यवेक्षकों को व्यावसायिक सूचना सत्रों का विशेष प्रभार दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रत्येक केन्द्र में शिक्षार्थियों का प्रवेश तीस तक सीमित है, जिसमें से 18 से 22 शिक्षार्थी 9 महीने की अल्पावधि के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनमें से भी प्रत्येक केन्द्र से औसतन दो या तीन शिक्षार्थी व्यावहारिकता का लक्षित स्तर हासिल कर पाते हैं। मौजूदा गति से ''सबके लिए शिक्षा'' का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा, यानी इस सदी के अंत तक, हासिल नहीं किया जा सकता। तत्संबंधी अभियान का लक्ष्य सभी समुदायों में एक साथ प्रौढ़ निरक्षरों को शामिल करने का होना चाहिए। इस कार्यक्रम में कक्षा के कमरे में सीखने क साथ–साथ वास्तविक सामाजिक स्थिति में स्वयं सहायता कार्यक्रमों में भागीदारी को भी शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षकों, पर्यवेक्षकों और समन्वयकर्ताओं को सामुदायिक प्रबंधकों की भूमिका अदा करनी चाहिए ताकि साक्षरता की परिणति सामाजिक जागरूकता और व्यावहारिकता की परिणति ग्रामीण विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के रूप में हो सके। ❑

(लेखक एस.के. यूनिवर्सिटी, अनन्तपुर, के ग्रामीण विकास और सामाजिक कार्य विभाग में असोशिएट प्रोफेसर हैं।)
(अनुवादक : मंजुला भारद्वाज)

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो और उसके साथ मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। **कुरुक्षेत्र** में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख संपादक, **कुरुक्षेत्र** कमरा नं. 655/661, विंग 'ए' गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

सबके लिए शिक्षा जरूरी

सर्वशिक्षा अभियान के राष्ट्रीय मिशन की शासी परिषद की पहली बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लोकतंत्र ने एक संवैधानिक गारंटी के तौर पर लोगों को निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में इस अधिकार के पक्ष में राजनीतिक आम सहमति है और हमारी सरकार ने इस वादे को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए शिक्षा अधिभार लागू करने का फैसला किया है ताकि इस कार्यक्रम के लिए जरूरी धन उपलब्ध कराया जा सके।

डा. मनमोहन सिंह ने कहा कि जैसा कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री दोनों ने ही कहा है कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके बाद अब केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों को हमारे सभी बच्चों के लिए शिक्षा के चिराग जलाने के वादे को पूरा करने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। डा. सिंह ने बैठक में उपस्थित सभी लोगों को इस कार्यक्रम के व्यापक महत्व को स्वीकार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह मात्र हमारे राजनीतिक घोषणापत्र में शामिल मुद्दा नहीं है और न ही यह वर्तमान कार्यक्रमों की सूची में मौजूद बहुत–से कार्यक्रमों के बीच एक और कार्यक्रम है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक और हरेक स्तर पर सरकारी कर्मियों का पवित्र कर्त्तव्य है।

''सर्वशिक्षा अभियान'' के द्वारा यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्रत्येक गांव और मोहल्ले के 6 से 14 वर्ष उम्र–वर्ग के बच्चों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हों और आठवीं कक्षा तक उनकी पढ़ाई जारी रहे और साथ ही स्कूलों की कार्य प्रणाली दुरुस्त हो। पढ़ाई के दौरान स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या काफी अधिक है और दोपहर के भोजन, मुफ्त पाठ्यपुस्तक और अन्य प्रकार के लाभों के प्रावधान स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रखने के सिलसिले में काफी महत्वपूर्ण हैं। **''सर्व शिक्षा अभियान''** के साथ ''दोपहर के भोजन'' की योजना को जोड़ने का यह सही समय है। ''दोपहर का भोजन'' के द्वारा छात्रों की विद्यालय में उपस्थित सुनिश्चित होगी और ऐसे में यह देखना होगा कि किस प्रकार विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। राज्य सरकारों को नई नीतियों के साथ इस काम में आगे आना चाहिए और इसमें स्थानीय सरकारों और पंचायतों को शिक्षकों की देख–रेख में निश्चित तौर पर शामिल करना चाहिए। जम्मू–कश्मीर और उत्तर–पूर्वी राज्यों को संसाधनों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। केन्द्रीय वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्याक्ष इस मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विचार करेंगे। **सर्व शिक्षा अभियान** की सफलता इस बात पर निर्भर है कि सरकार की शिक्षा प्रणाली इन जरूरतों को किस हद तक समाहित करती है। इसके लिए सभी स्तरों पर शैक्षणिक प्रशासन की कार्यप्रणाली में अधिकाधिक खुलापन, लचीलापन, उत्तदायित्व और पादरर्शिता लाने की जरूरत है।

पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत बनाना सरकारी प्रणाली को कारगर बनाने का एक प्रमुख तरीका है। इसके लिए इन विकेन्द्रित निकायों और इनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण की जरूरत है। **सर्व शिक्षा अभियान** के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों** को शामिल करके एक सहायता योजना शुरू की है। इसके जरिए देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए लगभग 750 आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अल्प संख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए 75 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मुस्लिम आबादी वाले जिलों और ब्लाकों में नये प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालय खोलने के बारे में विचार कर रही है। वार्षिक कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देते समय इन पक्षों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और ऐसा करते समय कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता को ध्यान में रखना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने **''सर्व शिक्षा अभियान''** को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का आहवान करते हुए कहा कि इसमें विशेषज्ञों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और बुनियादी संगठनों को निश्चित तौर पर शामिल करना चाहिए। इस अभियान के द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा मिलने के साथ ही उन सभी लोगों को अवसर मिलना चाहिए जो हमारे देश के नागरिकों को शिक्षित और सक्षम देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी भारत को एक ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था और समाज बनाना चाहते हैं और कोई भी इस सपने को तब तक साकार नहीं कर सकता जब तक कि ज्ञानशंकु की आधारशिला कमजोर हो। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक भारतीय एक शिक्षित नागरिक के रूप में गौरवन्वित महसूस करें। ❑

(साभार : प्रेस सूचना कार्यालय)

अनिवार्य शिक्षा की ओर बढ़ते कदम

एम. जया सिंह

शिक्षा मानवीय मूल्यों और विकास की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। इसीलिए वर्ष 2004–05 से लगातार दो बजटों में शिक्षा–संबंधी संसाधनों के आवंटन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से ही पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को अत्यधिक महत्व दिया गया है। निरक्षरता उन्मूलन के लिए बनाई गई योजनाओं में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन्हें देखते हुए इस दिशा में प्रगति धीमी रही है। विश्व में कई जगह कराए गए विभिन्न अध्ययनों के दौरान यह पाया गया कि छात्रों के स्कूल में दाखिले का सार्वजनिक कोष पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पिछड़े से पिछड़े क्षेत्रों में भी यदि स्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुरूप अध्यापक भी हों और साथ ही बेहतर सुविधाएं भी, तो छात्र स्कूल की पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। यदि स्कूल जाने की उम्र में बच्चों को दाखिला लेने के लिए प्रेरित करना है तो प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना होगा तथा बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना होगा।

वर्ष 2005–06 के केन्द्रीय बजट में केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए ही 11,217,26 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। यह राशि 2004–05 की तुलना में 19.5 प्रतिशत अधिक है। अन्य सभी केन्द्रीय करों के अलावा प्राथमिक शिक्षा पर अधिभार से इस सामाजिक कार्य के लिए अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ है।

स्कूल जाने वाली उम्र के सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए सर्व शिक्षा अभियान के लिए वर्ष 2005–06 के बजट में 7,156 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस योजना के लिए अक्षय निधि के रूप में प्रारंभिक शिक्षा कोष की स्थापना की गई है। ये पहले स्कूलों के लिए नई बुनियादी सुविधाएं जुटाने के अलावा सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाएंगी। प्राथमिक विद्यालयों में पोषक आहार उपलब्ध कराने के लिए दोपहर के भोजन कार्यक्रम के वास्ते 3010.76 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

जनगणना 2001 की रिपोर्ट के अनुसार 2001 में साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि 1991 में यह दर 52.21 प्रतिशत थी। हालांकि यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, तथापि शेष 34.62 प्रतिशत जनसंख्या की अनदेखी तो नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत वर्ष 2005 तक साक्षरता दर 75 प्रतिशत करने का लक्ष्य है और इसे पूर्ण साक्षरता माना जाता है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की जा चुकी है, लेकिन यदि देश को प्रबुद्ध समाज के रूप में विकसित करना है तो जरूरी होगा कि कोई व्यक्ति निरक्षर न रहे। इसके लिए हर भारतीय बस्ती के एक किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय होना उचित है।

कई स्कूलों में सिर्फ एक ही अध्यापक है। इससे भी शिक्षा का स्तर गिर सकता है। सर्वशिक्षा अभियान परियोजना के मंजूरी बोर्ड ने 2004–05 में राष्ट्रीय स्तर पर गांवों में 44,719 नए स्कूल खोलने और 2,10,431 अतिरिक्त अध्यापकों की भर्ती पर अपनी सहमति व्यक्त की है। इससे अध्यापक और विद्यार्थियों के अनुपात में सुधार आएगा। सभी गांव हाल ही में भू–उपग्रह एडुसेट के दायरे में आ गए हैं और यह उपग्रह दूरी तथा बाधाओं की परवाह किए बिना शहरों में उपलब्ध श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के बीच सेतु का कार्य कर सकता है।

भारत ने विश्व में अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख केन्द्र के रूप में अपनी पहचान बना ली है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भारत में अपने विकास केन्द्र मात्र सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि औषधि, जैव और अन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भी स्थापित किए गए हैं। भारत में श्रम लागत अन्य देशों की तुलना में कम है और गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छी भी है। इसी वजह से दूसरे देश अपना कारोबार यहां स्थापित करने के प्रति उत्सुक रहते हैं। इसी रूझान को बनाए रखने और कुशल श्रम शक्ति के विस्तार के लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि कोई भी योग्य शिक्षार्थी व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रहे। उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 1990–91 की तुलना में, 2000–01 में 62.50 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लिया और यह संख्या निरंतर बढ़ रही है। लेकिन बहुतों के लिए वित्तीय समस्या उच्च शिक्षा में आड़े आती है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने आसान किस्तों में शैक्षिक ऋण की व्यवस्था की है। 31 दिसम्बर, 2004 तक एक करोड़ 40 लाख छात्रों ने अपना सपना साकार करने के लिए इस ऋण का लाभ उठाया और अब तक 2249 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में वितरित की जा चुकी है। हालांकि शिक्षा का उद्देश्य आदमी को मात्र रोजगार दिलाना नहीं होता लेकिन आदमी को जीवन–यापन योग्य बनाने में शिक्षा की भूमिका की अनदेखी भी नहीं की जा सकती।

इसको ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने देश भर में 2005–06 में 100 आई टी आई संस्थानों को उन्नत बनाने की पेशकश की है। कई ऐसे नए पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई गई है, जिससे छात्र आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के अनुसार खुद को तैयार कर सकें।

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा के लिए रखा गया है। पिछले दो बजटों में प्रदर्शित रूझान इसका परिचायक है। ❑

संपूर्ण स्वच्छता अभियान और निर्मल ग्राम पुरस्कार

राजीव मेहरोत्रा

भारत में विशेषकर गांवों में स्वच्छता की स्थिति बहुत शोचनीय है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 57 वर्षों के बाद भी भारत में विश्व में सबसे कम शौचालयों का इस्तेमाल होता है। सरकार के नवीनतम आकड़ों के अनुसार भी 65 प्रतिशत आबादी खुले में मल त्याग करती है। स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में दस्त, हैजा, मलेरिया, आदि बीमारियों से प्रति वर्ष हजारों बच्चों की मृत्यु हो जाती हैं सरकार की ओर से यह अनुमान लगाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तीन करोड़ लोग स्वच्छता संबंधी रोगों से ग्रस्त हैं तथा स्वच्छता संबंधी रोंगों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के 18 करोड़ श्रमदिवसों तथा 1,200 करोड़ रुपये की वार्षिक क्षति होती है। इन तथ्यो का ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने स्वच्छता को अपनी उच्च प्राथमिकता में शामिल करके वर्ष 1999 में "संपूर्ण स्वच्छता अभियान" नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया। ग्रामीण स्वच्छता के इस कार्यक्रम को बहुत व्यापक रूप दिया गया है तथा इसमें वयैक्तिक घरेलू शौचालय, स्कूल तथा आंगनवाड़ी में शौचालय निर्माण तथा सामुदायिक परिसरों तथा बाजारों में शौचालयों का निमार्ण आदि स्वच्छता संबंधी घटक शामिल किए गए हैं। कार्यक्रम के अंतगर्त शौचालयों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। ताकि विभिन्न आम वर्ग के परिवार अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार शौचालय बनाने में समर्थ हो सकें।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लागू करने में तंत्र की विकेन्द्रीकरण नीति का सहारा लिया गया है। 2 अक्टूबर, 2003 को केंद्रीय सरकार ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतगर्त "निर्मल ग्राम पुरस्कार" नामक एक वार्षिक प्रोत्साहन योजना लागू की है। इस पुरस्कार योजना का मुख्य उदेश्य उन जिलों, ब्लॉकों तथा ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करना है जिन्होंने अपने क्षेत्र में संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है जो निम्नानुसार है:–

(क) सभी परिवारों में शौचालयों की सुविधा होनी चाहिए और संबंधित पंचायती राज संस्थाओं में खुले में मल त्याग करने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। (ख) सभी विद्यालयों में स्वच्छता में सुविधाएं हों और इनका उपयोग भी किया जाता हो। सह–शिक्षा वाले सभी विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय हों। (ग) सभी आंगनवाड़ियों में स्वच्छता सुविधाएं हों। (घ) गांव में आम सफाई हों।

उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त करने पर पुरस्कार जनसंख्या मापदंड के आधार पर तीन श्रेणियों ग्राम पंचायत (दो से चार लाख रुपये) ब्लॉक स्तर (दस से बीस लाख रुपये) तथा जिला स्तर (तीस से चालीस लाख रुपये) पर दिए जाएंगे।

पुरस्कारों के उपयुर्क्त स्वरूप के कारण पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका आने वाले समय में निर्णायक सिद्ध होगी। ग्रामीण परिवेश में महिलाएं अपने–अपने घर, पास–पड़ोस में स्वच्छता कार्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकती हैं। वे एक–दूसरे को बेहतर तरीके से स्वच्छता के बारे में समझा–बुझा भी सकती हैं। यह तथ्य प्रथम निर्मल ग्राम पुरस्कारों के वितरण में

श्रीमती पी.के. लक्ष्मी माननीय राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करते हुए

श्रीमती वी. चंद्रिका विश्वनाथन माननीय राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करते हुए

और अधिक स्पष्ट हो गया है। पुरस्कार प्राप्त करने वाली छः राज्यों की 40 पंचायती राज संस्थाओं (38 ग्राम पंचायत तथा दो ब्लॉक पंचायत) में से आठ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनकी अध्यक्ष महिला हैं। जो इस तथ्य को स्वयं इंगित कर रहा है कि भविष्य में ग्रामीण विकास में महिलाएं अहम् भूमिका निभाएंगी और उनको नजरअंदाज करना सरल नहीं होगा।

महिलाओं का निरक्षर होना, जागरूकता की कमी, सामाजिक सेवा के स्थान पर घरेलू जिम्मेवारियों के निर्वहन को प्राथमिकता, निर्णय लेने में हिचक, पुरुष–प्रभुत्व समाज में महिलाओं को कमजोर समझना आदि ऐसी तमाम बातों के नकारते हुए निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त प्राप्त किए हैं।

राष्ट्रीय पुरस्कार का अपना महत्व है श्रीमती पी.के. लक्ष्मी (अध्यक्ष, पीलीकोट ग्रामपंचायत)

केरल राज्य में एकमात्र निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव व्यासर गोड़ जिले में पीलोकोट ग्राम पंचायत को हासिल हुआ है। इसकी अध्यक्ष पी.के. लक्ष्मी हैं। उन्हे ग्राम पंचायत के लिए पुरस्कार स्वरूप चार लाख नगद तथा एक–एक प्रशस्ति पत्र स्मृति चिहन प्रदान किया है। वह बताती हैं कि पीलीकोट ग्राम पंचायत का क्षेत्र 26.77 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जिसमें लगभग 4083 परिवार रहते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार इस की कुल 5703 मकान हैं तथा इन सभी में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

केरल में आप की ग्राम पंचायत ने सबसे पहले यह लक्ष्य कैसे प्राप्त कर लिया? इस प्रश्न के बारे में वह बताती हैं कि वर्ष 1990 में संपूर्ण साक्षारता अभियान की कामयाबी ने किसी भी कार्य के सफलतापूर्वक करने का आत्मविश्वास जगाया। वैसे तो वर्ष 1995–2000 के बीच जब मै उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थी, इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। वर्ष 2000–05 के लिए अध्यक्ष पद पर चयन होने के बाद मैं इस लक्ष्य के प्रति और भी गंभीर तथा सक्रिय हो गयी। हमने यह लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया।

पहले चरण में हमने 748 स्वयं सेवकों की एक सर्वेक्षण टीम गठित की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 1996 को इस टीम ने घर–घर जाकर शौचालय की उपलब्धता के बारे में सर्वेक्षण किया सर्वेक्षण से हमें पता चला कि गांव में कुल 2020 मकान ऐसे हैं जिनमें शौचालय की सुविधा नही है। इनमें से 1900 परिवार गरीबी रेखा से नीचे के थे तथा 24 सार्वजनिक संस्थान तथा चार मुख्य बाजार ऐसे थे जहां शौचालय की सुविधा नहीं थी। सर्वेक्षण के बाद एक पंचायत विकास समिति का गठन किया गया। फिर एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें हमने स्कूली बच्चों तथा महिलाओं की सर्वाधिक सेवा ली। संपूर्ण पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता संबंधी पोस्टर तथा बैनर लगाए गए तथा घर में ही शौचालय बनाने के लिए लोगों को शिक्षित किया। शीघ्र ही शौचालय के महत्व को लोगों ने समझा और हमें सहयोग देना शुरू किया। प्रत्येक शौचालय के निर्माण पर लगभग दो हजार रुपये का खर्चा आया। इसमें 500 रुपये केंद्रीय सरकार, 1000 रुपये ग्रामपंचायत, 250 रुपये मकान मालिक से नकद अथवा श्रम अथवा सामग्री के रूप में लिए गए। पहले चरण में केवल घरों में ही शौचालय बनाने के कार्य को प्राथमिकता दी गयी। 17 नवम्बर, 1997 को माननीय मुख्यमंत्री ई.के. नायानार द्वारा उदघाटन करके पहला चरण पूरा माना गया। पंचायत ने इस दिन को 'ग्रामोत्सव' के रूप में मनाया।

द्वितीय चरण में स्कूली स्वच्छता कार्यक्रम पर फोकस केंद्रित किया गया। कार्यक्रम का मोटों 'स्कूलों में स्वच्छता तथा स्कूलों के जरिये स्वच्छता' रखा गया। 15 अगस्त, 1998 को स्कूल स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामपंचायत के अंतगर्त आने वाली सभी ग्यारह स्कूलों (छः सरकारी) में छात्र–छात्राओं दोनों के लिए अलग–अलग शौचालयों, 21 आंगनबाड़ी में बाल–सुलभ शौचालय बनाए गए तथा बीस सार्वजनिक संस्थानों में शौचालय बनाए गए।

इनकी स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए स्कूलों में 'विधार्थी स्वास्थ्य क्लब' तथा आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी हेल्पर बारी–बारी से शौचालयों की सफाई करते हैं।

तीसरे चरण में हमारा मोटा 'संपूर्ण स्वास्थ्य (वास सहित) के लिए संपूर्ण स्वच्छता' हैं यह अभियान पर्यावरणीय स्वच्छता पर आधारित है। भूमि के प्रयोग में परिवर्तन, जीवल शैली, वन कटाई, एकीकृत विकास में जल संभर

का महत्व, जल रिचार्ज की आवश्यता वर्षा जल के संचयन आदि पर कारवाई की जाएगी।

अधिकांश ग्राम पंचायतें वित्तीय संसाधनों के अभाव में कार्यक्रम को सही रूप से लागू नहीं कर पाती हैं। इस के जबाव में वह कहती हैं। "केरल में पंचायती राज काफी सुदृढ़ है अपना उदाहरण देते हुए वह बताती हैं कि हमारी ग्राम पंचायत का बजट लगभग 2.50 करोड़ रुपये का है। इसमें योजना अनुदान के रूप में केरल सरकार 60 लाख केंद्र सरकार 10 लाख रुपये तथा गैर योजना अनुदान के रूप में केरल सरकार 50 लाख रुपये देती है, जबकि लगभग एक करोड़ रुपये ग्राम–पंचायत अपने स्रोतों से जुटाती है। वह एक महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी देती है कि उनकी ग्राम–पंचायत संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों तथा संस्थानों से प्रोफेशनल कर के रूप में न्यूनतम 120 रुपये का अधिकतम 1250 रुपये उगाती है।

एक प्रश्न के जबाव में वह बताती हैं कि उन्हें अभी तक अध्यक्ष होने के कारण ग्रामीण पुरुष के अहम अथवा अन्य सरकारी मामलों के कारण सरकारी नीतियों को लागू करने में कभी भी बाधा नही आयी है। घरेलू जिम्मेदारियों तथा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के रूप में समन्वय कैसे बैठाती हैं, 47 वर्षीय लक्ष्मी मुस्कुराते हुए कहती हैं दो किशोर बच्चों की मां होने के बावजूद की मैने हमेशा ही दोनों स्तर पर जिम्मेदारियों का बखूबी निभा किया है। इसका श्रेय वे अपने पति को भी देती हैं जो सदैव ही उन्हें सहयोग देते हैं। वे एक बहुत रोचक बात है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त होने से पहले ही वर्ष 1997–98 में पीलोकोट ग्राम पंचायत को केरल सरकार ने राज्य में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में 'स्वराज ट्राफी' से सम्मानित किया गया था। तथा पुरस्कार स्वरूप 25 लाख रुपये की नकद राशि प्रदान की गयी थी। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार के रूप में उन्हें महज चार लाख रुपये प्राप्त हुए हैं लेकिन आगे वह कहती हैं कि उनकी नजर में राशि नहीं बल्कि पुरस्कार का महत्व हैं। माननीय राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त कर वह अभिभूत है और इसे अपने जीवन का सबसे यादगार तथा महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखती है।

पुरस्कार पाना सपने के समान श्रीमती वी. चंद्रिका विश्वनाथन (अध्यक्ष, काटुपुत्तर ग्रामपंचायत)

तमिलनाडु राज्य से 12 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें से एक वेल्लोर जिले के कन्नीयमबाड़ी ब्लॉक की काटुपुत्तर ग्राम पंचायत है। 35 वर्षीय वी. चंद्रिका विश्वनाथन इस ग्राम पंचायत की पिछले चार वर्षों से सरपंच हैं। वह अनुसुचित जाति की है। वेटलोर जिले के अंतर्गत आने वाली 27 ग्राम पंचायतों में वी चंद्रिका एकमात्र महिला सरपंच है। इस ग्राम पंचायत के अंतगर्त कुल 631 परिवार हैं जिनकी कुल जनसंख्या 2,783 है। अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग से संबंध रखती है। वे बताती हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में वर्ष 1999 में इस स्कीम को शुरू किया गया। अभियान के तहत एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले 154 परिवार ऐसे थे जिनके सदस्य शौचालय के अभाव में खुले में मल त्याग करते थे। ये सभी परिवार समझाने पर अपने घरों में शौचालय बनाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन प्रारंभ में ये अपनी ओर से कोई धनराशि देने के लिए तैयार नहीं थे। सरकार ने प्रति शौचालय केवल पांच सौ रुपये की राशि आबंटित की थी। इस राशि में शौचालय निर्माण करना संभव नहीं हो पा रहा था। ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट भी बहुत कम महज 21 हजार रुपये था। अतः उसमें से भी सहायता देना संभव नही था। अतः शौचालय के निर्माण में लीच–पिट प्रौद्योगिकी का विकल्प चुना गया, जिसमें खर्चा काफी कम 625 रुपये आ रहा था। ग्राम पंचायत ने प्रत्येक परिवार को व्यक्तिगत स्तर पर खुले में शौच करने पर स्वास्थ्य संबंधी नुकसानों के बारे में बताया। तत्पश्चात वे अपना अंशदान 125 रुपये देने लिए तैयार हुए। वैयक्तिक शौचालय के निर्माण के बाद ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले चार स्कूलों तथा दो आंगनबाड़ी में शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में कार्य करते हुए विशेषकर विकास संबंधी कार्यों के दौरान अपने पुरुष सहयोगियों अथवा सरकारी मुलाजिमों से किसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा? इस प्रश्न के जबाव में वह बताती हैं कि तमिलनाडु की अधिकांश ग्राम पंचायतों का माहौल अब बदल रहा है और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पुरुष मानसिकता अथवा सरकारी मुलाजिमों का रवैया अड़चन के रूप में आड़े नहीं आ रहा है। पुरस्कार लेते समय अपने अनुभवों के बारो में वी चंद्रिका बताती है कि "इतने विशाल भवन में इतने भव्य समारोह में पुरस्कार प्राप्त करना किसी सपने से कम नही था।" वास्तव में अधिकांश ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों के लिए विज्ञान भवन में देश के प्रतिष्ठित लोगों के बीच मंच पर जाकर सही तरह से पुरस्कार प्राप्त करना काफी कठिन कार्य लग रहा था। आयोजकों ने इस बात को समझा। इसलिए उन्होने प्रातः काल में पुरस्कार–प्राप्ति से संबंधित औपचारिकताओं का प्रशिक्षण दिया" क्या आप भारत के राष्ट्रपति को नाम तथा चेहरे से पहचानती थीं?" दसवीं पास वी. चंद्रिका मुस्करा कर रह जाती हैं।

"दो लाख रुपये की पुरस्कार राशि का उपयोग कैसे करेंगी?" इस बारे में वह बताती है कि अभी हमने सोचा नहीं है। यह ग्राम पंचायत की सभा में फैसले पर निर्भर करेगा।

देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार आयीं वी. चंद्रिका हिंदी भाषा से बिलकुल अनभिज्ञ है। यहां आकर पहली बार हिंदी भाषा के महत्व का पता चला। दिल्ली भ्रमण के दौरन उन्हें मुगल गार्डन, लाल किला, कुतुबमीनार काफी पसंद आए।

'पंचायती राज संस्थाओं के और अधिक प्रभावी तथा कारगर बनाने के लिए आप के मन में कोई नया विचार है?' इस पर उनका कहना है कि ग्रामपंचायत में सरपंच का पद काफी चुनौतीपूर्ण होता है। ग्राम पंचायत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी समय आना–जाना पड़ता है। लेकिन मुझे सरपंच के नाते महज 350 रुपये वाहन भत्ते के रूप में प्राप्त होते हैं। अब ग्राम पंचायत के कार्य को समाजसेवा के कार्य के रूप में देखने की सरकार की नीति में बदलाव की आवश्यकता है। निश्चय ही ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों के लिए वेतन का प्रावधान होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी

बढ़ेगी और वे निश्चित रूप से अधिक सक्रिय होकर कार्य करेंगी।

यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण का प्रतीक एम.डी. शिंदे (अध्यक्ष, सवनबाड़ी ग्रामपंचायत)

महाराष्ट्र के सांगली जिले के मिराज तालुका की सबनबाड़ी ग्राम पंचायत के भी प्रथम निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव हासिल हुआ है। माननीय राष्ट्रपति ने इस ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एम.डी. शिंदे, ग्राम पंचायत सदस्य श्रीमती लीलावती आनंदराव पवार तथा ग्राम सेवक श्रीमती जी.एस. रामटेक की संयक्त रूप से पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया है।

श्री शिंदे बताते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या सात सौ है। इसमें कुल 125 परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है तथा ये गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं। इन परिवारों के सभी लोग खुले में मल त्याग करते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश के अपने छोटे–छोटे मकान थे लेकिन बहुत कम आय होने तथा आय कर निश्चित स्रोत न होने के कारण ये मकानों में शौचालय बनाने आवश्यक नहीं समझते थे। पीढ़ियों से खुले मल त्याग करने की आदत के कारण घर में ही शौचालय निर्माण के बारे में इन्हें राजी करना काफी कठिनाई भरा कार्य था। जी.एस.रामटेक जो गांव की सबसे अधिक शिक्षित महिला एसएससी (कृषि) हैं बतातीं है कि भारतीय ग्राम परम्परावादी समूहवादी एवं धर्म प्रदान होने के कारण बहुत से परिवार धार्मिक और पारम्परिक नियमों के चलते अपने घरों में शौचालय का निमार्ण नही करते हैं। लेकिन जब हमनें सरकारी खर्चे से शौचालय बनाने तथा उसके फायदों के बारे में बार–बार संदेश दिए तो इन लोंगो ने भी इसकी आवश्यकता का समझा।

ग्राम पंचायत सदस्य लीलावती बताती हैं कि हमने ग्राम पंचायत में यह निर्णय लिया है कि खुले में मल त्याग करते पकड़े जाने पर आर्थिक जुर्माना भरना पड़ेगा। यद्यपि ऐसा हमने किया नहीं। लेकिन वास्तव में इसका मनोवैज्ञानिक लाभ मिला। इससे सारे क्षेत्र में जागरूकता उत्पन्न हुई और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में धीमे–धीमे सफल होने लगे। वह आगे बताती हैं कि प्रत्येक शौचालय निर्माण के लिए सरकार ने 500 रुपये का बजट निर्धारित किया था। इस राशि से हमने शॉकपिट प्रौद्यगिकी से शौचालय का निर्माण कराने का निर्णय लिया। यह शौच गड्ढे वाला होता है तथा इसका उपयोग बीस वर्ष तक किया जा सकता है। वर्ष 2002–03 तक हमारी ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का लक्ष्य का प्राप्त कर लिया।

"यह पुरस्कार संबनबाड़ी ग्रामपंचायत के लिए क्या मायने रखता है।" इसका उत्तर शिंदे देते हैं, "निश्चय ही ग्राम पंचायत और महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली उभर कर सामने आएंगी और हमारा गांव एक आदर्श गांव के रूप में सामने आएगा।

"पुरस्कार के बारे में प्राप्त दो लाख का उपयोंग कैसे करेंगे" इसके बारे श्री शिंदे बताते है कि "ग्राम पंचायत में पहले इस राशि से गांव में एक 'महिला सास्कृतिक भवन' का निर्माण किया जाएगा। ताकि यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में देखा जाएं।" ❑

(लेखक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में वरिष्ठ अनुवादक हैं।)

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/ चाहती हूं/ चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये, दो वर्ष के लिए 135 रुपये, तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का

(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

....

पिन ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग,

पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066

*कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर **निदेशक, प्रकाशन विभाग** को नई दिल्ली में देय हो।*

पहला निर्मल ग्राम पुरस्कार वितरण समारोह

पहला निर्मल ग्राम पुरस्कार वितरण समारोह विज्ञान भवन के प्लीनरी हॉल में आयोजित किया गया। (निर्मल ग्राम पुरस्कार ग्रामीण स्वच्छता कवरेज को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.), व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों का सम्मान देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। राष्ट्रपति महामहिम डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने पंचायती राज संस्थानों के चुने गए कर्मियों को पुरस्कार प्रदान किया।

भारत में ग्रामीण स्वच्छता के वर्तमान निचले स्तर को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने और उसके द्वारा जीवन गुणवत्ता सुधारने को उच्च प्राथमिकता दी है। उचित स्वच्छता सुविधाओं की कमी से भारी मात्रा में आंत्रशोथ, पोलियो, मियादी बुखार जैसी बीमारियां होती हैं और इससे अनुमानतः अर्थव्यवस्था को 180 मिलियन श्रम दिवसों और 12 बिलियन रुपये की वार्षिक हानि होती है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) शुरू किया है जिसे जिले को एक इकाई मानकर कार्यान्वित किया जाता है और इसका उद्देश्य जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करके पूर्ण स्वच्छता कवरेज सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम देश के 452 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस पर 4,411 करोड़ रुपये का व्यय होगा जिसमें केन्द्र, राज्य सरकारों तथा समुदाय का अंश क्रमशः 2,620 करोड़ रुपये, 979 करोड़ रुपये तथा 812 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं को 4–5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है। अब तक संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सबसे बड़ी उपलब्धि ग्रामीण परिवारों में 1.10 करोड़ शौचालयों का निर्माण है जिनमें 90 लाख बी.पी.एल. परिवार और विद्यालयों में 1.25 लाख शौचालयों ब्लॉक शामिल हैं।

ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए बजटीय परिव्यय में निरंतर वृद्धि की है जो 2001–02 में 130 करोड़ रुपये थी और अब चालू वित्त वर्ष में 400 करोड़ रुपये कर दी गई है और आने वाले वित्त वर्ष में इसमें और वृद्धि करके इसे 700 करोड़ रुपये किया जा रहा है। अगले वित्त वर्ष तक संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) परियोजनाओं को देश के सभी जिलों में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है ताकि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न जाए। यह भी प्रस्ताव है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना (2006–07) के अंत तक सभी ग्रामीण विद्यालयों में जलापूर्ति और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं।

स्वच्छता को बढ़ावा देने में समुदायों, पंचायती राज संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2003 को पंचायती राज संस्थाओं, व्यक्तियों और संगठनों के लिए एक प्रोत्साहनवर्धक योजना, "निर्मल ग्राम पुरस्कार" शुरू की थी। इस योजना के अनुसार उन पंचायती राज संस्थानों को पुरस्कार दिए जाएंगे जहां पूर्ण स्वच्छता प्राप्त कर ली गई है और खुले में शौच से मुक्त वातावरण बन गया है। पुरस्कार की राशि संबंधित पंचायती राज संस्थाओं की जनसंख्या के अनुसार अलग–अलग होती है। ग्राम पंचायत के लिए पुरस्कार राशि 2 लाख रुपये से 4 लाख रुपये के बीच होती है और पंचायत समिति केलिए यह राशि 10 लाख रुपये से 20 लाख तथा जिला पंचायत के लिए 30 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच होती है। पुरस्कारों की घोषणा के प्रत्युत्तर में 487 पंचायती राज संस्थानों से आवेदन प्राप्त हुए थे जिन्हें निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर विस्तार से जांचा गया था :–

- प्रभावी पंचायती राज संस्था को खुले में शौच से मुक्त होना चाहिए तथा सभी परिवारों को शौचालय सुविधा सुलभ होनी चाहिए।
- सभी सह–शिक्षा विद्यालयों और आंगन–वाड़ियों के मामले में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
- गांव में आम तौर पर स्वच्छता रहनी चाहिए।

आवेदन की प्रारंभिक तौर पर विभाग द्वारा और बाद में इस क्षेत्र की स्वतंत्र निगरानी एजेंसियों द्वारा संवीक्षा की गई थी। स्वतंत्र आकलनकर्त्ताओं से प्राप्त फीड–बैक के आधार पर निर्मल ग्राम पुरस्कार पर सचिव (डी.डब्ल्यू.एस.) की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय समिति ने 38 ग्राम पंचायतों और एक ब्लॉक पंचायत को पुरस्कार स्वीकृत किए थे। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल में पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम II ब्लॉक द्वारा सामुदायिक भागीदारी के साथ ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देने में निभाई गई शीर्ष भूमिका को स्वीकार करते हुए इस ब्लॉक को विशेष पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया।

कुल 40 पंचायती राज संस्थानों को पुरस्कृत किया गया और ये 6 राज्यों अर्थात् – तमिलनाडु (13), महाराष्ट्र (13), प. बंगाल (11), त्रिपुरा (1), केरल (1) और गुजरात (1) से हैं। इन पंचायती राज संस्थानों को नकद पुरस्कार के रूप में कुल 130 लाख रुपये दिए गए। इसके अलावा, एक स्मृति–चिह्न और एक प्रमाण–पत्र भी दिया गया।

स्वच्छता और स्वास्थ्य की आवश्यकता के विषय में लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने "यूनीसेफ" के सहयोग से एक राष्ट्रीय और जिला स्तरीय संचार नीति विकसित की है। इस संचार नीति का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है ताकि भोजन से पहले और शौच के बाद हाथ–धोने की आवश्यकता महसूस कराई जा सके और इसे बढ़ावा दिया जा सके तथा पीने के उचित भंडारण को भी प्रोत्साहित किया जा सके।

ग्रामीण स्वच्छता को प्रोत्साहित करने में पंचायती राज संस्थाओं के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करने की दृष्टि से पहली बार "निर्मल ग्राम पुरस्कार" दिया गया और यह अपेक्षा की जा रही है कि इससे भारत में स्वच्छता संवर्द्धन को बहुत ताकत मिलेगी तथा इस प्रयास में भारत सरकार, राज्यों और पंचायती राज संस्थाओं को हर प्रकार की सराहना प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(साभार : प्रेस सूचना कार्यालय)

भारत में सामुदायिक रेडियो

एक संचार माध्यम के रूप में रेडियो राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कम लागत पर आसानी से कार्यक्रमों को प्रसारित करना इसकी खास विशेषता है। इसके साथ ही बैटरी द्वारा संचालित हल्के रेडियो सेटों का इस्तेमाल करना प्रायः हर व्यक्ति, यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए भी आसान है। उपयुक्त प्रयासों के बल पर रेडियो की पहुंच देश के सुदूर कोने और छिटपुट जनसंख्या वाले क्षेत्रों तक भी बढ़ाई जा सकती है।

अवधारणा : रेडियो नेटवर्क के विस्तार के तीन विकल्प हैं। पहला विकल्प व्यावसायिक प्रसारण मॉडल, दूसरा सार्वजनिक सेवा प्रसारण रूट और तीसरा विकल्प सामुदायिक रेडियो है। एक ओर जहां इन मॉडलों में से प्रत्येक प्रसारण क्षेत्र बढ़ाने में सहायक है, वहीं दूसरी ओर विशेषकर लक्षित श्रोता समूह और विषय सामग्री की भागीदारी को लेकर उनके हितों के मुद्दे पर टकराव भी हो सकता है। बाजार द्वारा संचालित होने के कारण व्यावसायिक रेडियो स्टेशन का उद्देश्य यथासंभव अधिकतम बाजार की भागीदारी दर्ज करना, कारोबार बढ़ाना और सार्वजनिक सेवा के कार्यक्रमों के बीच प्रतियोगी प्रयास करना है। दूसरी ओर सार्वजनिक सेवा–प्रसारण विशाल और विभिन्न प्रकार के श्रोता–समूह को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रसारण सामग्री पर ध्यान केन्द्रित करता है। ऐसे में व्यावसायिक पक्षों का यह कम–से–कम ख्याल करता है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण से भिन्न सामुदायिक रेडियो छोटे समुदायों को एक साथ लाने, आम आदमी के दैनिक कामकाज पर केन्द्रित करने और स्थानीय आकांक्षाओं को साकार करने में मदद करता है। इस तरह इसका लक्ष्य स्थानीय समुदायों के लोगों के लिए उनके द्वारा तैयार प्रसारण सामग्री के माध्यम से उनके जीवन में योगदान करना है।

सामुदायिक रेडियो प्रसारण नीति : दिसंबर, 2002 में सरकार ने शैक्षिक संस्थानों और संगठनों का चयन के आधार पर सामुदायिक रेडियो के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक नीति की घोषणा की। इसके अंतर्गत सामुदायिक रेडियो लाइसेंस के लिए इच्छुक संस्थानों को विहित पात्रता शर्तों और मार्गनिर्देश के अनुसार नियम और शर्तों का निर्धारण किया गया।

इस नीति की शर्तों के अनुसार केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त पूर्णतया स्थापित शैक्षिक संस्थानों अथवा संगठनों को सामुदायिक प्रसारण लाइसेंस दिए जा सकते हैं। इसमें प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के साथ ही आवासीय विद्यालय भी शामिल होंगे।

सामुदायिक रेडियो के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि, ग्रामीण और सामुदायिक विकास से जुड़े मुद्दे पर विशेष जोर देने की आशा की जाती है। इसकी विषय सामग्री सामाजिक, सांस्कृतिक, और स्थानीय मुद्दे के दायरे में होनी चाहिए और इसकी रूपरेखा, विषय और प्रस्तुति तथा भाषा से मिट्टी की खुशबू आनी चाहिए।

लाभ : शिक्षा के द्वारा विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में क्षमता का विकास इसके लाभकारी पहलू हैं। इसके द्वारा लोगों को अपना कौशल सुधारने और सृजनात्मक प्रतिभाओं में सुधार लाने के अवसर मिलेंगे। इससे पारम्परिक बौद्धिकता, ज्ञान और कौशल के संरक्षण और प्रोत्साहन द्वारा स्थानीय भाषा, कला, शिल्पकला, संस्कृति और पारम्परिक मूल्यों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। सामुदायिक रेडियो के माध्यम से ग्रामीण जनसंख्या तक आसान पहुंच के द्वारा कृषि, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में सामाजिक जानकारी पहुंचेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू और ग्रामीण उद्योग और ग्रामीण उद्योग के लिए नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से लाइसेंस मिलने के बाद चेन्नई स्थित अन्ना विश्वविद्यालय में स्थापित सामुदायिक रेडियो स्टेशन देश का पहला ऐसा केन्द्र है जो पहली फरवरी, 2004 से संचालित है।

बाधाएं : इस ठोस अवधारणा को और सकारात्मक पहल के बाद भी कुछ आशंकाए थीं। एक आशंका यह थी कि शैक्षणिक संस्थाओं के पास सामाजिक हित को देखते हुए समाज और समुदायों के उत्थान के लिए क्षमता और इच्छाशक्ति है या नहीं। देश में वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य और हमारे समाज की बहुलवादी प्रकृति भी चिंता के दूसरे कारण थे। इसे जारी रखने और इसकी आर्थिक लागत का अंकगणित भी एक समान महत्वपूर्ण है। कारगर स्पेक्ट्रम प्रबंधन, यथोचित बैंडविड्थ का इस्तेमाल और रिसिवर प्रौद्योगिकी जैसे तकनीकी मुद्दे भारत में सामुदायिक रेडियो के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। अंत में प्रसारण किए जाने वाले कार्यक्रमों के सिलसिले में आत्म–नियमन और आचार संहिता का पालन भी किसी मायने में कम महत्वपूर्ण नहीं है।

नीति में सुधार की आवश्यकता : संयोगवश सामुदायिक रेडियो की वर्तमान नीति में कुछ सुधार की भी जरूरत है। इन मुद्दों के समाधान के लिए इसमें कुछ मध्यावधि में सुधार लाना तर्कसंगत है। सामुदायिक रेडियो पर आयोजित कार्यशाला के माध्यम से अन्य देशों और संगठनों के अनुभवों की भागीदारी करने और इससे जुड़े मुद्दे को ध्यान में रखते हुए नीति की रूप-रेखा तैयार करने का एक मंच उपलब्ध हुआ है।

(साभार : प्रेस सूचना कार्यालय)

ग्रामीण युवाओं हेतु घर बैठे रोज़गार

डा. सुरेन्द्र कटारिया

भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 4 करोड़ 9 लाख है। इस विपुल संख्या का लगभग दो तिहाई से भी अधिक हिस्सा ग्रामीण बेरोजगार युवक–युवतियों का है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की 72.22 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में तथा 27.78 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में जिन तीन प्रमुख मुद्दों की आलोचना होती रही है उनमें राजनीति एवं बढ़ती जनसंख्या के साथ–साथ उद्देश्यविहीन शिक्षा प्रणाली भी सम्मिलित है। प्रायः यह कहा जाता है कि लार्ड मैकाले के प्रतिमान पर आधारित हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं को सरकारी नौकरी की ओर भागने को विवश करती है। कटु यथार्थ यह है कि आर्थिक उदारीकरण, नव लोक प्रबंध तथा निजीकरण के वैश्विक दौर में सरकार तथा प्रशासन का आकार सीमित हो रहा है। ऐसे में आजीविका के अवसर या तो निजी क्षेत्र में बचते हैं या फिर स्वरोजगार एक बेहतर रास्ता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित हो रही राष्ट्रव्यापी योजना अर्थात् "स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के माध्यम से ग्रामीण युवक–युवतियां स्वरोजगार के सार्थक एवं सफल प्रयास कर सकते हैं। एक अप्रैल, 1999 से संचालित यह योजना पूर्ववर्ती छः कार्यक्रमों यथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवाओं हेतु

स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण दस्तकारों हेतु उन्नत औजार आपूर्ति कार्यक्रम, गंगा कल्याण योजना तथा दस लाख कुंआ योजना को स्वीकृत करके क्रियान्वित की गई है। स्पष्ट है वर्तमान योजना में इन पूर्ववर्ती छः कार्यक्रमों की सभी प्रमुख विशेषताएं एवं प्रावधान विद्यमान हैं। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण युवा तीन प्रकार के लाभ उठा सकते हैं–

1. स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वरोजगार
2. एकल सहायता प्राप्त करके स्वरोजगार
3. प्रेरक बनकर प्रोत्साहन राशि की प्राप्ति

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा ब्लॉक स्तरीय पंचायती राज संस्था के माध्यम से यह योजना क्रियान्वित होती है। यह योजना मुख्यतः गरीबी की रेखा से जीवनयापन कर रहे परिवारों के लिए है। इन बीपीएल परिवारों का कोई भी सदस्य एकल सहायता के रूप में 7,500 रुपये (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का हो तो 10,000 रुपये) की अनुदान सहायता स्वरोजगार के क्रम में प्राप्त कर सकता है तथा शेष राशि उसे ऋण के रूप में प्राप्त होगी जिसे संबंधित क्षेत्र के ग्रामीण बैंक की शाखा द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप "स्वरोजगारी" लौटाएगा। इस योजना में एकल व्यक्ति को स्वरोजगार हेतु सहायता दी जा सकती है। किन्तु योजना का मुख्य लक्ष्य चयनित परिवारों (बीपीएल) के स्वयं सहायता समूह बना कर समूह के अनुरूप स्वरोजगार संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है। इस हेतु योजना में प्रावधान है कि 10 से 20 सदस्यों से युक्त समूहों का गठन करके उनके

बीच शुरू में छोटी–छोटी बचत तथा आन्तरिक ऋण वितरण की गतिविधियों को शुरू किया जाए। समूह में न्यूनतम 5 सदस्य भी हो सकते हैं किन्तु ऐसी सुविधा उन्हीं क्षेत्रों में ही देय है जहां भौगोलिक बसावट छितरी हुई हो तथा पांच परिवारों से अधिक चयनित परिवार वहां उपलब्ध नहीं हों। यद्यपि यह योजना चयनित परिवारों हेतु ही है किन्तु आवश्यकता हो तो समूह में बीस–तीस प्रतिशत सदस्य गैर बीपीएल के भी सम्मिलित किए जा सकते हैं लेकिन यह सदस्य धनाद्य नहीं होने चाहिए बल्कि चयनित परिवारों से मिलते–जुलते समस्तरीय परिवार हों। समूहों में एक परिवार से एक ही व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है।

शुरू में छः माह तक संबंधित स्वयं सहायता समूह द्वारा सफलतापूर्वक कार्य निष्पादित कर लेने के पश्चात् खण्ड विकास अधिकारी तथा संबंधित बैंक द्वारा समूह की प्रथम ग्रेडिंग की जाती है। इस योजना में प्रथम ग्रेडिंग के समय समूह को उसकी बचत के चार गुणा के बराबर ऋण तथा 5 रुपये से 20 हजार रुपये तक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस ऋण एवं सहायता राशि के सदस्य अपने उन कार्यों को पूरा कर सकते हैं जो अत्यावश्यक हैं। इनमें गंभीर रोगों का उपचार कराना, बच्चों की शिक्षा, मकान की मरम्मत, पशु एवं खेती संवर्धन या अन्य कोई घरेलू आवश्यकता पूरी की जा सकती है। समूह द्वारा प्रथम ग्रेडिंग के समय किया गया यह ऋण वापिस बैंक को चुकाने के बाद समूह की द्वितीय ग्रेडिंग की जाती है। इस अवसर पर (प्रायः समूह निर्माण के एक वर्ष पश्चात्) समूह को अपने हुनर, परम्परागत धंधे, रुचि, बाजार या आवश्यकता के अनुरूप ऐसी कोई एक आर्थिक गतिविधि का चयन करना होता है जिसको अपनाकर वह समूह स्थायी रूप से गरीबी से छुटकारा पा सके। यह गतिविधि कृषि, पशुपालन, दस्तकारी से लेकर मशीनी कार्यों तक कुछ भी हो सकती है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि लघु सिंचाई से संबंधित कार्य हाथ में लेने पर समूह को कार्य (परियोजना) की लागत का

50 प्रतिशत हिस्सा अनुदान के रूप में मिलता है। अन्य कार्यों में 10,000 रुपये प्रति सदस्य या समूह को 1.25 लाख रुपये जो भी कम हो के आधार पर अनुदान के रूप में देय होता है तथा शेष लागत ऋण के रूप में स्वीकृत की जाती है। यह ऋण समूह द्वारा संबंधित बैंक को निर्धारित समय सीमा में लौटाना आवश्यक है। यदि समूह में ऐसा कोई सदस्य है जो पूर्ववर्ती आईआरडीपी योजना में अनुदान प्राप्त कर चुका है तो प्राप्त अनुदान की राशि वर्तमान सहायता में से काट ली जाती है। समूह को चाहिए कि वे अपने उन साथियों को जिन्होंने पूर्व में सहायता एवं ऋण प्राप्त किया है उसे वापिस लौटाने हेतु सदस्य को प्रेरित करें। इसी से ग्रामीण चयनित परिवारों की साख कायम रह सकेगी। स्वरोजगार अपना चुका समूह एक ऋण चुकाने के बाद भविष्य में अन्य ऋण भी प्राप्त कर सकता है किन्तु अनुदान सहायता एक बार ही देय होती है।

बेरोजगारों द्वारा इस योजना के लाभ उठाने का तीसरा तरीका है – प्रेरक या सहजकर्ता या सामुदायिक कार्यकर्ता बनकर स्वयं सहायता समूहों का निर्माण कराना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में यह प्रावधान है कि कोई सरकारी विभाग या कार्यालय या कोई भी स्वयंसेवी संगठन या कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति चाहे वह समूह बनाने एवं उन्हें संचालित करने का कार्य हाथ में ले सकता है। इस हेतु प्रेरक के प्रति समूह के हिसाब से 10,000 रुपये देय होते हैं। यह राशि प्रेरक को चार चरणों में दी जाती है। समूह की प्रथम ग्रेडिंग, द्वितीय ग्रेडिंग, ऋण वापिसी तथा समूह के स्थायित्व एवं स्वरोजगार स्थापना के चरणों में देय यह राशि विभक्त करके दी जाती है। यदि कोई प्रेरक एक गांव में पांच सफल समूह बताता है तथा संचालित कर दिखाता है तो वह 50,000 रुपयों का हकदार हो जाता हैं। यह कार्य चुनौतीपूर्ण तथा मानवीय जटिलताओं से भरा हुआ है। अतः साहसी, मेहनती तथा धैर्यवान युवा ही इसमें सफल हो पाते हैं। प्रेरक का कार्य करने को इच्छुक युवाओं को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में संपर्क कर अनुबंध करना आवश्यक शर्त है। इसके अतिरिक्त खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम तथा जिला उद्योग केन्द्र की प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी ग्रामीण युवा स्वरोजगार अपना सकते हैं। इस हेतु केवल दृढ़ इच्छाशक्ति एवं परिश्रमी स्वभाव प्राथमिक शर्तें हैं। ❑

(लेखक इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में असोशिएट प्रोफेसर हैं)

भारत में परमाणु बिजली उत्पादन

शक्ति त्रिवेदी

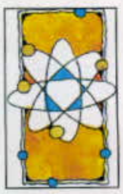

भारत का भविष्य ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति पर टिका है। ऊर्जा के वर्तमान पारंपरिक स्रोतों का तेजी से ह्रास हो रहा है और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा पर ही हमारा भविष्य निर्भर है। आज विश्व की आबादी 600 करोड़ है और आगामी 30 वर्षों में 100 करोड़ की वृद्धि होना संभावित है। अमीर देशों के प्रति व्यक्ति आय में बहुत बड़ी खाई है। विश्व के 20 अमीर देशों की आय विकासमान देशों से 36 गुना अधिक है। इस असमानता को कम करने में ऊर्जा उत्पादन की निरंतर वृद्धि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। कृषि, उद्योग और अन्य सेवाओं में ऊर्जा का कई गुना उपयोग बढ़ेगा, जिसकी पूर्ति के लिए हम परमाणु ऊर्जा की ओर देख रहे हैं। परमाणु ऊर्जा से वायु और जल का बढ़ता प्रदूषण भी खत्म होगा और विकासशील देशों के सामान्यजन का जीवन स्तर सुधरेगा।

1950 से 60 के दशक में भारत, चीन और इंडोनेशिया में बढ़ती आबादी के लिए रोटी की समस्या थी, पर हरित क्रांति ने भूख और अकाल की समस्या को कुछ हद तक हल कर दिखाया। अब गत 50 वर्षों में 1953 से 2003 तक भारत में परमाणु ऊर्जा पर बेहतर काम हुआ है। स्वास्थ्य, कृषि, बिजली से लेकर पोषक खाद्यों तक के क्षेत्र मे परमाणु ऊर्जा के उपयोग संभव और सफल हुए। इसका श्रेय जवाहरलाल नेहरू से लेकर डा. होमी भाभा को जाता है। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया गया।

भारत में परमाणु शक्ति के जनक डा. होमी जे. भाभा ने भारत के आजाद होते ही 26 अप्रैल, 1948 को घोषणा की थी कि आगामी दो दशकों में परमाणु ऊर्जा राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था, उद्योगों में महती भूमिका अदा करेगी। यदि भारत औद्योगिक रूप से विकसित देशों से पिछड़ना नहीं चाहता तो उसे विज्ञान के क्षेत्र में शक्तिशाली कदम उठाने होंगे।

लगभग 9 वर्ष बाद 20 जनवरी, 1957 में परमाणु ऊर्जा विभाग, ट्राम्बे द्वारा पहला स्विंमिंगपूल परमाणु रिएक्टर तैयार हुआ। प्रधानमंत्री नेहरू ने उसका नामरण किया अप्सरा। यह ठीक एलिफेंटा द्वीप के सामने बना। नेहरूजी ने कहा, एलिफेंटा और अप्सरा के बीच 1300 वर्ष का अंतराल है। एक विज्ञान की मध्य 20वीं सदी की घटना है तो दूसरी 1300 वर्ष पूर्व की कला और संस्कृति से जुड़े भारतीय मूल्यों की खोज की घटना है। अप्सरा और एलिफेंटा की गुफाएं सच्चे अर्थों में मनुष्य जीवन के संतुलन का प्रतीक हैं।

2003–04 का वर्ष परमाणु ऊर्जा के 50 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक वर्ष है। परमाणु ऊर्जा विभाग मंत्रालय बना, परमाणु ऊर्जा नियामक मंडल और आयोग का भी गठन हुआ। इसके अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास संगठन, औद्योगिक संगठन, सरकारी उपक्रम संगठन और सेवा सहायता संगठन अलग–अलग काम कर रहे हैं। कलकत्ता, मुम्बई से लेकर हैदराबाद, इलाहाबाद, अहमदाबाद, केरल, बंगलोर, चेन्नई, श्रीनगर, डिब्रूगढ़, नरोरा, भुवनेश्वर तक सारे देश में परमाणु ऊर्जा से संबंधित अनेक प्रयोगशालाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं। नाभिकीय विद्युत से लेकर कृषि, चिकित्सा, खनन और भूगर्भीय क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा का अनुसंधान और काम चल रहा है। अप्सरा रिएक्टर 1956 में शुरू हुआ, जो उस समय एशियाई देशों के बीच भारत की बड़ी उपलब्धि थी। इसी सफलता के आधार पर डा. होमी भाभा ने परमाणु की त्रिचरण में दीर्घकालीन योजना बनाई और आज हम परमाणु बिजली पाने की देहलीज पर खड़े हैं।

2007 तक चलने वाली दसवीं पंचवर्षीय योजना में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है। विद्युत उत्पादन 5000 बिलियन किलोवाट प्रति घंटा प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष की दर से होगा। 2050 में भारत की अनुमानित आबादी डेढ़ अरब तक बढ़ने की संभावना है। इसलिए विद्युत उत्पादन की दर भी 5000 से बढ़ाकर 7500 बिलियन किलोवाट करनी होगी। इसमें विद्युत के सभी तरह के स्रोत सम्मिलित होंगे। भारत के अतिरिक्त एशिया के अन्य विकासमान देशों में भी लगभग ऐसी ही स्थितियां हैं। पर्यावरण और जनस्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हुए जो बिजली का उत्पादन हो उसका ऐसा ढांचा तैयार करना सभी देशों के लिए आवश्यक होगा। कम से कम कार्बन छोड़ने वाले या बिना कार्बन वाले विद्युत उत्पादन के तरीके खोजने और प्रयोग में लाने होंगे।

परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किए गए आकलनों के अनुसार इस सदी के मध्य में कोयला की उपलब्धता कम होगी। कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन मिलना एक समस्या भी होगी। तेल और गैस स्रोतों के भंडार भी बहुत अधिक नहीं हैं। अभी भी हम विदेशों से तेल (कच्चा पेट्रोल) आयात कर रहे हैं। जल विद्युत बढ़ाने के लिए जो बांध बनाये जाते हैं, उनके कारण हजारों गांव के विस्थापित होने की समस्या बढ़ी हैं। जैसे सरदार सरोवर, टिहरी आदि योजनाएं। इसमें वर्षों का समय नष्ट होता है।

सौर, पवन और जैव ऊर्जा अवश्य ही बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम के भंडार भी सीमित हैं। हालांकि हमारे पास थेरियम के अतुल भंडार हैं। वर्तमान परमाणु संसाधनों से ज्यादा विद्युत उत्पादन लेने के लिए प्लूटोनियम और यूरेनियम–238 के चुकता ईंधन का पुनर्प्रसंस्करण करके ही हम ज्यादा बिजली का उत्पादन ले सकेंगे।

इससे परमाणु कचरे का निपटान भी साथ–साथ होगा और पर्यावरण सुरक्षा भी। देश के लिए दिर्घकालीन समय तक बिजली उपलब्ध कराने हेतु तो थोरियन ईंधन चक्र का ही सहारा लेना होगा।

इसी दृष्टि से स्थानीय तौर पर तैयार किये गये दबावयुक्त भारी पानी के रिएक्टर (पीएचडब्लूआर) और संबंधित ईंधन चक्र सुविधाओं को इस ढंग से लगाया जा रहा है कि वर्तमान के साथ–साथ भविष्य की बढ़ती हुई बिजली की मांग को भी हम पूरा कर सकें। फिलहाल 12 ऐसे ही रिएक्टर काम कर रहे हैं। 6 नए और रिएक्टर स्थापित किए जा रहे हैं। तारापुर में 540 मेगावाट यूनिट बिजली बनाने वाले ऐसे ही स्थानीय तौर पर विकसित संयंत्र बनाने का क्रम जारी है। इसमें आगामी अगस्त माह से उत्पादन शुरू हो जाएगा। यह संयत्र अपने लक्ष्य से सात महीने पहले ही तैयार हो गया है। तारापुर की इस यूनिट को तैयार करने वाली न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन इंडिया वर्तमान में आठ और नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों के निर्माण में लगी है। ये रिएक्टर सन् 2008 तक कार्य करने लगेंगे। यह सब भारत के परमाणु बिजली वैज्ञानिकों द्वारा ही देश में किया जा रहा है और उपयुक्त पीएचडब्ल्यूआर पद्धति की तकनीक ही इसका आधार है।

चूंकि भारत ने नाभिकीय तकनीक के गुर और अनुभव प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए परमाणु बिजलीघरों से बिजली बनाने का काम ठीक चल रहा है। 1995–96 में परमाणु विद्युत उत्पादन की औसत क्षमता 60 फीसदी थी, जो 2002–03 में बढ़कर 90 फीसदी हो गई। परमाणु विद्युत संयंत्रों ने अब तक 200 बिलियन यूनिट बिजली प्रदान की है। यह विद्युत उत्पादन पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना किया गया है।

भारत ने कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर टैस्ट लगाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। यह रिएक्टर यूरेनियम–प्ल्यूटोनियम कारबाइड ईंधन के मिश्रण से विकसित किया गया। इसी के आरंभ और अनुभव के आधार पर 500 मेगावाट वाला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विकसित किया गया। अब ऐसे अनेक परमाणु बिजलीघर स्थापित कर 2020 तक 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है।

इसके साथ–साथ भविष्य के लिए आत्मनिर्भरता देने वाला और थोरियम उपयोग से चलने वाले नए संयंत्र भी लगाये जाने का सभी प्रारूप और योजनाएं अंतिम रूप ले चुकी है। इस नई पद्धति और तकनीक के आरंभ होते ही पहले वाली पद्धति के मुकाबले आधे समय में ही उतनी ही बिजली का उत्पादन कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। अभी सदी का पहला दशक चल रहा है और अगले दशक 2011–2020 तक हम परमाणु बिजली की समुचित सप्लाई करने में समर्थ होंगे, ऐसा परमाणु वैज्ञानिकों का विश्वास है। ❑

(साभार : प्रेस सूचना कार्यालय)

फार्म-4 (कृपया नियम देखें)

1. प्रकाशन का स्थान	:	दिल्ली
2. अवधि	:	मासिक
3. मुद्रक का नाम	:	श्री मदन गोयल
क्या भारत के नागरिक है ? (अगर विदेशी हैं तो मूल देश का नाम बताएं)	:	हां
पता	:	अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स डब्ल्यू 30 ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया–II, नई दिल्ली–110020
4. प्रकाशक का नाम	:	श्री उमाकांत मिश्र
क्या भारत के नागरिक है ?	:	हां
पता	:	प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस सूचना और प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली–110011
5. संपादक का नाम	:	सुश्री स्नेह राय
क्या भारत के नागरिक है ? (अगर विदेशी हैं तो मूल देश का नाम बताएं)	:	हां
पता	:	कमरा संख्या 655/661 'ए' विंग गेट संख्या–5, निर्माण भवन ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली–110011
6. उन व्यक्तियों के नाम जो पत्रिका के स्वामी हैं और या कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व में हिस्सेदार हैं	:	सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार पूर्ण साझेदार है।

मैं, उमाकांत मिश्र एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दिया गया ब्यौरा मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

हस्ताक्षर

(उमाकांत मिश्र)
प्रकाशक

नारायण कार्तिकेयन ने दी भारत को विश्व मानचित्र पर नई पहचान

शशि झा

पिछले कुछ दिनों में जिन चंद खिलाड़ियों ने भारत को दुनिया के खेल मानचित्र पर एक नई पहचान दी है, उनमें सानिया मिर्जा के आलावा नारायण कार्तिकेयन का नाम प्रमुख है। कार्तिकेयन ने फामूर्ला वन आस्ट्रेलियन ग्रां प्री मोटर रेस में 15 वें स्थान पर आकर एक नया इतिहास रच दिया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले नए चार प्रतियोगियों में वह सबसे तेज माने गए। पर पहले फामूर्ला वन कार रेसर बनने का उनका महज एक ख्वाब पूरा हुआ है। उनकी तमन्नाएं अभी बाकी है। अभी उनका लक्ष्य फर्मूला वन रेस में अधिक से अधिक समय तक बने रहना है।

कार्तिकेयन इस प्रतियोगिता में शुरूआती समय में 12वें स्थान तक आ चुके थे और क्वालिंगफाइंग मे तो नौवें स्थान तक पहुंच चुके थें लेकिन अंततोगत्वा उन्हें 15 वें स्थान से ही संतोष करना पड़ा। ताज्जुब की बात यह रही कि सात बार के विश्व चैम्पियन और कार्तिकेयन के आदर्श रहे माइकल शूमाकर रेस भी पूरा नहीं कर पाएं।

फिर भी 29 वर्षीय कार्तिकेयन अपने इस प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। और भला वह संतुष्ट क्यों न हो? उनके लिए यह किसी सपने के पूरा होने जैसा है। जिसे उन्होने बहुत बुरी शुरूआत के बाद हासिल किया। शायद अगर शरूआत इतनी खराब नहीं रही होती तो वह इससे कहीं बेहतर फिनिश कर सकते थे। उनके हिसाब से कार के लांच कंट्रोल से संबंधित साफ्टवेयर में कोई खराबी थी। जिस देश में क्रिकेट एक धर्म हो और इससे परे किसी और खेल से स्टार खिलाड़ियों का उदय दशकों में कभी–कभार होता हो तो वैसे

देश इस उपलब्धि का महत्व आसानी से समझा जा सकता है। एक मायने में कार्तिकेयन की सफलता सचिन की सफलताओं से कहीं बढ़कर है। कार्तिकेयन के चाहनेवालो में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। आस्ट्रेलिया में ही इस प्रतियोगिता के खत्म होने के बाद लोग कार्तिकेयन के फाटोग्राफ लेने के लिए दीवाने हुए जा रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्तिकेयन ने जर्मनी और इटली जैसे कई देशों में जहां क्रिकेट नहीं खेला जाता, भारत का नाम और वहां रहने वाले भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस प्रतियोगिता के प्रारम्भ होने से पहले काफी नर्वस थे क्योंकि यह उनके जीवन की पहली ग्रांप्री प्रतियोगिता थी। पिछले काफी समय से वह वह उसकी तैयारी कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने इसे हासिल कर ही लिया। किसी भी नई रेस से पहले दबाब का होना स्वाभिक सी बात है और अब उनके ऊपर काफी दबाब काफी कम हो गया है। उन्हें यह भी पता था कि उनके प्रदर्शन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद है कि आगे है कि आने वाले समय में अन्य प्रतियोगिताएं उनके लिए अपेक्षाकृत आसान होंगी। कार्तिकेयन अब भारत के पहले फार्मूला वन ड्राईवर बन गए हैं। औसत से निम्न कार के साथ इस प्रतियोगिता में उनका प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा है और मीडिया उनकी तारीफों के पुल बांधने में कोई संकोच नहीं कर रहा है। जो आसार हैं, उनसे तय है कि एफ–1 के दीवाने देशों मे जल्द ही उनके नाम का जादू लोंगो के सर चढ़कर बोलने लगेगा। भारत में भी नारायण की ख्याति ने एकबारगी लोगों का ध्यान गुगली, कवर ड्राईव जैसे क्रिकेट के शब्दों की भीड़ के साथ इंटरमीडिएट्स विंग एंगल्स और फ्यूएल लोड्स जैसे शब्दों पर भी ला खड़ा किया है।

दरअसल, शूमाकर समेत इस क्षेत्र के कई दिग्गजों का मानना है कि कार्तिकेयन में योग्यता तो है ही, साथ ही वह जज्बा भी कूट–कूट कर भरा हुआ है जो फामूर्ला–1 जैसी प्रतियोगिताओं के जीतने के लिए जरूरी होता है।

यह भी तय है कि इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अब भारतीयों समेत पूरे विश्व के खेलप्रेमियों की उनसे अपेक्षाएं काफी बढ़ गई हैं। एथेंस ओलंपिक में भारत के लिए इकलौता पदक जीतने वाले शूटर लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह आस्ट्रेलिया में कार्तिकेयन का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं।

कार्तिकेयन को ये सफलताएं रातोंरात नहीं मिल गई हैं। बेशक कार्तिकेयन के पिताजी, आर. कार्तिकेयन खुद इस विधा के महारथी थे और वर्षो तक इंडियन नेशनल रैली के

चैंपियन रहे। लेकिन नारायण की ये उपलब्धियां अथक परिश्रम और खेल के प्रति उनके अटूट समर्पण का परिणाम है।

16 वर्ष की अल्पायु में नारायण ने फ्रांस में ईएलएफ–विनफील्ड रेसिंग स्कूल में भाग लिया। फामूर्ला रेनाल्ट कारों की पायलट ईएलएफ प्रतियोगिता में वह सेमीफाइनल में भी पहुंचा था। इस बीच उन्होंने भारत समेत कई देशों में विभिन्न प्रतियोगिताओं में शिरकत की और अपने प्रदर्शन को निरंतर बेहतर बनाता रहा। 1994 में उन्होंने ब्रिटिश फामूर्ला फोर्ड विंटर सीरिज में भाग लिया और यूरोप में किसी चैंपियनशिप को जीतने वाले वह पहले भारतीय बने।

पिछले कुछ सीजन भी कार्तिकेयन के लिए काफी अच्छे रहे हैं और उन्होंने इस दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया। कार्तिकेयन की विजय यात्रा 1996 में प्रारंभ हुई जब उन्होंने फार्मूला एशियाई प्रतियोगिता जीती और कई कीर्तिमानों को अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले वह एकमात्र भारतीय और एशियाई ड्राईवर थे। इसी बदौलत उन्हें की ब्रिटिश फार्मूला 3 चैंपियनशिप में प्रवेश मिल गया। 2002 में उन्होंने फामूर्ला निस्सान वर्ल्ड सीरिज और एफ आई ए जीरी चैपियन में रेसिंग शुरू कर दी। कार्तिकेयन ने बार्सिलोना प्रशिक्षण के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया और बेहतर समय निकालकर टीम की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरे।

कार्तिकेयन की दिलचस्पी केवल मोटर रेसिंग में ही नहीं है। उन्हें टेनिस भी बेहद भाता है और वह बोरिस बेकर के खेल के दीवाने रहे हैं। जब वह किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे होते हैं या कंपनी का कामकाज नहीं देख रहे होते हैं तो वह योग और ध्यान में अपना मन रमाते हैं। जौगिंग भी उन्हें अच्छा लगता है।

कार्तिकेयन की सफलता इस हिसाब से भी काफी बड़ी है कि भारत में मोटर स्पोर्टर्स के लिए उपयुक्त ढांचागत सुविधाओं की काफी किल्लत है। लेकिन इन तमाम चुनौतियां का सामना करते हुए कार्तिकेयन अल्प अवधि में युवा वर्ग का रोल मॉडल और आदर्श बन गये हैं। निश्चित रूप से वह देश के सभी युवा खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ा प्रेरणास्रोत हैं। ❑

(साभार : प्रेस सूचना कार्यालय)

नॉर्थ ईस्ट ट्रेड एक्सपो 2005

जिल्ले रहमान

पिछले दिनों नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड एक्सपो 2005 लगाई गई। यह प्रदर्शनी उत्तर–पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने इंडिया प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लगाई। मार्च 7 से 14 तक चली इस प्रदर्शनी में उत्तर–पूर्व क्षेत्र के विभिन्न उत्पादों का बखूबी प्रदर्शन किया गया। जिससे विकास की असीम संभावनाओं का पता चलता है। इस प्रदर्शनी में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा की उत्कृष्ट पच्चीकारी का नमूना पेश किया गया। इस प्रदर्शनी का विषय था पूर्वोत्तर की तिलस्मी बुनाई (मैजिकल वीव्स ऑफ नार्थ ईस्ट)। प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण रहे वहां के पारंपरिक हस्तशिल्प, उपसाधन, मुखौटे, वर्ति–लेख और मूर्तियां। इसके अलावा बेहतरीन हथकरघा एवं बुनाई के नमूने उपलब्ध थे। डिजाइनर बांस व बेंत के साजो–सामान, सुगंधित जड़ी–बूटियां व मसाले, बागवानी उत्पाद, विजातीय फूल और नव्यशीलन मिश्रित मदों ने लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित किया। इस प्रदर्शनी में न सिर्फ उत्तर–पूर्व की पाक शैली को लोगों ने सराहा बल्कि सांस्कृतिक कला प्रदर्शनों ने भी अपनी छाप छोड़ी। कुटीर उद्योगों में हैंडलूम, प्राचीन कलाएं व आधुनिक कलाएं, कशीदाकारी को बढ़ावा देने के लिए इस प्रदर्शनी में विशेष ध्यान दिया गया। प्रगति मैदान के हॉल नम्बर 7 में नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्यों के करीब सौ स्टॉल अपने–अपने राज्यों की कला का बखूबी प्रमाण दे रहे थे। मणिपुर के एक स्टॉल क्रॉफ्ट्स एंड सोशल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन के परमेश्वर सिंह बताते हैं कि बड़े उद्योगों से हमारे संसाधन तेजी से खत्म हो रहे हैं इसलिए कुटीर उद्योगों में सामूहिक भागीदारी को हम लोग ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। इससे गांवों में लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है। इस प्रदर्शनी में बेंत व बांस के बने सभी तरह के घरेलू साजो–सामान हैं, जिन्हें हमारे कामगार मजदूरों ने बड़ी तल्लीनता के साथ तैयार किया है। नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट्स एडं हैंडलूम डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ने भी इस प्रदर्शनी की शोभा बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट एक्सपो–2005 अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा की तिलस्मी बुनाई ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। लोगों ने जमकर खरीददारी की और उन राज्यों के कलाकारों की कलाओं को जमकर सराहा।

जाहिर है यह प्रदर्शनी उन दस्तकारों व शिल्पियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव थी, जिन्हें दिल्ली का प्रगति मैदान अपनी पूरी विशालता में उनका स्वागत कर रहा था। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

पर ही हो सकती है। परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से हो रही मूल्यवृद्धि को मापने में सरकार सफल रही। मुद्रास्फीति की दर जुलाई–अगस्त, 2004 में 8 प्रतिशत से अधिक हो गई थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी लगभग 5 प्रतिशत तक की मुद्रास्फीति दर्ज की गई। आयात शुल्क में कटौती और कड़े मौद्रिक उपायों के परिणामस्वरूप सकारात्मक परिणाम सामने आए। फरवरी 2005 के अंत तक थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति गिरकर 5.01 प्रतिशत पर आ गई। उपभोक्ता मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति भी दिसम्बर 2004 में घट कर 4 प्रतिशत से कम हो गई है। अब मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और विकास दर में वृद्धि हो रही है। इस स्थिति का लाभ आम जनता को मिलना स्वाभाविक है।

विकास–दर में वृद्धि होना वांछित है परन्तु इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि की चुनौती भी बरकरार है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने 'काम के बदले अनाज' का राष्ट्रीय कार्यक्रम नवम्बर 2004 में चलाया और देश के 150 पिछड़े जिलों को शामिल किया। सरकार ने 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को अंत्योदय कार्ड जारी किए हैं। अब तक कुल दो करोड़ परिवारों को इसमें शामिल किया जा चुका है। इससे अत्यंत गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। ग्रामीण भारत के विकास के लिए नई पहल के अंतर्गत सरकार ने राष्ट्रीय किसान आयोग के पुनर्गठन के अतिरिक्त कृषि अनुसंधान तथा विस्तार के लिए निधि में 40 प्रतिशत की वृद्धि, किसानों के लिए ऋण सुविधा में 30 प्रतिशत की वृद्धि, सिंचाई के लिए धन आबंटन में वृद्धि, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि में 8,000 करोड़ रुपये की राशि योगदान करने तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना समिति के गठन जैसे उपाय किये हैं। इनके नतीजे धीरे–धीरे सामने आयेंगे।

ग्रामीण विकास व रोजगार–सृजन के अलावा विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास करना, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का एक महत्वपूर्ण वायदा है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों में रहने वाले गरीब तबके की ढांचागत जरूरतों पर ध्यान देने के साथ ही सड़कों, रेलवे, बिजली, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन, बंदरगाहों एवं अन्तर्देशीय जलमार्गों एवं पर्यटन जैसे क्षेत्रों में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने की दिशा में कदम उठाये हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुनियादी ढांचे से संबंधित समिति गठित की गई है। नई नागरिक उड्डयन नीति तैयार की जा रही है। मन्नार की खाड़ी से पाक का मुहाना होते हुए बंगाल की खाड़ी तक सेतु समुद्रम नाम से नौवहन योग्य जल–मार्ग तैयार करने के लिए कदम उठाये गए हैं।

ऊर्जा क्षेत्र में त्वरित विद्युत क्षेत्र विकास एवं सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम भी मंजूर किया गया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए तेल कूटनीति जैसी महत्वपूर्ण पहल की गई है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में सुधार करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। शिक्षा पर सरकारी व्यय बढ़ाने के लिए ही प्रत्यक्ष व परोक्ष करों पर 2 प्रतिशत की दर से उपकर लगाया गया है। इससे प्राप्त होने वाले राजस्व को बुनियादी शिक्षा निधि में जमा किया जाएगा। स्कूल में बच्चों को दोपहर के समय तैयार भोजन देने के कार्यक्रम का भी विस्तार किया गया है। अल्पसंख्यकों की उच्च शिक्षा संस्थाओं को संरक्षण देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। तकनीकी शिक्षा के विस्तार के एक उपाय के रूप में 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जा रहा है।

शिक्षा के बाद उच्च प्राथमिकता वाले दूसरे क्षेत्र स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की गई है। गरीब परिवारों के लिए एक संशोधित स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की गई है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के व्यापक फलक में समाहित मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान है। आने वाले महीनों में उसे इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है ताकि दीर्घकालीन आर्थिक प्रगति और विकास को जारी रखने का आधार तैयार हो सके। ❑

कैलाश चंद्र पपनै

(साभार : प्रेस सूचना कार्यालय)

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. 12057/2003-05
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.) -55/2003-5

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL 12057/2003-05
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2003-05
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

भारतीय रेल

बजट 2005-2006

प्रो. उमाकांत मिश्र, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया-II, नई दिल्ली-20 : संपादक : स्नेह राय